राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओं के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 706वीं बैठक दिनांक 28 / 12 / 2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं / वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :—

- 1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
- 3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
- 4. प्रो. अनिल प्रकाश, सदस्य ।
- 5. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
- 6. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
- 7. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :-

1. Case No 9028/2022 M/s MOIL Limited, Formerly Manganese Ore (India) Ltd, Shri Anant V Masade, Jt GM Safety and Environment, MOIL Bhawan, I-A, Katol Road, Chaoni, Nagpur, MAHARASHTRA., Prior Environment Clearance for Manganese Quarry in an area of 4.42 ha. (1000 Tonne per annum) (Khasra No. 154/1, 155/2, 156/2, 157/2, 174/2), Village - Tirodi, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) (EIA)

प्रस्तावित मैग्नीज खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के ई.आई.ए.का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विकास रंजन पारिदा, ज्वाईन्ट जनरल मैनेजर, माईन्स, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमुल मजूमदार, मेसर्स वरदान इंवायरोनेट, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Anant V Masade, Jt GM Safety and Environment, MOIL		
परियोजना का नाम व पता	Bhawan, I-A, Katol Road, Chaoni, Nagpur, MAHARASHTRA.		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	154/1, 155/2, 156/2, 157/2, 174/2 4.42 hectare. (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड)		
स्थल	Village-Tirodi, Tehsil- Tirodi, District Balaghat (M.P.)		
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 02/07/2017.		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Blasting is not proposed.		
टॉर	सेक की 556वीं बैठक दिनांक 02/03/2022 को उत्पादन क्षमता		

	मैग्नीज—1200 टीपीए टॉर की अनुशंसा सिया को प्रेषित ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैग्नीज—1200 टीपीए हेतु आवेदन किया गया
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मैग्नीज एवं वेस्ट—1000
	टीपीए घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज है, अतः 500 मीटर की जानकारी लागू
अन्य खदानें	नहीं है ।
वन मण्डलाधिकारी की	` '
अनापत्ति	) के पत्र क्रमांक 1687 दिनांक 18/02/2021 अनुसार 10 किलोमीटर
	की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव
	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	_
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	ग्राम पंचायत तिरोड़ी जिला बालाघाट के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक–8
की अनापित्ति	दिनांक 02/10/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से
	पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज होने के कारण जिला सर्वेक्षण सर्वेक्षण
रिथति	रिपोर्ट लागू नहीं है ।
जन सुनवाई	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि जन सुनवाई के
	दौरान वृक्षारोपण कंट्रोल ब्लास्टिंग रोजगार, गौशाला, स्वास्थ शिविर एवं
	शिक्षण आदि सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.
	एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

During presentation PP submitted that this is a project of **Dump mining** (mining of Manganese (Major Mineral) **without drilling & blasting is proposed in the mineralized dump located in the ML area** with production capacity of 1200 TPA over an area of 4.419 ha. located at Village & Tehsil - Tirodi, District - Balaghat, MP. Other prominent features are:

- Lease Detail: total Mining Lease (ML) area is 4.419 hectare,
- Khasra No. 154/1, 155/2, 156/2, 157/2, 174/2;
- Lease is valid till 20.09.2046.
- Entire 4.419 ha lease area is govt. revenue land.
- Chronology of proposal:

PARTICULAR	DATE	
Modified Mining plan has been approved vide letter no. MP/Balaghat Manganese Ore RMP- 57/2021-22 dated 20.01.2022.	20.01.2022	

Online application submitted for grant of ToR and accepted	24.07.2020 & 21.02.2022
First Technical Presentation for grant of ToR	02.03.2022
ToR granted by SEIAA Madhya Pradesh vide letter no. 3472/SEIAA/22	17.03.2022
Baseline Data Collection Period.	October 2022 to December 2022
Draft EIA submitted to Madhya Pradesh Pollution Control Board.	21.03.2023
Public Hearing Advertisement	Dainik Bhaskar on 23.04.2023 Anchalik Express on 22.04.20223
Public Hearing conducted.	25.05.2023
Online Final EIA submitted.	05.08.2023

#### **SALIENT FEATURES OF THE PROJECT**

DESCRIPTION	DETAILS
Name of the Project	Tirodi Manganese Mine
Peak production capacity	1200 TPA
Mine lease area	4.42 Ha (Preciously 4.419 ha.)
Geological Reserves	10660 T
Mineable Reserves	2449 T
Total OB/Inter burden to be excavated	Saleable product yield shall be only 10% remaining 90% constitutes waste in the form of OB/IB/Associated waste. As such 900 ton/year OB/IB/AW are to be handled.
End Use of Mineral	ROM will be sorted to obtain Ferro-grade (>38% Mn) fines (36-38% Mn), LGHS (30-35% Mn) & Silica grade (25-30% Mn). They will be sold to Ferro industries, Bhilai Steel Plant & Steel Industries etc.
Life of Mine	24 Years
Mining Method & Technology	Opencast Manual/Semi-Mechanized mining is proposed

Drilling & Blasting	None
Depth of the working	20 m (305 MRL to 285 MRL)
Power requirement	The electricity connection will be taken from Madhya Pradesh Electricity Board, DG set are also proposed to be kept in case of failure of electricity.
Water requirement	Domestic Water Requirement: 5 KLD Dust Suppression: 10 KLD Plantation: 7 KLD Total Water Requirement: 22 KLD Source: Ground Water and Mine Pit Water NOC Granted by CGWA on 01.10.2021 which is valid till 03.10.2023. Application has been submitted for renewal of CGWA NOC and approval is under process.
Man power	Project will generate employment for about 110 persons directly. In addition, more than 150-160 people will be benefited indirectly.
Fuel consumption	Diesel Consumption would be around 0.25 Lt/m3 of vol. handled.  Specific Diesel consumption may be reduced by proper maintaining gradient of haul road and reducing waiting time of dumper. Specific consumption will be reduced from 0.25 Lt/m3 to 0.17 Lt/M3 In 5 years time.
Infrastructure	Requisite infrastructure will be developed for mining operation & allied activities such as Rest shelters, Firstaid center, drinking water supply, Site-offices, and toilets within the mining lease as per requirement.
R & R Involved	None
No. of affected families	None
Estimated Cost of the project (Rs.)	Project Cost Rs 2.20 Crore Capital Cost Rs. 220.417 Lakhs
Fund Provision for EMP (Rs.)	Total EMP Budget – 52 Lac in 5 years

 Production Proposal: ToR was approved by SEIAA, Madhya Pradesh for production of 1200 Tons per annum ROM as per the approved mining plan proposal period 2018-19 to 2021-22. After expiral of the approved mining plan, project proponent has submitted "Review of Mining Plan" for the proposal period 2022-23 to 2026-27 which was approved by IBM, Jabalpur vide letter no. MP/Balaghat Manganese Ore

RMP- 57/2021-22 dated 20.01.2022. Production proposal was approved as per following in the approved Review of Mining Plan.

- Production from In-situ Bed Mining: NIL
- Number of mineralized dump in the ML area is one (BD-1).
- Production proposal from Dump Rehandling:

Sr. No.	Year	Total Dump handling quantity (Ton)	Production of saleable Manganese ore quantity (Ton)	Quantity of Mineral Rejects (Ton)
1	1 <sup>st</sup> Yr	1000	100	900
2	2 <sup>nd</sup> Yr	1000	100	900
3	3 <sup>rd</sup> Yr	1000	100	900
4	4 <sup>th</sup> Yr	1000	100	900
5	5 <sup>th</sup> Yr	1000	100	900

- Geological Reserves: the ML area of 4.419 ha is occupied by mineralized dump of grade varying from 20% to 40% manganese ore saleable grades. As per UNFC classification total reserves in the mineralized dump of ML area is 10660 Tonnes. Extractable mineral reserves is 2449 tonnes.
- Mining Methodology: Dump mining without drilling & blasting is proposed in the mineralized dump located in the ML area. Details of dump handling and production are as follows:
  - a) Dump handling quantity for first five years

1<sup>st</sup> Year: 1000 Ton 2<sup>nd</sup> year: 1000 Ton 3<sup>rd</sup> year: 1000 Ton 4<sup>th</sup> year: 1000 Ton 5<sup>th</sup> year: 1000 Ton

b) Proposal for Production of Manganese ore for first five years

100 tonnes of saleable ore per year. Remaining 900 Ton Mineral rejects generated every year should be stacked separately for future use as the mineral rejects will be of manganese grade over threshold value.

### CER proposed by the PP were discussed. Committee suggested following points for inclusion in the CER proposal -

- i) Project proponent should distribute 1000 fruit bearing plants to local villages/gram panchayat in the first year of EC grant (towards eco restoration in the area).
- ii) 1000 LED bulbs should be distributed by project proponent to local villages/gram panchayat in the first year of EC grant towards lowering electrical energy consumption for sustainability.

- iii) Project Proponent should deposit 10 Lac rupees to Kanha National Park for upliftment of livelihood of forest workers.
- iv) Project proponent will distribute 10 nos. of I-Pads every year for the first 5 years (total 50 nos. of I-Pads) to the girl students coming under excellent category of results.

### PP submitted following ANNUAL BUDGET for ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN FOR OPERATION -

S. No.	Particulars	1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	4 <sup>th</sup>	5 <sup>th</sup>	Total (Lakhs)
1	Online Air Monitoring System	0	3	3	3	3	12
2	Dust suppression	0	1	1	1	1	4
3	Construction of Garland drain	5	0.50	0.50	0.50	0.50	7
4	Construction of Retaining Wall	7	0	0	0	0	7
6	Construction of Settling Pond	5	0.50	0.50	0.50	0.50	7
7	Greenbelt Development	4	1	1	1	1	8
8	Dewatering Cost	1	0.50	0.50	0.50	0.50	3
9	Fire Fighting and Safety measures	2	0.50	0.50	0.50	0.50	4
	Total	24	7	7	7	7	52

After presentation committee observed that the EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for <a href="Manganese Quarry in an area of 4.42 ha.">Manganese Quarry in an area of 4.42 ha.</a> (1000 Tonne per annum) (Khasra No. 154/1, 155/2, 156/2, 157/2, 174/2), Village - Tirodi, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) (MP) subject to the following special conditions:

#### I. Statutory compliance:

S.No	Condition
30	This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India,
	Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and Court of Law, Common Cause Condition as may be
	applicable.

31	The project proponent complies with all the statutory requirements and Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 2 <sup>nd</sup> August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations (if applicable to the project).
32	The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgments of hon'ble Supreme Court dated 2 <sup>nd</sup> August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors.(If application to the project).
33	The Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendation of the Standing Committee of National Board Wildlife, if applicable to the projet. (If applicable to the project).
34	This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal Forest Clearance (FC) under the provision of Forest Conservation Act, 1980,if applicable to the project (if applicable to the project).
35	Project Proponent (PR) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish /Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
36	The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Department & Regulation, Act, 2015 and rules & regulations made there under PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.
37	The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it if applicable to the Project.
38	The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA(M) dated 29 <sup>th</sup> October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
39	The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.
40	The Project Proponent shall inform the MoEF&CC for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership of mining lease is transferred than mining operation shall only be carried out after transfer of EC as per provision of the Para-11 of EIA Notification, 2006 as amended from time to time.

	Specific Condition			
1	एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा			
2	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख–रखाव लीज अवधि तक किया जायेगा			
	वर्ष पौधों की संख्या			
	पहला	440		

और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संमावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायंगी।  8 परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।  9 परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  11 खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  13 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपद्वा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी			<del>                                     </del>	
विस्ति।   चौथी   440		द्सरा	440	
परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.इं.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा  1 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के उम्मर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।  1 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के उम्मर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।  2 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार उम्मर / ट्रक खनिज सिंहत का परिवहन किया जा सके।  1 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों और फीसेंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की समावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागाई की व्यवस्था की जायेगी।  2 परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृद्धारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रवंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निथियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परियाजन सुनिश्चित किया जाये ।  9 परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर परका पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु गम क्षेत्र के बारर से वैकलिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिष्ठि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और इतित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पवितयों में पीधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगा।  11 खनन कार्य भूजल स्तर से उपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय भूजल बांड का अनुमीवन प्राप्त करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा सुर्वेटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों को स्थापना की जायेगी।  13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिक्थितयों सं अपराय द्वीकृति अनुसार खीन पट्टे की जानकारी संचालनात्व सौमिकी लिया जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक परिवह निर्मित सार्याक विद्य परिवहण हिया जाएगा।  15 परियोजना प्रस्तावक द्वार किन्ही भी परिस्थितयों में अपराय दृख्य (waste water) का बहाव खदान क्		तीसरा	440	
परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्ययन सुनिश्चित किया जायेगा  4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के इम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।  5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के इम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।  6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन केया जा सकें।  6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों और फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संगीवित अधिय घटना से बचने के लिए पष्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागाई की व्यवस्था की जायेगी।  8. परियोजना व्यवस्था में के साथ किसी भी प्रकार की संगीवित अधिय घटना से बचने के लिए पष्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागाई की व्यवस्था की जायेगी।  8. परियोजना केत एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संविधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्थ अनुसार संयुक्त/सामुद्याधिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वार निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परियाजन मुनिश्चित किया जाये।  9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु गुम क्षेत्र के बाहर से वैकलियक मार्ग की योजना तीयर करेगा।  10. परियोजना प्रस्तावक इशा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकरित करने के उदस्थ से तीन पवितयों में मीधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुवित व्यवस्था भी की जायेगी।  11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र को जीत में स्था मूजल सरर के नी चे कार केन की दशाम के कन्नीय मूजल बोर का अनुमीदत जित खान करेगा होत सुचेत किया जायेगा।  12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र को चारों और गारलैण्ड्रेन के निर्म पर्ट की जानकारी संचालनात्व भीमिकी तथा जायेगा।  13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र के वारों और गारलैण्ड्रेन किया जाएगा।  14. परियोजना प्रस्तावक पर्यक्त नियमित सफाई और रखरखाब किया जाएगा।  15. परियोजना प्रस्तावक हार		चौथी	440	
परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा  4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर / ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।  5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार डम्पर / ट्रक खनिज सिहत का परिवहन किया जा सके ।  6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।  7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।  8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करुने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों और फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अग्निय घटटा क्षेत्र के चारों और के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अग्निय घटटा क्षेत्र के चारों और के चार कोनों पर चेतावनी संकतों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षामाई की व्यवस्था की जायेंगी ।  8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के चनमंडलाधिकारी के परामशं अनुसार संयुक्त / सानुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।  9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु प्रम क्षेत्र के बाहर से बैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमीकित करेगा और इस्ताय प्रदीवत व्यवस्था भी की जायेगी।  11. चनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल स्तर से जपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल वार्येगा।  12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू–दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वास कीमित करना होगा।  13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र के चारों और गारलैण्डकेन के निर्माण के साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिहिक करना और सुरक्री		पांचवां	440	
जायेगा परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार डम्पर / ट्रक खनिज सिहेत का परिवहन किया जा सके।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों और फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अग्निय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगयानी और सुरक्षागाई की व्यवस्था की जायेगी।  परियोजना केत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोगण संविति कायों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संग्रवत्न / सामुदायिक वन प्रवंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।  परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकलियक मार्ग की गोजना तैयार करेगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौघरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—हृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—हृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों सं अपशिष्ट ह्व्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बारों ओर रारलैण्डड्रेन के निर्मण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्मण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुवित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टितात्र किया जाएगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा समु		कल	2240	
<ul> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार डम्पर / ट्रक खनिज सहित का परिवहन किया जा सके ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी ।</li> <li>परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कायों में संबंधित क्षेत्र के चनमंडलाधिकारी के परामर्थ अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रवंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पक मार्ग की योजना तैयार करेगा ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पिक्तयों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर सी जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्दी भी परिस्थतयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खवान क्षेत्र के बाहर नहीं किया</li></ul>	3		निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चि	चत किया
<ul> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार डम्पर / ट्रक खनिज सहित का परिवहन किया जा सके ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी ।</li> <li>परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कायों में संबंधित क्षेत्र के चनमंडलाधिकारी के परामर्थ अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रवंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पक मार्ग की योजना तैयार करेगा ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पिक्तयों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर सी जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्दी भी परिस्थतयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खवान क्षेत्र के बाहर नहीं किया</li></ul>	4	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेत् ३	अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जा	यें।
जाये   परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों और फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी   परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिचालन सुनिश्चित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर पक्का पर्युक्त मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु गम्म क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।   खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक हारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटटा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा किती ताथेगी सं अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।	5	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच म / ट्रक खनिज सहित का परिवहन किया जा स	ार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन १ कि ।	भार डम्पर
और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संगावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।  8 परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संवंधित कार्यों में संवंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रवंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।  9 परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के वाहर से वैकत्यिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  11 खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।  13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपद्वा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।  17 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत टिटा Dischargeपद्वित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।	6	जाये।		
परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कायों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।   परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु गुम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।   खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।   परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपद्वा/ पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकमें से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।   परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्ड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रवंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्वित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा। एतं आबादी	7			
अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।  परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकित्पक मार्ग की योजना तैयार करेगा ।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र की नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकित्त करेगा भी के जायेगा।  खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्ययन किया जायेगा।  परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्वित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।	8			के परामर्श
परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्वित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी		अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य		
सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  11 खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।  17 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।  18 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी	9	परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की यो	पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के जना तैयार करेगा।	
11 खनन कार्य मूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खिन पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खिनकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।  17 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगत Zero Discharge पद्वित आधारित खनन गितविधि का संचालन किया जायेगा।  18 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी	10	सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।		
13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा। 14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। 15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा। 16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा। 17 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा। 18 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी	11	खनन कार्य मूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमि	त रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केर्न्द्र	ीय भूजल
जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।  17 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।  18 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी	12			
तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।  17 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।  18 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी	13	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचि		
सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।  17 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा।  18 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी	14	परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति		
16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा। 17 परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धित आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा। 18 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी	15	`		ग निर्माण
परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धति आधारित खनन गतिविधि का संचालन किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी	16	परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितये		के बाहर
	17	परियोजना प्रस्तावक द्वारा समुचित पर्यावरण प्रबंध	वन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धति आधारित खनन गि	तेविधि का
	18		विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा ए	वं आबादी

19	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदू ाण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय
	अधिकारी ,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन /पंहुच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया
	जायेगा।
21	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से
	समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22	माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डर और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में
	वापस भरा जाएगा।
23	परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खिन पट्टा क्षेत्र के
	बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
24	परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के
	लिये विशेष रूप से गर्मी के मौसम में उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
25	परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
26	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण,धुलदमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा
	पक्की सड़क के रखराखव के उचित किर्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त
	बजट प्रावधान किया जाएगा।
27	परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण,सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्प्रफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ
	एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में
	विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण ( एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन
	मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं
	करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पुर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी ।
28	यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति
	हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त
	खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना
	प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
29	खिन पटटा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने
	वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचाायत को सौंपा जायेगा।
	परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

### II. Air quality monitoring and preservation:

1	The Project Proponent shall monitor critical parameters, relevant for mining opertions, of air pollution viz, PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. covering the aspects of transportation and use of heavy meachinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building. Canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places.
2	Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling road construction etc) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of pM10 and PM2.5 are evident such as haul road. Loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments machineries and preventive maintenance. In shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/Central Pollution Control Board

### III. Water quality monitoring and preservation:

- 1. In case immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA is is place before such mining operations. The permissions for intersection of ground water table shall essesntially be based on detailed hydro-geological study of the area.
- 2. Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in an around the mine lease by establishing a network of existing wells as wll as new piezo-meter installations during the mining operating in consultation with Central Ground Water Authority/State Ground Water Department.
- 3. The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstraeam of water bodies passing within and nearby adjacent to the mine lease and maintain its records. It shall be ensured that no obstruction and/or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/bodies existing in lease area (August) post monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environmental. Forest and Climate Change and its Regional Office,.
- 4. Project Proponent shall plan develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consulation with Central Ground Water/State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional office MoEFCC annually.
- 5. Industrial waste water (workshop and wast water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to tiem. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

#### IV. Noise and Vibration monitoring and preservation

- The peak particle velocity at 500 m distance or within the nearest habitation, whichever is closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.
  - The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the work environment. The workers engaged in operations of HEMM etc. should be provided with ear plugs/muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be provided with protective repiratory devices along with adequate training, awareness and iformation on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case in has been found that workers/personals/laborers are working without personal protective equipment.

#### V. Mining plan

The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. NO Change in basic mining proposal like mining technology, total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. NO change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste production, lease area and scope of working (viz, method of mining, overburden & dump management, O.B. & dump

	mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc) shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environemental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified after grant of EC or granted by State Govt. in the form to Short Term permit (STP), Query license or any other name.
2	The project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under the provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/Guidelines made there under.
3	The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavatgion vis-à-vis backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the reclaimed area shall be governed as per approved mining plan.
4	<ul> <li>Project Proponent will follow the approved mining plan for production and development in the mine lease area.</li> <li>Mineral rejects of grade over threshold value generated out of handling of dumps will be stacked separately for future use.</li> <li>Waste rock should be dumped at earmarked dumping sites with proper maintenance of dump height and slope as per guidelines. Dump slope should not be exceeding 37 degrees.</li> </ul>

### VI. Land Reclamation

1	The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked						
1							
	OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical						
	parameters of the OB dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the						
	approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by D.G.M.S. w.r.t safety in						
	mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of top soil/OB dumps, The						
	topsoil shall be used for land reclamation and plantation.						
2	The reject/waste generated during the mining operations shall be staked at earmarked waste						
	dump site (s) only. The physical parameters of the waste dumps like height, width and angle						
	of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars						
	issued by DGMS w.r.t safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the						
	stability of waste dumps.						
3	The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved						
)							
	Mining Plan cum progressive Mine Closure Plan.						
4	The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to						
	maintain the slope stabitlity, prevent erosion and surface runoff. The selection of local species						
	regulates local climate parameters and help in adaptation of plan species to the microclimate.						
	The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall						
	stability of dump. The dump mass should be consolidated with the help of dozer/compactors						
	thereby ensuring proper filling/levelling of dump mass. In critical areas, use of geo-textiles/						
	geo- membranes/clay liners/Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.						

5	The Project Proponent shall carry out slope stability study in case the dump height is more than 30 meters. The slop stability report shall be submitted to concerned regional office of MoEF&CC.
6	Garland drain, Catch drains of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/River/Pond etc). The collected water should be utilized for watering the mine areas roads, green belt development, plantation etc. The drain/sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season and maintained properly
7	The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long. The physical parameters of the top soil dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and as pre the guidelines framed by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation purpose.

#### VII. Transportation

1	No Transportation of the minerals shall be allowed without tarpaulin cover.
2	PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.

#### VIII. Green Belt

Green Belt development shall be carried out within the 01.5 ha. lease area and total nos. of 2200 Plantation shall be done within 05 years planting following specie:

Green Belt development shall be carried out within the 01.5 ha. lease area and total nos. of 2200 Plantation shall be done within 05 years planting following specie:

S.No.	Species Name	<b>Botanical Name</b>
	Tree	
1	Shisham & Kala Shisham	Delbergiasisso
2	Ardu or Maheneem	Ailanthus excels
3	Khejri	Prosopis cineraria
4	Indian Elm	Holopteleaintegrifolia
5	Gum Arabic tree	Acacia Senegal
6	Karanj	Pongamiapinnata
7	Imli	Tamarindusindica
8	Babool	Acacia nilotica
9	Jungle Jalebi	Pithecellobium dulce
10	Ronj	Acacia leucophloea
11	Neem	Azadirectaindica
12	Ber	Zizyphusmauritiana
13	Siris tree	Albizalebbeck
14	Pipal	Ficusreligiosa
15	BijaKussum	-

	Shrubs/Herbs	
16	Munja grass	Saccharum munja
17	Peelikaner	Thevetia peruviana
18	VilayatiBabool	Prosopis juliflora
19	Arandi	Ricinus cummunis
20	Kaner	Nerium Indicum
21	Sarphonka	Tephrosiahamiltonii
22	Buffel Grass	Cenchruscilliaris
23	Kans grass	Saccharum spontaneum
24	Makara or crowfoot grass	Dactylocteniumaegyptium
25	Bui	Aervatomentosa
26	Purple three awn or Bunch grass	Aristida purpurea

The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the scorching sun should be scrupulously guarded/protected against felling the plantation of such trees should be promoted (if applicable).

#### IX. Public hearing and human health issues

1	The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as
	Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the
	DGMS guidelines. The records shall be maintained properly.
2	The Proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers
	for sanitation, Personal Hygiene. Hand washing, no to defecate in open. Women Health and
	Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tabacco and alcohol use. The Proponent
	shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.
3	The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear
	protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and
	information on safety and health aspects.
4	The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the
	Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action
	Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action
	Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District
	Administration.

#### X. EMP and Corporate Environment Responsibility (CER)

1	F	or E	nvironment Management Plan PP has proposed Rs.	52 Lakhs for this project to be		
	implemented within first 5 years of start of mining operation.					
2	PP has proposed Rs 215 Lakhs under Corporate Environment Responsibility (CER) for					
	component as follows:					
	S. Proposed Activities under Public Hearing commitment Phasing of Allocated proposed					
		No.	scheme	Public Hearing commitment		

			Budget, Rs. Lakh					
			24- 25	25- 26	26- 27	27- 28	28- 29	Total
1	Health Facility	Provide Health check-up Camp for local villagers of 4 adjoining villages (beneficiary approximately 2000 persons).	2	2	2	2	2	10
2	Educational Facilities	Provide school bus facilities (up to 15 km radius) for local students of the nearby villages studying in government school.	6	6	6	6	6	30
	Facilities	Renovation of all Aganwadi Centre at TirodiTeshil	5	5	5	5	5	25
		Provision of water purifiers at 6 numbers of villagers around adjoining Tirodi mining lease.	5	5	5	5	5	25
		Renovation of 5 Water Reservoir at Tirodi.	5	5	5	5	5	25
	Rural infrastructure development	Upgradation of govt. veterinary Hospitals at Tirodi Tehsil	20	0	0	0	0	20
3		Upgradation of all registered Goushala at Tirodi Tehsil	15	0	0	0	0	15
		Distribution of LED Bulbs to all nearby villages around Mine (2000 numbers)	8	0	0	0	0	8
		Deposition of 10 Lac to Kanha National Park for upliftment of livelihood of forest workers.	10	0	0	0	0	10
4	Skill	Skill Development Training to villagers for operators, fitters, electricians 100 person per year (Total 500 persons in 5 years)	3	3	3	3	3	15
4	Development	Provision of I-Pad to Girl Students coming under excellent category after Training, 10 I-Pads per Year (Total 50 I-Pads in 5 years)	3	3	3	3	3	15
5	Livelihood Development	Apprenticeship, Need based Training to Local Youths/Students.	3	3	3	3	3	15
6	Plant Distribution	Distribution of Fruit bearing plant species to Tirodi Gram Panchyat (1000 Plants)	2	0	0	0	0	2
		TOTAL	87	32	32	32	32	215

The activities and budget earmarked for Corporate Environmental Responsibility (CER) as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.II(M) dated 01/05/2018 or as proposed by SEAC should be kept in a separate bank account. The activities proposed for CER shall be implemented in a time bound manner and annual and annual report of implementation of the same along with documentary proof viz. photography's. Purchase documents, latitude & longitude of infrastructure developed & raod constructed needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually.

<sup>4</sup> Project Proponent shall keep the funds earmarked for environmental protection measures in a separate count and refratin from diverting the same for other purpose. The Year wise expenditure of such funds should be reported to the MoEFCC and its concerned Regional Office.

#### VIII. Miscellaneous

1	The Project Proponent shall prepare digital map/drone vedio/imagery (land use & land cover) of the entire lease area once in five years for the purpose of monitoring land use pattern and submit a report to concernedIBM/Regional Office of the MoEFCC/SEIAA/SEAC whichever is applicable.
2	The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
3	The project Proponent shall submit six monthly compliance reports on the status of the implementation of the stipulated environmental safeguards to the MoEFCC& its concerned Regional Office, State Pollution Control Board.
4	A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set- up under the control of a Senior Executive shall directly report to Head of the Organization. Adequate number of qualified Environmental Scientist and Minning Engineers shall be appointed and submit a report to RO, MPPCB.
5	The concerned Regional Office of the MoEFCC shall randomly monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the MoEFCC officer (s) by furnishing the requisite data/information/monitoring report.

2. Case No 9029/2022 M/s MOIL Limited, Formerly Manganese Ore (India) Ltd, Shri Anant V Masade, Jt GM Safety and Environment, MOIL Bhawan, I-A, Katol Road, Chaoni, Nagpur, MAHARASHTRA. Prior Environment Clearance for Manganese Quarry in an area of 4.734 ha. (200 Tonne per annum) (Khasra No. 204/2, 206/1), Village - Sitapatore, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) (EIA).

प्रस्तावित मैग्नीज खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के ई.आई.ए.का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विकास रंजन पारिदा, ज्वाईन्ट जनरल मैनेजर, माईन्स, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमुल मजूमदार, मेसर्स वरदान इंवायरोनेट, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्र	स्तुत दस्तावेज			
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Anant V Masade, Jt GM Safety and Environment, MOIL				
परियोजना का नाम व पता	Bhawan, I-A, Katol Road, Chaoni, Nagpu	r, MAHARASHTRA.			
खसरा नं./ क्षेत्रफल	204/2, 206/1 (सरकारी–फॉरेस्ट लेंड)	4.734 hectare.			
(सरकारी / निजी)					
स्थल	Village Sitapatore of Tehsil Tirodi, Distric	t Balaghat (M.P.)			
लीज स्वीकृति	लीज अनुबंध दिनांक 28 / 01 / 2021.				
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग	प्रस्तावित नहीं है ।			

टॉर	सेक की 556वीं बैठक दिनांक 02 / 03 / 2022 को टॉर अनुशंसा सहित
	सिया को प्रेषित, जिसके अनुरूप सिया के पत्र क्रमांक 3482 दिनांक
	17 / 03 / 2022 के द्वारा मैग्नीज ओर—200 टीपीए के लिए टॉर जारी
	किया गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट
	समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैग्नीज ओर—200 टीपीए हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मैग्नीज—200 टीपीए है।
500 मीटर की परिधि में	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज है, अतः 500 मीटर की जानकारी लागू
अन्य खदानें	नहीं है ।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय वन मण्डलाधिकारी दक्षिण (सा.) वन मण्डल, बालाघाटर (म.प्र.
अनापितत	) के पत्र क्रमांक 355 दिनांक 11/01/2021 अनुसार 10 किलोमीटर
	की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव
	विविधता क्षेत्र नहीं और आवेदित क्षेत्र मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग की
	शासकीय वन क्षेत्र वन भूमि है । भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं
	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र दिनांक 22/03/2006 के द्वारा
	फॉरेस्ट क्लियरेंस प्राप्त है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय तहसीलदार तिरोड़ी जिला बालाघाटर के पत्र कमांक 114-ए
	दिनांक 04/09/2020 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट, शैक्षणिक् संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व
	के स्मारक, रेल्वे लाईन्/सार्वजनिक भवन्/शमशान घाट्/राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई
	अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/
, .	बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत	
की अनापत्ति	दिनांक 15/07/2018 अनुसार प्रस्तावित खनन् स्थल वन भूमि पर है,
	अतः वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव पारित ।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की	5
स्थिति	रिपोर्ट लागू नहीं है ।
जन सुनवाई	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि जन सुनवाई के
	दौरान वृक्षारोपण कंट्रोल ब्लास्टिंग रोजगार, गौशाला, स्वास्थ शिविर एवं
	शिक्षण आदि सुझाव प्राप्त हुए, जिसे पर्यावरणीय प्रबंधन योजना / सी.
	एस.आर में बजट के साथ शामिल किया गया है ।

During presentation PP submitted that the ML area of 4.734 ha is partly occupied by mineralized dump of grade varying from 20% to 40% manganese ore saleable grades. As per UNFC classification total reserves in the mineralized dump of ML area is 20000

Tonnes . An extractable mineral reserve is 3000 tonnes. The ML area will be developed by open cast method without drilling and blasting. The southern section of lease area will be developed for preparation of 4 nos of benches to facilitate open pit mining work at the adjacent lease of project proponent (MOIL Limited). Benches will be developed as per the IBM approved mining plan vide approval no. MP/Balaghat/Manganese/RMP-46/19-20, dated 29.06.2020. Production from old mineralized dump handling will be carried out.

Other salient features of the lease arte given below:

- Lease Detail: total Mining Lease (ML) area is 4.734 hectare,
- Khasra No. 204/2 & 206/1; Lease is valid till 30.06.2032.
- Lease area categorization: Entire 4.734 ha area is forest land. Stage I forest clearance is granted by MoEF&CC on dated 22.03.2006. Stage II grant is under process in final stage.
- Chronology of proposal is given below:

PARTICULAR	DATE
Mining Plan approved by Indian Bureau of Mines vide Letter No. MP/ Balaghat/ Manganese/RMP-46/19-20/709	29.06.2020
Online application submitted for grant of ToR and accepted	23.07.2020 & 22.02.2022
First Technical Presentation for grant of ToR	02.03.2022
ToR granted by SEIAA Madhya Pradesh vide letter no. 3482/SEIAA/22	17.03.2022
Baseline Data Collection Period.	October 2022 to December 2022
Draft EIA submitted to Madhya Pradesh Pollution Control Board.	20.02.2023
Public Hearing Advertisement	Divya Express on 22.04.2023 Dainik Bhasker on 23.04.20223
Public Hearing conducted.	25.05.2023
Online Final EIA Submitted.	05.08.2023

#### **SALIENT FEATURES OF THE PROJECT**

DESCRIPTION	DETAILS
Name of the Project	Sitapatore Manganese Mine
Production capacity	200 TPA
Mine lease area	4.734 Ha
Geological Reserves	20000 T
Extractable Reserves	3000 T
Mineral Rejects	17000 T
Bench Height (Average)	7.5 m
Bench Width (Average)	9.5 m
Life of Mine	30 Years
Mining Method &Technology	Opencast Manual/Semi-Mechanized mining is proposed
End Use of Mineral	ROM will be sorted to obtain Ferro-grade (>38% Mn) fines (36-38% Mn), LGHS (30-35% Mn) &Silica grade (25-30% Mn). They will be sold to Ferro industries, Bhilai Steel Plant & Steel Industries etc.
Power requirement	The electricity connection will be taken from Madhya Pradesh Electricity Board, DG set are also proposed to be kept in case of failure of electricity.
Water requirement	Domestic Water Requirement: 1 KLD, Dust Suppression: 3 KLD, Plantation: 2 KLD Total Water Requirement: 6 KLD Source: Ground Water and Mine Pit Water NOC Granted by CGWA on 25.09.2021 which is valid till 25.09.2023. Application has been submitted for Renewal of CGWA NOC & approval is under process.

Man power	Project will generate employment for about 20 persons directly. In addition, more than 50-60 people will be benefited indirectly
Fuel consumption	Diesel Consumption would be around 0.25 Lt/m3 of vol. handled. Specific Diesel consumption may be reduced by proper maintaining gradient of haul road and reducing waiting time of dumper. Specific consumption will be reduced from 0.25 Lt/m3 to 0.17 Lt/M3 in 5 years time.
Infrastructure	Requisite infrastructure will be developed for mining operation & allied activities such as Rest shelters, First-aid center, drinking water supply, Site-offices, and toilets within the mining lease as per requirement.
R & R Involved	None
No. of affected families	None

- 1. Production Proposal: 200 Tons per annum.
- 2. Details of development and production are as follows:
  - c) <u>Dump Development for first five years</u>

1<sup>st</sup> Year: 600 m3 2<sup>nd</sup> year: 600 m3 3<sup>rd</sup> year: 600 m3 4<sup>th</sup> year: 600 m3 5<sup>th</sup> year: 600 m3

d) Open cast development forfirst five years

1<sup>st</sup> Year: 2000 m3 2<sup>nd</sup> year: 4250 m3 3<sup>rd</sup> year: 17300 m3 4<sup>th</sup> year: 29200 m3 5<sup>th</sup> year: 28730 m3

e) Bench Parameters

Maximum height – 7.5 m, Maximum width – 9.5 m, No. of benches to be developed – 4 nos.

f) <u>Proposal for Production of Manganese ore forfirst five years</u>

100 tonnes of saleable ore per year which may be increased up to maximum 200 tonnes per year. Note:

- i) Project Proponent will follow the approved mining plan for production and development in the mine lease area.
- ii) Mineral rejects of grade over threshold value generated out of handling of dumps will be stacked separately for future use.

- iii) Waste rock should be dumped at yearmarked dumping sites with proper maintenance of dump height and slope as per guidelines. Dump slope should not be exceeding 37 degrees.
- 3. Project proponent should distribute 1000 fruit bearing plants to local villages/gram panchayat in the first year of EC grant (towards eco restoration in the area).
- 4. 1000 LED bulbs should be distributed by project proponent to local villages/gram panchayat in the first year of EC grant towards lowering electrical energy consumption for sustainability.
- 5. Project proponent should provide 4 numbers of water purifiers (2 nos each to Sitapatore and Sukli villages) within 2 years of EC grant for the project.
- 6. Project proponent should deposit 10 Lac rupees to DFO, Balaghat for welfare of "Van Gram Vikash" in the first year of EC grant.
- 7. Project proponent will distribute 10 nos. of I-Pads every year for the first 5 years (total 50 nos. of I-Pads) to the girl students coming under excellent category of results.

## CER proposed by the PP were discussed. Committee suggested following points for inclusion in the CER proposal

- I. Project proponent should distribute 1000 fruit bearing plants to local villages/gram panchayat in the first year of EC grant (towards eco restoration in the area).
- II. 1000 LED bulbs should be distributed by project proponent to local villages/gram panchayat in the first year of EC grant towards lowering electrical energy consumption for sustainability.
- III. Project proponent should provide 4 numbers of water purifiers (2 nos each to Sitapatore and Sukli villages) within 2 years of EC grant for the project.
- IV. Project proponent should deposit 10 Lac rupees to DFO, Balaghat for welfare of "Van Gram Vikash" in the first year of EC grant.
- V. Project proponent will distribute 10 nos. of I-Pads every year for the first 5 years (total 50 nos. of I-Pads) to the girl students coming under excellent category of results.

### PP submitted annual budget FOR ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN for operation.

S. No.	Particulars	1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	4 <sup>th</sup>	5 <sup>th</sup>	Total (Lakhs)
1	Online Air Monitoring System	0	3	3	3	3	12
2	Dust suppression	0	1	1	1	1	4

3	Construction of Garland drain	5	1	1	1	1	9
4	Construction of Retaining Wall	10	0	0	0	0	10
6	Construction of Settling Pond	5	1	1	1	1	9
7	Greenbelt Development	8	2	2	2	2	16
8	Dewatering Cost	1.2	0.5	0.5	0.5	0.5	3.2
9	Fire Fighting and Safety measures	2	0.5	0.5	0.5	0.5	4
	Total	31.2	9	9	9	9	67.2

प्रस्तुतीकरण के दौरान क्षेत्रीय प्रमुख आई.व्ही.एम जबलपुर द्वारा अनुमोदित माईनिंग प्लान देखा गया, प्लान के पेज 15 पर माईनिंग के विषय में उल्लेख किया गया है कि सीतापटोर माईन पर लीज न. 02 में वर्तमान पिट का एक्पेन्शन होगा कोई नया माईनिंग बेड बनाया जायेगा कोई डिलिंग ब्लास्टिंग नहीं होगी केवल डम्प माईनिंग वर्ष 2025 तक के लिये स्वीकृत की गई है। उक्त प्लान के पुराने डम्प re-handling, sorting एवं लो-ग्रेड मैगनीज की स्टेकिंग की जावेगी शेष वेस्ट मटेरियल को उचित जगह पर सरफेस प्लान में दर्शायें अनुसार रखा जावेगा। अतः माईनिंग प्लान के अनुरूप माईनिंग कार्य किया जावेगा। विधिवत स्टेज-2 फारेस्ट क्लिरेंस ली जावेगी। सेफ्टी जोन दर्शाया जावेगा तथा आई.व्ही.एम, भारत सरकार के द्वारा दी गई शर्तो के अनुरूप पुराने डम्प पर प्रबंधन हेतु प्रस्तुत योजना पर अनुशंसा की जाती है।

After presentation committee observed that the EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Manganese Quarry in an area of 4.734 ha. (200 Tonne per annum) (Khasra No. 204/2, 206/1), Village - Sitapatore, Tehsil - Tirodi, Dist. Balaghat (MP) subject to the following special conditions:

### I. Statutory conditions

S.No	Condition
1.	Project Proponent will follow the approved mining plan for production and
	development in the mine lease area.
2.	Mineral rejects of grade over threshold value generated out of handling of
2.	dumps will be stacked separately for future use.
3.	Waste rock should be dumped at yearmarked dumping sites with proper
] 3.	

	maintenance of dump height and slope as per guidelines. Dump slope should
	not be exceeding 37 degrees.
4.	This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and Court of Law, Common Cause Condition as may be applicable.
5.	The project proponent complies with all the statutory requirements and Judgment of Hon'ble Supreme Court dated 2 <sup>nd</sup> August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations (if applicable to the project).
6.	The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgments of hon'ble Supreme Court dated 2 <sup>nd</sup> August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of Common Cause versus
	Union of India & Ors.(If application to the project).
7.	The Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendation of the Standing Committee of National Board Wildlife, if applicable to the projet. (If applicable to the project).
8.	This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal Forest Clearance (FC) under the provision of Forest Conservation Act, 1980,if applicable to the project (if applicable to the project).
9.	Project Proponent (PR) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to obtaining Consent to Establish /Consent to Operate from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
10.	The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Department & Regulation, Act, 2015 and rules & regulations made there under PP shall adhere to various circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from time to time.
11.	The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in respect of lands which are not owned by it if applicable to the Project.
12.	The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA(M) dated 29 <sup>th</sup> October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
13.	The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for the project.
14.	The Project Proponent shall inform the MoEF&CC for any change in ownership of the mining lease. In case there is any change in ownership of mining lease is transferred than mining operation shall only be carried out after transfer of EC as per provision of the Para-11 of EIA Notification, 2006 as amended from time to time.

S.No	Specific Condition			
1	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुवाई के दौरान	की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा		
	एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा ।			
2	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई 5 वर्ष तक मृत			
	पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज अविध तक किया			
	जायेगा			
	वर्ष	पौधों की संख्या		

पहला   468     दसरा   468     तीसरा   468     पांचवां   468     पांववां   468     पांचवां   468     पांचवां   468     पांववां   468				
तीसरा  468  पांचवां  408  परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.इं.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन शत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार उम्पर / ट्रक खनिज सहित का परिवहन किया जा सके ।  40रियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन शत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार उम्पर / ट्रक खनिज सहित का परिवहन किया जा सके ।  40रियोजना प्रस्तावक द्वारा चनन शत्र को स्त्र को जार निर्वार के नार्य और के साथ किसी भी प्रकार की स्त्रभावित अधिय घटना से बचने के लिए पड़ा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेरको की स्थापना के साथ जीवा निगयानी और सुरक्षागांड की व्यवस्था की जायेगी।  50 परियोजना प्रस्तावक द्वारा चनन परातिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर के साथ कोनों पर चेतावनी संकेरको की स्थापना के साथ जीवात निगयानी और सुरक्षागांड की व्यवस्था की जायेगी।  8 परियोजना श्रेत एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण सर्विधित कार्यों में सर्विधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्थ अनुसार संयुवत / तामुनिविक वन प्रवंचन स्तितिवों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निविधों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा विधीरित वृक्षारोपण नीति का परियानन सुनिश्चित किया जाये ।  9 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिष्ठ में 7.5 (नीटर) के परिष्ठ क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हित पड़ी विकास करने के उद्येय से तीन पंवित्यों में पौधरोपण किया जायेगा।  10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा चटा विकास करने के उद्येय से तीन पंवित्यों में पौधरोपण किया जायेगा।  11 चरियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का जिवेत करने के उद्येय से तीन पंवित्यों में पौधरोपण किया जायेगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वार पटटा क्षेत्र को जिवेत करने के उद्येय से तीन पंवित्यों में पौधरोपण किया जायेगा।  13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र को जिवेत करने के उद्येय से तीन पंवित्यों में पौधरोपण किया जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र को जिवेत करने के तियोजन सरकावक से करने के पर्योर स्वीकृ		पहला	468	
तिसरा   चौथी   468   468   पांचवां   468   468   पांचवां   468   468   पांचवां   468		दूसरा	468	
परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्यवन सुनिश्चित किया जायेगा  4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खानिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।  5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पवकी सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार डम्पर / ट्रक खानिज सिता का परिवहन किया जा सकें।  6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत जर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जायें।  7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत जर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जायें।  8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की समावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पड़ा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुस्तागाई की व्यवस्था की जायेगी।  8. परियोजना प्रस्तावक कव्यी सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चत किया जाये ।  9. परियोजना प्रस्तावक कव्यी सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चत करेगा और खनिज के परिवहन हेतु गमा क्षेत्र को करना अध्यात के चारपाण सहत सुन्ता मार्ग का निर्माण सुनिश्चत करेगा और खनिज के परिवहन हेतु गमा केत बाहर से वैकल्यक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिवि में 7.5 (मीटर) के परिवि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सुमाजिक करेगा और हित्त पट्टी विकलित करने के उददेश्य से तीन पवितयों में पीचरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्यम किया जायेगा।  12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा करती हार पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्यम किया जायेगा।  13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा करती हार को लिएहा/पर्यावरणीय रचीकृति अनुसार खित पटटें की जानकारी संचालनात्य भीमिकी तथा खितकमें से अनुमीदित नवीन जिता सर्वेशण रिपोर में शामित करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस कर यो जोगों।  14. परियोजना प्रस्तावक प्रावह सिक्टी के बारों और गारतिण्डद्रेन के		तीसरा	468	
परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा  4 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जाये।  5 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार उम्पर/ट्रक खीनज सहित का परिवहन किया जा एके।  6 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों और फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना क्षेत्र वके चारों और फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पड़ा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागाई की व्यवस्था की जायेगी।  8 परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संवंधित कार्यों में संवंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुवत/सानुवायिक वन प्रवंधन समितियों के व्यवस्था की जायेगी।  9 परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चत करेगा और खनिज के परिवहन हेतु गम्म क्षेत्र के बाहर से वैकित्यक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र के नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हिरत पट्टा बिकिसित करने के उददेश्य से तीन परितयों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हैत् पानी की समृचित व्यवस्था भी की जायेगी।  11 खनन कार्य पूजल स्तर पढ़ करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  13 परियोजना प्रस्तावक ह्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  14 परियोजना प्रस्तावक ह्वारा दुर्घटा क्षेत्र का जिला स्थापण स्थीकृति अनुसार खिन पट्टे की जानकारी संवालनालय भीमिकी तथा खानिकर से अनुनोदित नवीन जिला सर्वंक्षण रियोहित अनुसार खिना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर ती जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक घरटा क्षेत्र के चारों और गारलेण्डड्रन के निर्मण करायां। करने पर पर्यावरणीय देव कि नार्गों और करात्र किया जायेगा।		चौथी	468	
परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा  4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार ङम्पर / ट्रक खनिज सिहत का परिवहन किया जा सके ।  5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार ङम्पर / ट्रक खनिज सिहत का परिवहन किया जा सके ।  6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत जर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये ।  7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार को सभावित अग्निय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकरेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागाई की व्यवस्था को जायेगी ।  8. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कारों में सर्विधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त /सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धिति वृक्षारोपण नीति का परिपालन पूनिश्चित किया जाये ।  9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के कथान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु गुम्म क्षेत्र के बाहर से वैकत्यिक मार्ग की योजना तैयार करेगा ।  10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीभांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पवित्यों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायोगी।  11. चनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय मूजल बोई का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कित की जारों कोर गारलैण्ड्रेन के निर्मण करायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यांवरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  14. परियोजना प्रस्तावक परिवह खिन विजन किया और गारलैण्ड्रेन के निर्मण कराया साथ सेटिले		पांचवां	468	
जायेगा  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के उम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार उम्पर/ट्रक खनिज सहित का परिवहन किया जा सकें।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गितिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों और फेसिंग की जाएगी। आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संगावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की ख्यापना के साथ उचित निगरानी और सुखागार्ज की व्यवस्था की जायेगी।  परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रमें में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के चनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चत किया जाये।  परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चत करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बार से वैकटियक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हिएत पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंवित्यों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपष्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पटटें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुनीदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखसरखाव किया जाएगा।				
<ul> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेतु अधिकतम 20 टन भार के डम्पर / ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार डम्पर / ट्रक खनिज सिहत का परिवहन किया जा सके ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की सभावित अग्निय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागाई की व्यवस्था की जायेगी।</li> <li>परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित किनों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यो में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु गप्रम क्षेत्र के बाहर से वैकलिपक मार्ग की योजना तैयार करेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियाच्वयन किया जायेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक हारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियाच्वयन किया जायेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपष्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संवालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वक्षण रिपोर्ट में शामिक करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा फिटटा क्षेत्र के चारों ओर गारलैज्ड्ले के निर्माण के साथ</li></ul>	3	परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत जायेगा	निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चि	वत किया
<ul> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच मार्ग को पक्की सड़क टार रोंड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार डम्पर / ट्रक खनिज सहित का परिवहन किया जा सके ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतजों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागाई की व्यवस्था की जायेगी।</li> <li>परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कायों में संबंधित क्षेत्र के चनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रथंचन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिचालन सुनिश्चित किया जाये ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्यम क्षेत्र के बाहर से वैकित्यक मार्ग की योजना तैयार करेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में उ.ड (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकरित करने के उद्धरेच से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्यम किया जायेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्यम किया जायेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्यम किया जायेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक प्रविकृति ति निप्त सर्वक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक प्रटा के के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और खरखखाव किया जाएगा।</li> <li>पर</li></ul>	1		थिकतम् २० टन भार के द्रमार / टक ही उपयोग में लिये जा	रों ।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया जाये।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों और फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पष्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।   परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में बृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित बृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।   परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग को निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकत्यक मार्ग की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और स्वरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।   खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमादन प्राप्त करना होगा।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।   परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।   परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपष्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकमें से अनुमोदित नवीन जिला सर्वक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगा।   परियोजना प्रस्तावक पटटा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।   परियोजना प्रस्तावक द्वार करकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।		परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच म	गर्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन २	भार डम्पर
परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी । आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।  8 परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कायों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चत किया जाये ।  9 परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  11 खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक पटटा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।	6	परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्त्रोत की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत किया		
और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।  8 परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।  9 परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र की नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  11 खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्वनिपट्टा/पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  14 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।				
<ul> <li>परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कायों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त ∕ सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।</li> <li>खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्यन किया जायेगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाब किया जाएगा।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।</li> </ul>	7	और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी		
परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।  10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  11 खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।  13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।	8	परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कायों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य		
10 परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र को नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा वृक्षारोपण हेतु पानी की समुचित व्यवस्था भी की जायेगी।  11 खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।  12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी।  13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकमें से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चत करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।	9	परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन		
11 खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा में केन्द्रीय भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। 12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी। 13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा। 14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। 15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा। 16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृत्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।	10	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र का नो माइनिंग जोन के रूप में सीमांकित करेगा और हरित पट्टी विकसित करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा तथा		
12 परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की जायेगी। 13 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया जायेगा। 14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खिन पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खिनकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी। 15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा। 16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।	11	खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमि		ोय भूजल
जायेगा।  14 परियोजना प्रस्तावक स्वीकृत खनिपट्टा / पर्यावरणीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।	12			
तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।  15 परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर गारलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।	13			
सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई और रखरखाव किया जाएगा।  16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।	14	तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर पर्यावरणीय स्वीकृति		
16 परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर नहीं किया जायेगा।	15			ग निर्माण
	16	परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के बाहर		
	17		वन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धति आधारित खनन गति	तेविधि का

	संचालन किया जायेगा।
18	परियोजना प्रस्तावक ,द्वारा खनिज का परिवहन विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं आबादी
	क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।
19	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि प्रदू ाण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन क्षेत्रीय
	अधिकारी ,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा।
20	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन /पंहुच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव किया
	जायेगा।
21	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से
	समन्वयं कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22	माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डर और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन क्षेत्र में
	वापस भरा जाएगा।
23	परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खिन पट्टा क्षेत्र के
	बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
24	परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के
	लिये विशेष रूप से गर्मी के मौसम में उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
25	परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
26	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण,धुलदमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा
	पक्की सड़क के रखराखव के उचित किर्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त
	बजट प्रावधान किया जाएगा।
27	परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण,सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्प्रफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में
	विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण ( एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन
	मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं
	करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पुर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी ।
28	यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण स्वीकृति
	हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त
	खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना
	प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
29	खिन पटटा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने
	वाले सभी कार्यो को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचाायत को सौंपा जायेगा।
	परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।

### II. Air quality monitoring and preservation:

1	The Project Proponent shall monitor critical parameters, relevant for mining opertions, of air pollution viz, PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. covering the aspects of transportation and use of heavy meachinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at prominent places like office building. Canteen etc. as per the site condition to ascertain the exposure characteristics at specific places.
2	Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like regular water sprinkling road construction etc) shall be carried out in areas prone to air pollution wherein high levels of pM10 and PM2.5 are evident such as haul road. Loading and unloading point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly controlled by installation of required equipments machineries and preventive maintenance. In shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the MoEFCC/Central Pollution Control Board

#### III. Water quality monitoring and preservation:

1	In case immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that prior approval from CGWA is is place before such mining operations. The permissions for intersection of ground water table shall essesntially be based on detailed hydro-geological study of the area.
2	Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in an around the mine lease by establishing a network of existing wells as wll as new piezo-meter installations during the mining operating in consultation with Central Ground Water Authority/State Ground Water Department.
3	The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstraeam of water bodies passing within and nearby adjacent to the mine lease and maintain its records. It shall be ensured that no obstruction and/or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/bodies existing in lease area (August) post monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environmental. Forest and Climate Change and its Regional Office,.
4	Project Proponent shall plan develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consulation with Central Ground Water/State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional office MoEFCC annually.
5	Industrial waste water (workshop and wast water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to tiem. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

### IV. Noise and Vibration monitoring and preservation

1	The peak particle velocity at 500 m distance or within the nearest habitation, whichever is
	closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.
2	The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the
	work environment. The workers engaged in operations of HEMM etc. should be provided
	with ear plugs/muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be
	provided with protective repiratory devices along with adequate training, awareness and
	iformation on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case in has been
	found that workers/personals/laborers are working without personal protective equipment.

### V. Mining plan

1	The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was
	submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total
	excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. NO
	Change in basic mining proposal like mining technology, total excavation i.e. quantum of
	mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. NO change in basic mining

	proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste production, lease area and scope of working (viz, method of mining, overburden & dump management, O.B. & dump
	mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc) shall not be carried out
	without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which
	entail adverse environemental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified
	after grant of EC or granted by State Govt. in the form to Short Term permit (STP), Query
	license or any other name.
2	The project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance
	approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under
	the provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/Guidelines made there under.
3	The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-
	of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavatgion vis-à-vis
	backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the
	reclaimed area shall be governed as per approved mining plan.

#### VI. Land Reclamation

1	The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical parameters of the OB dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by D.G.M.S. w.r.t safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of top soil/OB dumps, The topsoil shall be used for land reclamation and plantation.
2	The reject/waste generated during the mining operations shall be staked at earmarked waste dump site (s) only. The physical parameters of the waste dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by DGMS w.r.t safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of waste dumps.
3	The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum progressive Mine Closure Plan.
4	The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to maintain the slope stabitlity, prevent erosion and surface runoff. The selection of local species regulates local climate parameters and help in adaptation of plan species to the microclimate. The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall stability of dump. The dump mass should be consolidated with the help of dozer/compactors thereby ensuring proper filling/levelling of dump mass. In critical areas, use of geo-textiles/geo-membranes/clay liners/Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.
5	The Project Proponent shall carry out slope stability study in case the dump height is more than 30 meters. The slop stability report shall be submitted to concerned regional office of MoEF&CC.
6	Garland drain, Catch drains of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/River/Pond etc). The collected water should be utilized for watering the mine areas roads, green belt development, plantation etc. The

	drain/sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season and maintained properly
7	The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long. The physical parameters of the top soil dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and as pre the guidelines framed by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation purpose.

### VII. Transportation

1	No Transportation of the minerals shall be allowed without tarpaulin cover.	
2	PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.	

#### VIII. Green Belt

S.No.	antation shall be done within 05 yea   Species Name	Botanical Name
	Tree	
1	Shisham & Kala Shisham	Delbergiasisso
2	Ardu or Maheneem	Ailanthus excels
3	Khejri	Prosopis cineraria
4	Indian Elm	Holopteleaintegrifolia
5	Gum Arabic tree	Acacia Senegal
6	Karanj	Pongamiapinnata
7	Imli	Tamarindusindica
8	Babool	Acacia nilotica
9	Jungle Jalebi	Pithecellobium dulce
10	Ronj	Acacia leucophloea
11	Neem	Azadirectaindica
12	Ber	Zizyphusmauritiana
13	Siris tree	Albizalebbeck
14	Pipal	Ficusreligiosa
15	BijaKussum	-
	Shrubs/Herbs	
16	Munja grass	Saccharum munja
17	Peelikaner	Thevetia peruviana
18	VilayatiBabool	Prosopis juliflora
19	Arandi	Ricinus cummunis
20	Kaner	Nerium Indicum
21	Sarphonka	Tephrosiahamiltonii
22	Buffel Grass	Cenchruscilliaris
23	Kans grass	Saccharum spontaneum
24	Makara or crowfoot grass	Dactylocteniumaegyptium
25	Bui	Aervatomentosa

The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the scorching sun should be scrupulously guarded/protected against felling the plantation of such trees should be promoted (if applicable).

#### IX. Public hearing and human health issues

1	The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as
	Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the
	DGMS guidelines. The records shall be maintained properly.
2	The Proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers
	for sanitation, Personal Hygiene. Hand washing, no to defecate in open. Women Health and
	Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tabacco and alcohol use. The Proponent
	shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.
3	The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear
	protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and
	information on safety and health aspects.
4	The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the
	Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action
	Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action
	Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District
	Administration.

#### X. EMP and Corporate Environment Responsibility (CER)

1	For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 67.2 Lakhs for this project to be
	implemented within first 5 years of start of mining operation.

PP has proposed Rs 130 Lakhs under Corporate Environment Responsibility (CER) for component as follows:

Sr. No.	Proposed Activities under Public Hearing commitment scheme CER	24-25	25-26	26-27	27-28	28-29	Total
1	Provide medical Camp at mine premises for Sitapatore Gram Panchyat People (approximately 2500 villagers)	2	2	2	2	2	10
2	Construction of boundary Wall in the schools and beautification (3 schools)	5	5	5	5	5	25

	Total	31	36	31	16	16	130
9	Distribution of LED Bulbs to all nearby villages around Mine (1000 numbers)	2	2	2	2	2	10
8	Distribution of Fruit bearing plant species to Tirodi Gram Panchyat (1000 Plants)	2	2	2	2	2	10
7	Provision of I-Pad to Girl Students coming under excellent category after Skill development Training given by MOIL Limited every year, 10 I-Pads per Year (Total 50 I-Pads in 5 years)	3	3	3	3	3	15
6	Construction of SamudayikBhawan / Meeting room for MahilaMandal, Waiting Room	0	10	10	0	0	20
5	Renovation of SitapatorePanchayatBhawan (providing chairs, decoration items, etc) Beneficiary 2500 people	2	2	2	2	2	10
4	Provide water purifier in Sitapatore and Sukli Villages (4 Numbers)	5	0	0	0	0	5
3	Deposition of 25 Lac to DFO, Balaghat for welfare of Van Gram Vikash.	10	10	05	0	0	25

The activities and budget earmarked for Corporate Environmental Responsibility (CER) as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.II(M) dated 01/05/2018 or as proposed by SEAC should be kept in a separate bank account. The activities proposed for CER shall be implemented in a time bound manner and annual and annual report of implementation of the same along with documentary proof viz. photography's. Purchase documents, latitude & longitude of infrastructure developed & raod constructed needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually.

#### VIII. Miscellaneous

1	The Project Proponent shall prepare digital map/drone vedio/imagery (land use & land cover) of the entire lease area once in five years for the purpose of monitoring land use pattern and submit a report to concernedIBM/Regional Office of the MoEFCC/SEIAA/SEAC whichever is applicable.
2	The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of land development work.
3	The project Proponent shall submit six monthly compliance reports on the status of the

<sup>4</sup> Project Proponent shall keep the funds earmarked for environmental protection measures in a separate count and refratin from diverting the same for other purpose. The Year wise expenditure of such funds should be reported to the MoEFCC and its concerned Regional Office.

	implementation of the stipulated environmental safeguards to the MoEFCC& its concerned
	Regional Office, State Pollution Control Board.
4	A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-
	up under the control of a Senior Executive shall directly report to Head of the Organization.
	Adequate number of qualified Environmental Scientist and Minning Engineers shall be
	appointed and submit a report to RO, MPPCB.
5	The concerned Regional Office of the MoEFCC shall randomly monitor compliance of the
	stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the MoEFCC
	officer (s) by furnishing the requisite data/information/monitoring report.

### (ब) मानक शर्ते

1	पर्यावरण प्रबंधन योजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित और SEAC द्वारा अनुमोदित सभी गतिविधियों / शमन
	उपायों (mitigative measures) को सुनिश्चित किया जाये ।
2	SEAC द्वारा अनुमोदित पर्यावरण निगरानी योजना में सूचीबद्ध सभी मापदंडों की निगरानी अनुमोदित स्थानों और
	आवृत्तियों पर की जाये ।
3	ब्लास्ट वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाएगा और छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु
	परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और एम.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा । अध्ययन में
	आस—पास के घरों और कृषि क्षेंत्रों पर ब्लास्टिंग से जुड़े प्रभाव की रोकथाम के उपाय भी उपलब्ध कराये जाये ।
4	अनुक्रमिक ड्रिलिंग (Sequential drilling) के साथ कट्रोल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाया जाए एवं ब्लास्टिंग केवल
	दिन में ही की जाये ।
5	Mining bench की ढलान और फाईनल गड्ढे की सीमा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार
	होगी।
6	खदान बंद करने की फाइनल योजना, कॉर्पस फंड के विवरण के साथ, अनुमोदन के लिए खदान बंद होने से 5 साल के
	भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,भोपाल और म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	को प्रस्तुत की जाये।
7	उत्खनन, खनिज की मात्रा और अपशिष्ट सहित कैलेंडर योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये ।
8	खनन कार्य, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये । खनन योजना में किसी भी तरह उल्लंघन के मामले में,
	SEIAA द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद हो जाएगी ।
9	लगातार दो खनिज युक्त निक्षेपों के बीच पर्याप्त बफर जोन बनाए रखा जाये । खनन क्षेत्र से निकाले गये खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय में ही किया जाये ।
10	स्थानीय सडके, जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है, का रखरखाव कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपने
11	स्थानाय संङ्क, ाजसक माध्यम सं खानजा का पारवहन किया जाता है, का रखरखाव कंपना द्वारा नियामत रूप सं अपने । खर्च पर किया जायेगा ।
12	·
12	मृदा अपरदन (Soil erosion) की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायेंगे । भू—टेक्सटाइल मैटिंग या अन्य उपयुक्त सामग्री से डंप के कटाव को रोका जाएगा, और डंप की ढलानों पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ो और
	माटन या अन्य उपयुक्त सामग्रा से इप के कटाव की राका जाएगा, और इप की ढलाना पर स्थानाय प्रजाति के पड़ा और । झाड़ियों का घना वृक्षारोपण किया जाये । डंप को सुरक्षित रखने हेतु रिटेनिंग वॉल्स बनाया जाये ।
13	जलाशयों में गाद को जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर ट्रेंचेस/गारलैंड ड्रैन्स का निर्माण किया जाये साथ ही
13	नियमित अंतराल पर Coco filters लगाए जाये, उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बहने वाले मौसमी/बारहमासी नाले (यदि कोई)
	मिं गाद के जमाव को रोकने हेतु पर पर्याप्त संख्या में चेक डैम एवं गूली प्लग्स का निर्माण कराया जाये । नियमित
	अंतराल पर गाद निकालने का कार्य किया जाये ।
14	परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें ।
15	ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी / ठोस कचरे को ढेर उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाये और
	खनन किए गए क्षेत्र के पुनर्भरण (जहां लागू हो) और भूमि सुधार के लिए उपयोग करें । ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी
	को बाद में उपयोग के लिए अलग से ढेर किया जाए एवं ओवर बर्डन के साथ ढेर नहीं किया जाये ।
16	ओवर बर्डन (OB) को केवल निर्धारित डंप साइट (साइटों) पर ही रखा जाए और लम्बे समय तक नहीं रखा जाए । डंप
	की अधिकतम ऊँचाई 20 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, प्रत्येक चरण की अधिकतम ऊँचाई 10 मीटर होना चाहिए

	और डंप की ढलान 35 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए । ओबी डंप को बैकफिल्ड किया जाएगा और कटाव और सतह
1.7	के अपवाह को रोकने के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रजाति के पेड़ों के साथ वैज्ञानिक रूप से वृक्षारोपण किया जाये ।
17	पुनर्वासित क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वनस्पति पूर्ण विकसित न हो जाए ।
	अनुपालन की स्थिति छह मासिक आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
4.0	भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी ।
18	पौधों की प्रजातियों के चयन सहित CPCB के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी.एफ.ओ. / कृषि
	विभाग के परामर्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा । वृक्षों के अलावा जड़ी-बूटियाँ और झाड़ियाँ भी वृक्षारोपण
	कार्यक्रम का हिस्सा होगी । वृक्षारोपण कार्यक्रम में कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को भी शामिल करेंगा । खनन क्षेत्र के
	पुनर्वास सिहत वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत
	सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा ।
19	वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी । खनिजों
	तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके
	संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमितयां होनी चाहिए । खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या
	अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण / सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें । खनिजों के
	परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये । खनिजों का परिवहन वन्य जीव अभ्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा ।
20	RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ-साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता
	—निगरानी (एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों,
	टोपोंग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना
	चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए
	निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये ।
21	परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और
	जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत
	किया जाये ।
22	खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
	अधिसूचना संख्या जीएसआर / 826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये ।
23	सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर
	पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय,
	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से
	प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।
24	काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के
	संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग / मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।
25	भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय,
	पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के
	भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।
26	खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही
	जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात्
	प्री-मानसून (अप्रैल-मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट-मानसून (नवबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए
	डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र.
	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।
27	खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर,
	1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय–समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया
	जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो)
	की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय
20	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।
28	परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के जल-भूवैज्ञानिक अध्ययन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी । यदि भूजल की गुणवत्ता और
	मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा और भूजल पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करने के बाद ही फिर से शुरू किया जाएगा ।
	पर ज्यापा पर लागू परण पर बाद हा ।पर त सुरू ।परवा जाएगा ।

प्रभाव काया से सहित अनिकां के लिए व्यावसायिक स्वाराय की जांव को जाये । अनिकां पर श्वसन योग्य स्विणि वृद्ध के संचर्क में आने के लिए आवधिक िमारानी की जाएगी और अमिकों के स्वास्थ्य का विकेर्ड बनाया जाये । अमिकों पर श्वसन में चार स्विणि वृद्ध के संचर्क में आने के लिए आवधिक िमारानी की जाएगी और अमिकों के स्वास्थ्य का विकेर्ड बनाया जाये । खनन से उनके स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के वो भे अमिकों के लिए जारकिकता कार्यक्रम और वोत्त सांवा उचकर के स्वास्थ्य उपायों के प्रमाव की समीक्ष के जिए जारकिका कार्यक्रम और वाले के स्वास्थ्य उपायों के प्रमाव की समीक्ष की जाएगी और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कारवाई की जाएगी । मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना वालिए । इसके लिए आवश्यक वालाशी भी निर्धा की जामी शिए । असे उसे हों के आवश्यक करायों भी निर्धा की जामी शिए । असे उसे हों में के सिर्ध आवश्य एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चल के लिए उपलब्ध कराया जाना वालिए । उसके लिए आवश्यक अमिकों के लिए आवश्य एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चल करेगा । असे असे से हों में का करने वाले अमिकों के लिए आवश्य एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चल करेगा । असे असे से हों में का मार्ग के सिर्ध की सांवास करायों हो सुनि विकार को सुनिश्चल के लिए असे का मार्ग के असे से हों से असे संबंधित अधिकारियों होश परियोजना की अतिम मंजूरी और मुनि विकार का विश्व होश की तारिख और संबंधित अधिकारियों होश परियोजना की अतिम मंजूरी और मुनि विकार कारे होश हो की तारिख और संबंधित अधिकारियों होश परियोजना की असे कार है से से संबंधित अधिकारियों होश परियोजना की का का का वार्यों के सुनिश्चल कराया । परियोजना महित होश होश होशा । असे असे हे असे संबंधित अधिकारियों होश परियोजना के से सुनिश्चल कराया । असे स्वास का स्वास के सुनिश्य करायोव सुनिश्चल कराया । असे स्वास का मार्योच होशा होशा होशा होशा होशा होशा होशा होशा		
संपर्क में आने के लिए आविकिक निगरानी की जाएगी और अमिकों के स्वाख्य का रिकॉर्ड बनाया जाये । खनन से जनके स्वाख्य पर पडने वाले प्रभाव के बारे में अमिकों के लिए जारफलना कार्यक्रम और व्यक्तिगत उपकरणों आदि के उपयोग जैसे एहित्याती उपायों को समय-समय पर बताया जाएगा । विमिन्न स्वाख्य उपायों के प्रभाव के सिनीया की जाएगी आरे जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी । मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना वाहिए । इसके लिए आवश्यक विमान की की जाएगी की जानी वाहिए ।  30 परियोजना प्रस्तावक खदान अमिकों के लिए आवश्य एवं पेयजल की समुचित खवश्या धुनिरिचत करेगा । पूत भरे कों में में में करने वाले अमिकों को सुरक्षात्मक श्रमत उपकरण प्रदान किए जाएगे और उन्हें सुरक्षा और स्वाख्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये ।  32 कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायिक (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।  33 चनन गतिविधियों के प्रभाव से आसामास की बरितयों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये ।  42रीजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनिसियल क्लोजए) होने की तारीख और सर्ववित अधिकारियों द्वारा परियंत मंजाल, भारत सरकार, भोषाल एवं म.प. प्रशुष्ट नियंत्रण बेठ के सुचित करेगा ।  34 परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनिसियल क्लोजए) होने की तारीख और सर्ववित अधिकारियों द्वारा परियोजना परियंत मंजाल, भारत सरकार, भोषाल एवं म.प. प्रदूषण नियंत्रण बेठ के मुचित करेगा ।  35 निर्वारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संख्यण कार्यों है आरक्षित किया जायेगा और इस राशि के व्यव की वर्षतर सूचना क्षेत्रीय कार्यावर, पर्यावरण कार्यों के लिए उपयोग नहीं हिंचा जाएगा । इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यव की वर्षतर सूचन की व्यवस्थ कार्यों पर्यावरण वार्यों के लिए उपयोग मंत्रावर कार्यों के लिए उपयोग मंत्रावर, भारत सरकार, भोषाल एवं म.प. प्रदूषण निर्यं को विद्या जाना आवश्यक होगा ।  36 कीरीय जायां कार्यावरण वन और जलवायु परिवर्त मंत्रावर, भारत सरकार, भोषाल एवं म.प. प्रदूषण निर्यं कार्यावरण स्वाद्य कार्यावरण स्वाद्य कार्यवरण कार्यवरण कर विद्य करना के परिवर्त मंत्रावर, भारत कर के स्वाद सामाच पर्यों में स्वाद्य कार्यवरण के स्वाद कर स्वाद हो कर विद्य कर विद्य सामाच कार्यवरण कार्यवरण कार्यवरण कार्यवरण कर विद्यावरण	29	खनन कार्यों से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की पहचान, मलेरिया उन्मूलन, एचआईवी, और खनिज धूल के संपर्क में स्वास्थ्य
स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रमाव के बारे में अमिकों के लिए जारफकता कार्यक्रम और व्यक्तिगत उपकरणों आदि के उपयोग जैसे एहितियाती उपायों को समाय-समय पर चलाया जाएगा । विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रमाव की समीक्षा की जाएगी और जांडा कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी । मांगे जाने पर इसे गिरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक धनराशि भी निर्धारित की जानी चाहिए ।  30 परियोग्वाना प्रस्तावक वादान अमिकों के लिए आवश्यक एवं पेयजल की सचुवित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा । इल मेरे क्षेत्री में काम करने वाले अमिकों को सुखातक श्वक्तन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रसुक्त पर प्रयोग्व प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये ।  32 कार्योर्ग्व रामिक्त करतावरित (CER) के प्रति मिवददाता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।  33 चनन गतिविवियों के प्रमाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये । परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनसियल क्लाजर) होने की तारिख और सर्ववित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अतिम भेजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारिख की स्वे में क्षेत्रीय कार्यावर पर्ववरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं मप्त प्रसूचण नियंत्रण बोर के में स्वेत्रीय कार्यावर पर्ववरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कार्यों के तिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित क्या जायेगा इस राशि के उपयोग अन्य को वर्धवार सुवना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यवरण सन्त्रीय की अलग स्वात में सुरक्षित क्या जायेगा और इस राशि के व्यवस्था कार्यों के अनुपालन की निगरानी करेंगे । पर्यावरण प्रमाव आकल्ता रिपोर्ट, पर्यावरण प्रवेदन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं मप्त प्रमुक्त की तिया जाना आवश्यक होगा ।  37 परियोजना प्रस्तावक हारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचावर और नगरीय निकायों के प्रमुक्त के असुक्त की एक स्वति होता कर सुवन परता सरकार, भोपाल एवं मप्त प्रवाद एक सुवन के की तिया जाना का अवश्यक होगा ।  38 परियोजना प्रस्तावक हारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय प्रमुक्त में प्रवाद निवरण मंत्र के प्रमुक्त के के कि एक सुवित के प्रवाद के प्रवाद के सुवन के परता कर प्रवाद के प्रवाद के प्रवाद के सुवन के प्रवाद के किए परता के प्रवाद के परता के प्रवाद के प्रव		
जैसे एडिवियाती उपायों को समय-समय पर चलाया जाएगा । विगिन्न खाख्य उपायों के प्रमाव की समीक्षा को जाएगी और जाड़ां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी । मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक चनराशि भी निर्धारित की जानी चाहिए ।  उर्व परियोजना प्रस्तावक खदान श्रमिकों के लिए आश्य एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ।  इल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये ।  उर्व कंपिरेट सामाणिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धा का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।  उर्व उत्तर परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनोसियल क्लोजए) होने की तारीख और सर्ववित अधिकारियों द्वारा परियोजना प्रतावक वित्तीय समापन (फाइनोसियल क्लोजए) होने की तारीख और मार्ववित अधिकारियों द्वारा परियोजना के अतिम मंजूरी और भृमि विकास कार्य शुक्त होने की तारीख के वारे में क्षेत्रीय कार्यालय, सरकार सरकार, भोपाल एवं मा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुवित करेगा ।  उर्व निर्मारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण सरसाण कार्यों हेतु आरक्षित किया जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सुचना होत्रीय कार्यालय, पर्यावरण न और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल एवं मा,प्र प्रसूषण बेर्ड के की दिया जाना आवश्यक होगा ।  अर्थी कार्यालय, पर्यावरण कोर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल एवं मा,प्र प्रदूषण बेर्ड द्वारा निर्वार कोर्या कार्या अपनत कोर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल एवं मा,प्र प्रदूषण बेर्ड द्वारा निष्पारी कार्यालय, पर्यावरण वार्य कोर कार्यालय, पर्यावरण वार्य कोर कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य के वित्य जाना कोर को दिया जाना आवश्यक होगा ।  अर्था कार्यक्त एवं संबंधित दस्तावेज के वित्य जाना आवश्यक होगा ।  उर्व परिवर्तन परवाद के परवेजित के वित्य जाना आवश्यक होगा ।  (ते प्रावित प्र प्रवेज मिला के प्रवित्य के कार्यक कार्यालय वार्य के स्वार परिवर्त मंत्रालय, भारत सरकार मारी किया परवादण परवर्त के साम्य के परव्य कार्य के प्रवेज के साम्य के परवेजना को परवेजना को परवेजना को परवेजना के परवित्य मारवित्य मारवित्य मारवित्य मारवर्य परवर्य परवित्य मारवित्य मारवित्य मारवित		
और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाहुं की जाएगी । मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए । इसके लिए आवश्यक धनराशि में निर्धारित की जानी चाहिए ।  30 परियोजना प्रस्तावक खदान श्रीमेकों के लिए आश्रय एवं प्रेयजान की समुशित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ।  31 भूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये ।  32 कार्पिट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता को कठाई से पालन किया जाना चाहिए ।  33 खनन गतिविधियों के प्रमाव से आरापास की बरितयों को कथाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये ।  34 परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भृति विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में केतीय अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भृति विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में केतीय कार्यात्व, पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रात्व, गारत सरकार, गोपाल एवं म.प. प्रदूषण नियंत्रण बारे के तारीख कार्यात्व, पर्यावरण वन और जलवायू यरिवर्तन मंत्रात्व, भारत सरकार, गोपाल एवं म.प. प्रदूषण कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनराशि को अवला खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यव की वर्षवार सुन्वना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रात्व, भारत सरकार, गोपाल एवं म.प. प्रदूषण नियंत्रण वार्या के विचा जाना आवश्यक होगा ।  36 केत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रात्व, भारत सरकार, गोपाल एवं म.प. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  47 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वादेत केत्रीय जाना आवश्यक होगा ।  48 परियोजना परतावक द्वारा पर्यावरण स्वादेत केत्रीय जाना आवश्यक होगा ।  48 परियोजना परतावक द्वारा पर्यावरण स्वादक केत्र व्यावन केत्र स्वात्रण स्वारण स्वत्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वत्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्रण स्वात्		
व्यक्तिए । इसके तिए आवश्यक धनंताशि भी निर्धारित की जानी बाहिए ।   उ० परियोजना प्रस्तावक खदान अमिकों के लिए आश्रय एयं पेयजल की समृधित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ।   वृत्त गरे क्षेत्रों में काम करने वाले अमिकों के लिए आश्रय एयं पेयजल की समृधित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ।   वृत्त गरे क्षेत्रों में काम करने वाले अमिकों के लिए आश्रय एयं पेयजल की समृधित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ।   वर्जापेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।   उत्त चन गतिविधियों के प्रमाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये ।   परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबधित अधिकारियों द्वारा परियोजना प्रतिवृत्ती नंत्रालय, भारत रास्त्रार भोपाल एवं म.प. प्रपूषण नियंत्रण बांडे के प्रतिवृत्त करेगा ।   निर्धारित आवश्यक चनराशि को केवल पर्यावरण संख्लण कार्यों हेतु आरक्तित किया जायेगा और इस राशि के वर्वाय सुवानों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनराशि को अतग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के वर्वया स्वाना को विया जाया आवश्यक होगा ।   क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प. प्रदूषण नियंत्रण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प. प्रदूषण नियंत्रण बोडी को दिया जाना आवश्यक होगा ।   क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प. प्रदूषण नियंत्रण बोडी को दिया जाना आवश्यक होगा ।   विद्यालय के हारा पर्यावरण वर्च और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल एवं म.प. प्रदूषण नियंत्रण बोडी को दिया जाना आवश्यक होगा ।   विद्यालय केवल मित्रालय होगी निर्वालय स्वित्र केवल कार्यालय स्वालय केवल स्वालय स्वालय स्वल्त केवल स्वालय स्वल्त करात होगा ।   विद्यालय स्वल्त होगी निर्वलय स्वल्त केवल सुवलय स्वल्य केवल सुवलय स्वल्य सुवलय		
परियोजना प्रस्तावक खदान अनिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा     सूल मरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुखातक इससन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्योच पृष्ठीक्षण अपि जानकारी भी प्रदान के जाये     व्यवन गतिविधियों के प्रमाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये     परियोजना प्रस्तावक वित्तीय सामाण (फाइनीस्यक क्लोजार) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे से क्षेत्रीय कार्यालय, पारंत अरकार, भीपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुचित करेगा     निर्मारित आवश्यक हागरा को केवन पर्यावरण संस्क्षण कार्यों हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनशि को अतम खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यव की वर्षशार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।   कीत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हारा निर्मारित शरातें के अनुपालन की निमारानी करेगे । पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रवंत्त्रण संत्रालय, कार्यावर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हारा परियोजना प्रस्तावक हारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों , पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा परियोजना सरवावर एवं साथ कार्यवरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों , पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा वार्य होता परियोजना सरवावर हारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति क्रमानीय निकायों , पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ हो से सरकार के संबंधित इलाकों की स्थानीय भाषा में होगा ।		
शूल मरे क्षेत्रों में काम करने वाले अमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये     कंपीपेट सामाजिक उत्तरदायित (CER) के प्रति प्रतिवद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए     खनन गतिविधियों के प्रभाव से आसपास की बरितयों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये     परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनिस्थित क्लोजए) होने की तारीख को का में अधिकार पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंजालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा     निर्वर्तन मंजालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा     निर्वर्तन मंजालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा     निर्वर्तन मंजालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण कोर्यों के किया जायेगा इस राशि के व्यय की वर्षवार पहुना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंजालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण विवंत्रण कोर्यों के निर्या जामा आवश्यक होगा     के के विया जामा आवश्यक होगा     के के विया जामा आवश्यक वाली राजालया की स्वावरण संख्यक कार्यों के किया कार्यालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हारा निर्वर्तित कार्यावाया वालय कोरी को लिए उपयोग्य ना की राजालया की स्वावरण अधीय कार्यालय, पर्यावरण प्रमोद आकरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हारा निर्वर्तित कार्यावाया को स्वावरण अधीय कार्यालय, पर्यावरण प्रमाद और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करागा     परियोजना प्रस्तावक हारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचावर और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करागा     परियोजना सरवावकृति पत्र जारि होने के 7 दिनों के भीतर प्रतावक परियोजना हारा कम से कम से क्यानीय सामाचार पत्रों में विद्यान पर्वारण पंचारण पंचारण प्रमुखों करागा पर प्रवर्ध कराग होगा     परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रतावक परियोजना होरा कम से कम से क्यानीय सामाचार पत्रों में विद्यान को पर्वारण प्यावरण प्रवर्ध प्रवावरण प्रचर्ध प्रवावरण प्रवित्व को पर्वारण प्रवर		
पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये ।  32 कांपरिट सामाजिक उत्तरदायित्य (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।  33 खनन गतिविधियों के प्रमाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये ।  44 परियोजना प्रस्तावक वितीय समापन (फाइनंसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भृमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोधाल एवं मा.प. प्रदूषण नियंत्रण बारे के सूचित करेगा ।  55 निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संख्लण कार्यों हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित करेगा ।  56 विशेष अवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं मा.प. प्रदूषण बार्ड के दिया जाना आवश्यक होगा ।  57 विशेष कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं मा.प. प्रदूषण नियंत्रण बार्ड कीर अन्य आवश्यक एवं संबंधित रस्तावेज केया कार्यालय, पर्यावरण प्रवावन योजना, जल सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित रस्तावेज केया कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं मा.प. प्रदूषण नियंत्रण बार्ड के दिया जाना आवश्यक होगा ।  57 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण रचीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपस्ताव कार्या मंत्र पर्यावरण परीकृति प्रति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  58 वियोजना परतावक होग परावरण पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा।  60 प्रावरण पंज्री प्रदान की गई है के के वितर प्रस्तावक परियोजना द्वारा उपसारित करेगा के परियोजना को परावरण प्रमाव प्रमा हो यह पर चर्तिय कर्यावरण प्रमाव को परियोजना परतावक को पर्यावरण वार्य कार्यवर्ग मंत्र कर स्थाव परावरण पर्यावरण पंज्री प्रपात को पर्यावरण परावरण प्रमाव प्रति राज्य परावरण वार के राज्य वार परावरण मंत्र कर वार महिने के भीतर क्षेत्र को माधिक के परावरण परावरण परावरण वार्यवरण मं		
अर्थ काँपीरेट सामाजिक उत्तरदायित (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए	31	
खनन गतिविधियों के प्रमाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये		V
परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनंसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की अंतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के वारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पृचित करेगा ।  35 निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण सरक्षण कार्यों हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण बोर्ड को विया जाना आवश्यक होगा ।  36 क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होरा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे । पर्यावरण प्रमाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रवंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  37 परियोजना प्रस्तावक हारा पर्यावरण स्वीकृति को एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखें, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्रत्ना से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  38 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के रिवेगों के मीतर प्रस्तावक परियोजना हारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन वेगा, जिनमें से एक संबंधित इलाकों की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंत्रात्री प्रता की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ हो यह राज्य सररिय पर्यावरण प्रमाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट <u>www.mpseiaa.nic.in</u> पर भी उपलब्ध हे एवं इसकी एक प्रतंरण प्रमाव आकलन प्राधिकरण एवं वेन मंत्रालय, भारत सरकार, शोपात एवं कर अपलब्ध के स्थान वित्रा नियंत्रण पर्यावरण प्रसावक के पर्यवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, शोपात कर उन हाहीन के भीतर क्षेत्रीय हार्यावरण परकर कर सक्षम प्रविक्त नेत्रावर		कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।
अंतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायू परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा ।  35 निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संरक्षण कार्यों हेतु आश्वित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, भयंवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  36 क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हारा निर्धारित हार्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे । पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रवंचन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावंज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बौर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  37 परियोजना प्रस्तावक हारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकारों, पंचायत और नगरीय निकारों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्रापित किया कारामारी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  38 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना हारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन स्वाकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों क प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय जायंतरण पर्यावरण प्रमाव प्रति करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रवान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव अकलन प्राधिकरण प्रमाव प्रति एक परि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रवान के मार है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव के राज्य निरंप पर्यावरण प्रमाव प्रपर्व के नियंत्रण प्रमाव को कार्य के स्वाव प्रयावरण पर्यावरण स्वावरण विवरण विवरण विवर नियम और राज्य विवरण पर्यावरण प्रमाव और उत्तय पर्यावरण प		
परिवर्तन मेंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा ।  किर्मिरित आवश्यक धरमाशि को कंकल पर्यावरण संस्क्षण कार्यों हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग जन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनशि को अलग खात में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को स्वावरण प्रमाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रवेधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकार्यों, पंचायत और नगरीय निकार्यों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  क्षिण्योजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंज्ञण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य प्रदूषण प्रमाव आंकलन प्राधिकरण (स्पर्देखण प्रमाव भीत पर्यावरण प्रमाव अधिकरण (स्पर्देखण मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसी और अन्य सरकार एजेंसि के ने स्थानीय साथा के भीती जाएगी ।  परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, सीपीसी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा परवारण मंत्रालय, पर्यावरण स्वावरण मंत्रालय, मारत सरकार के सक्षम प्राधिकरण मंत्रालय, मारत सरकार, सीपीसी और अन्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण मंत्र सरकार के सक्षम प्राधिकरण मंत्र जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसी और अन्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण मंत्र के भारत सरवारण स्वावरण स्वावरण स्वावर के भारवेक मंत्र	34	
निर्धारित आवश्यक धनराशि को कंवल पर्यावरण संख्लण कार्यों हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।   अते विश्व आवार्य पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हारा निर्धारित शतों के अनुपालन की निरामनी करेंगे । पर्यावरण प्रमांव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रवर्चन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज के किया जाना आवश्यक होगा ।   परियोजना प्रस्तावक हारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकार्यों, पंचायत और नगरीय निकार्यों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।		
कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  36 क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे । पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रवेधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एतं संबंधित त्यरतावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण न और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  37 परियोजना प्रस्तावक हारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकार्यों, पंचायत और नगरीय निकार्यों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  38 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना हारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित हलाको की स्थानीय भाषा में होगा ।  48 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना हारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन वंग्रा, जिनमें से एक संबंधित हलाको की स्थानीय भाषा में होगा ।  39 परियोजना प्रस्तावक को पर्यातरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों हारा समय—समय पर जारी निर्देशों दिसानिवर्शों को कड़ाई से पालन करना होगा ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुज्ञाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्याव्य, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों हारा समय—समय पर जारी निर्देशों को जाड़ई से पालन करना होगा ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रयोवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकार के सीपतिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण के निर्या परिवर्तन नियामक प्राधिकरण को अधिनयन परवित का अधिकार है और संतोवन मा अधिकरण हो सी है ताकि		
की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण वोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे । पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकार्यों, पंचायत और नगरीय निकार्यों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध करएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  वर्षियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित हलाको की स्थानीय माणा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रवार के परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपासीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सोपाल, पर्वावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सोपाल, परविक्त ने अधिकार है जे परवर्ग के अधिवार है आपर कार्यवर्ध करने का अधिकार है परवर्ग परविक्त सुक्त कार्यावर्ध करने का अधिकार है परवर्ग परविक्त करने का अधिकार है और स्वावर्ध करने का अधिकार भी है ताकि सुक्ताए एस सुक्त करनी में प्रत्यवरण को सोव्यवरण अपन को रोक्वया परवर्तन मंत्रालय, भार	35	
बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  36 क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे । पर्यावरण प्रमाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित वस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  37 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  38 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित हलाको की स्थानीय भाषा में होगा ।  38 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित हलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव अकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट <u>www.mpseiaa.nic.in</u> पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प. प्रदूषण कि नेवत्रण छोर और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारण को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलंडर वर्ष के 1 जून और । दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और राज्य अर्धाराक अर्धारिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण केत्रीय कार्यालय, पर्यावरण न और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल न और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल केत सिहत करन		
वे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे । पर्यावरण प्रमाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  दि प्राप्ति विनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  एरियोजना रचीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण प्रमाव पत्रि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव प्रति स्वावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव प्रति स्वावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य सरकार एवं सिकायित, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भीजी जाएगी ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिकारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यावर्ध कर के प्रति स्वावरण को प्रदेवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरण, माप्र के जार हो के भीतर क्षेत्रीय कार्यकर के सक्षम प्राधिकरण, माप्र के जार्य के कार्यकरण मंत्रल करने का अधिकार एवं सिकारिक सुद्या उपायों के कांवर्व करने का अधिकार प्रतिवर्ग (संर्याण) अधिनियम, 1986 के प्राधीनिय (बीमा) अधिनियम, वश		
निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे । पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  37 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  38 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.inपर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.inपर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल करना होगा ।  40 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाली और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्वेशों /दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्रधिकरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल पर्यावरण को स्वेत्रण के भीत्र के सक्षम प्रधिकरण, म.प्र. के पाल बोर के निर्वारण प्रपंत्रण करना प्रदेवन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं सिक्कि के प्रवित्व मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल के सक्षम प्रवित्व करने का अधिकार है, और यदि आवश्यकर हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प		
और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  137 परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा । ृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  38 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण प्रमाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.inपर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यावत्र, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  39 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों /दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव/सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीन के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तो करने का अधिकार से प्रत्येक्व के तेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारण पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं सिक्टन नियामक प्राधिकरण क्षेत्री कार्यांत्रण करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रमाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्का उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राधीनियम, 1974, वायु (प्रित्य विमा) अधिनियम	36	क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा
भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।  परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  दियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.in प्रभी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सोपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  परियोजना प्रस्तावक को प्रयोवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकरी को प्रसत्त की जाएगी ।  परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शतों कर्ष पर्यावरण प्रमाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्ता उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के प्रमावी कार्यान्य को सकरव और संतोपजनक तरीके से सुनिश्चत किया जा सके ।  इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, सार्वीनयम, 1991 और ईआईए		
परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।		
लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  38 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के मीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रमाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.inपर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  39 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यावरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्राधानों के तहत पर्यावरण में रोकथाम और सियंत्रण) अधिनियम वित्र (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा । ृति प्राप्ति दिनांक से आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।  38 परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.mic.inv भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  39 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रमाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रह करने सिहत कार्रीक करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्यन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिवर (वीमा) अ	37	
अगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा     उठ्ठ परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाकों की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट <u>www.mpseiaa.nic.in</u> पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।   उठ्ठ परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।   उन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।   परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येव कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यकार होगी ।   उत्त्य पर्यावरण प्रमाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुक्का उपायों को जोड़न का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के प्रसावी कार्यान्यन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चत किया जा सके ।   इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनयम, 1991 और ईआईए		
परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.in पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  परियोजना प्रस्तावक को प्रयोवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  परियोजना प्रस्तावक को मत्रोविक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और संपर कॉर्पी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  राज्य पर्यावरण प्रभाव ऑकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के प्रमावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चत किया जा सके ।  इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनयम, 1991 और ईआईए		
में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.inपर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  139 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  140 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  141 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉपट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  142 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चत किया जा सके ।  143 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.inपर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  139 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  140 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुझार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  141 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और संपष्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  142 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रह करने सिंहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके ।  143 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए	38	
स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.inपर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  39 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों /दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद करने सिहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीक से सुनिश्चत किया जा सके ।  इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट www.mpseiaa.nic.in पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  39 परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सिंहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।  परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सिहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सिहत कार्याई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीक से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
एजेंसियों द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।  40 जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श — सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शतों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सिंहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
<ul> <li>जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श ─ सुझाव / सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।</li> <li>परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।</li> <li>राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सिहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके ।</li> <li>इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए</li> </ul>	39	परियोजना प्रस्तावक की पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी
के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायुँ परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शतों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सिहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए	40	्रिजासया द्वारा समय–समय पर जारा निदेशा / दिशानिदेशा का कड़ाई स पालन करना होगा
और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।  41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीक से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए	40	
41 परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सिंहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरिक से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीिक से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए	4.1	
मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।  42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यिद आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सिहत कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीक से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए	41	परियाजनी प्रस्तविक की प्रत्यंक कलंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर की निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वाकृति निर्यमा और
42 राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीक से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित कार्रवाई करने का अधिकार भी है, तािक सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीक से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दाियत्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		मत्रालय, भारत सरकार, भीपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।
कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक तरीके से सुनिश्चित किया जा सके । 43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए	42	राज्य पयावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और
तरीके से सुनिश्चित किया जा सके ।  43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
43 इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
अधिनियम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए		
। आधानयम 1981, पर्यावरण (संरक्षण) आधानयम, 1986, सार्वजनिक दार्यित्व (बीमा) अधिनियम, 1991 और ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा ।	43	इन शतों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण)
आधसूचना, 2006 क प्रावधाना क तहत लागू किया जाएगा ।		अधानयम १९८१, पर्यावरण (सरक्षण) अधिनियम, १९८६, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, १९९१ और ईआईए
		आधसूचना, २००६ क प्रावधाना क तहत लागू ाकया जाएगा ।

44	मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्यावरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई
44	
	और शर्त निर्धारित कर सकता है ।
45	तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने या झूठे / गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऊपर उल्लिख्ति किसी भी शर्त
	का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण)
	अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है ।
46	इस पूर्व पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत
	निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर (यदि आवश्यक हो, तो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास होगी ।
47	अन्य सभी वैधानिक मंजूरी जैसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अगिनशमन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वन संरक्षण
	अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 आदि से डीजल के भंडारण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया
	जाएगा, जैसा कि संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों को लागू किया जाएगा ।
48	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी वेबसाइट पर निगरानी डेटा के परिणामों सहित निर्धारित पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के
	अनुपालन की स्थिति अपलोड करेगा और इसे समय–समय पर अपडेट करेगा साथ ही इसे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन
	और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल सीपीसीबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण
	बोर्ड को भेजा जाएगा । मानदंड प्रदूषक स्तर अर्थात् SPM,RSPM, SO2,NOx (एम्बिएंट स्तर के साथ-साथ स्टैक
	उत्सर्जन) अथवा परियोजना के लिए संकेतिक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मानकों की निगरानी की जाएगी एवं कंपनी के मुख्य द्वार
	के पास सार्वजनिक सूचना हेतु एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाये ।
49	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक फॉर्म–V में पर्यावरण विवरण, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य
	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत् निर्धारित किया गया है (तथा बाद में संशोधित अनुसार),
	को प्रस्तुत करना अनिवार्य है । पर्योवरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड
	किया जाये साथ ही एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्यालय को भी भेजा जाये ।
	। किया जाय साथ हा एमआइएफ क क्षत्राय कायालय का मा भेजा जाय ।

3. Case No 10521/2023 Dr. Satish Saini, Senior Manager - EHS, M/s TACC LIMITED, KH. No. 566, 584, 592 & 599, Village-Sirsoda, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas, (MP)-455118, Prior Environment Clearance for Manufacturing of anode material - 20,000 MTPA in an area of 40.4686 Ha. (Manufacturing of Anode Material-20000, Gypsum-4350, Graphitized coke fines-15790, CPC fine-6329, Furnace building refactory waste-100 TPA) at (Khasra No. 566/1, 584, 592 & 599) Village-Sarsoda, Tehsil-Sonkatch, District-Dewas, (MP). Caregory-5(e).

This is the case of Prior Environment Clearance for Manufacturing of Anode material under Category 5(e) at KHASARA. No. 566/1, 584, 592 & 599 at Village – Sirsoda (Notified IndustrialArea, Sirsoda), Tehsil - Sonkatch, District - Dewas, MP-455118, hence requires prior EC from SEIAA before initiation of activity at site. The application was online forwarded by SEIAA to SEAC for scoping so as to determine TOR to carry out EIA and prepare EMP for the project.

In the 681st SEAC Meeting dated 25/09/2023the TOR was recommended.

The EIA was presented by Env. Consultant Ms. Vasanti Tapadia and Dr.Manish Chandekar, M/s. Perfact Enviro Solutions Pvt. Ltd. Delhi and Project Proponent Dr. Satish Saini.

### After presentation PP was asked to submit following information:

- 1. Clarify solar energy contribution w.r.t. total electric power consumption.
- 2. Quantification of total energy shall be consumed through LED bulbs in the industry premises.
- 3. Proposal for E-vehicles with PUC ceretificate sahall be used in the industry premises.
- 4. Revised CER activities as suggesyed by the committee- as distribution of LED bulbs in the Magaria village, Eco-park development, health care through Chief Medical Officer, for horticulture promotion at Tribal village Bagli & Udainagar in association of Krishi Vigyan Kendra. Road safety awareness in association with the District Traffic Department and staff welfare and habitat development in the Kheoni WLS etc.

# 4. <u>Case No 10731/2023 Ms. Sangeeta Thakur, Lessee, R/o Village-Bamhani, Tehsil-Amla, District-Betul (MP)-460661, Prior Environment Clearance for Bramhanvada Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (5255 cum per year) (Khasra No. 190/2), Village-Brahmanwara, Tehsil-Amla, District-Betul (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक सुश्री संगीता ठाकुर एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	SANGEETA THAKUR, Lessee, R/o-Village- Bamhani, Tehsil- Amla, District- Betul (M.P.)
का नाम व पता	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	190/2 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड, भू—स्वामी 1.00 hectare. की सहमति परियोजना प्रस्तावक को प्राप्त)
स्थल	Village Bramhanvada, Tehsil Amla, District Betul (M.P.).

लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 482 दिनांक
<u> </u>	18 / 04 / 2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया बैतूल के पत्र कमांक 110 दिनांक 01/04/2017 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर—5255 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की प्रकृति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—5,255 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—5,255 घनमीटर / वर्ष
	है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र
अन्य खदानें	कमांक 1638 दिनांक 06/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक 1638 दिनांक 06/10/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक 1638 दिनांक 06/10/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में पक्का
	रास्ता एवं नदी स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत ब्राहमणवाड़ा जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक 17 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	26 / 01 / 2016 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपत्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार	उत्तर दिशा– लीज से लगा एक प्राकृतिक नाला निकल रहा है। इस संबंध
वर्तमान स्थिति	में परियोजना प्रस्तावक ने बताया की 50 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित
	किया है।
	पूर्व दिशा— पक्का रोड लगभग 178मी. परियोजना प्रस्तावक ने बताया की
	22 मी. का गैर खनन क्षेत्र प्रस्तावित किया है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—20 के सरल क्रमांक—25
	पर दर्ज है ।
L	L

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तों का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	50 प्रतिशत फेन्सिंग हो गई है।

ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति	7.50 बेरियर जोन में कार्य नहीं हुआ है।
एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण	कुँए की मरम्म्त, पेयजल व्यवस्था एवं
भौतिक लक्ष्य, बजट	स्कुल के बच्चो को पुस्तकों का वितरण
पौधा रोपण के संबंध में	45 पौधे प्रति हे. का लक्ष्य था जिसमें से
	पुरे लग गये है 250 पौधे वितरित किये
	छायाचित्र प्रस्तुत किये

ADS- समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये:—

- 1. खदान क्षेत्र के एक ओर फेंसिंग कार्य पूर्ण नहीं किया गया है अतः फेंसिंग कार्य का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम.पी में प्रस्तुत करें ।
- 2. उपर्युक्त स्थलों पर गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टेंक के निमार्ण करने का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम. पी में प्रस्तुत करे ।
- 3. पुर्नरक्षित बैंच वाईस प्रोडक्शन मेप
- 5. Case No 10732/2023 Shri Narendra Sihare, Proprietor, M/s Pooja Mineral, Tilak Ward, Ward No. 20, Civil Line, District-Mandla (MP)-481661, Prior Environment Clearance for Mugdara Dolomite Mines in an area of 2.22 ha. (Dolomite-20246, Laterite Soil-4600, OB-1065 TPA) (Khasra No.843), Village-Mugdara, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Narendra Sihare Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म. प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri NARENDRA SIHARE, Proprietor, Pooja Mineral, Tilak Ward, Ward no. 20, Civil Line, Mandla (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	843 (निजी परियोजना प्रसतवक स्वयं 2.22 hectare. की—नॉन फॉरेस्ट लेंड)

स्थल	Village – Mugdara , Tehsil – Nainpur , Mandla District (M.P.).
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला के पत्र क्रमांक 836
	दिनांक 12 / 06 / 2017 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया मण्डला के पत्र कमांक 38 दिनांक 17/08/2016 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर—20,500 एमटीपीए हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा डोलोमाइट—20,246 टीपीए, Lateritic soil-4600
	टीपीए एवं OB-1065 टीपीए हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित
	खनन् योजना अनुसार डोलोमाइट—20246 टीपीए एवं OB 6999 टीपीए है।
500 मीटर की परिधि में	, , ,
अन्य खदानें	कमांक 1230 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 06
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 31.673 हे. होता
	है, अतः प्रकरण बी–1 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	, , ,
अनापत्ति	कुमांक 1230 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र स्थित नहीं
	है और आवेदित स्थल आर.एफ.—703 की सीमा लाईन से लगा हुआ है ।
	पट्टेदार को उत्खनिपट्टा दिनांक 22/12/93 को स्वीकृत है । मध्यप्रदेश
	शासन, वन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ–5/16/81/10–3,
	भोपाल दिनांक 07 / 10 / 02 की कण्डिका—2(छ) अनुसार वर्ष 2002 से पूर्व
	स्वीकृत उत्खनिपट्टा में 250 मीटर की दूरी में स्वीकृत उत्खनि रियायत के
	संबंध में गठित समिति संबंधी आदेश लागू नहीं होंगे ।
तहसीलदार की	, , ,
अनापत्ति	कमांक 1230 दिनांक 21/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय / नदी / तालाब / बांध / स्टॉप
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है
חום / תעם עווו	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	१८   १८   १८   १८   १८   १८   १८   १८
नवावरा यम जंगावाररा	अपितत नहीं है
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—35 के सरल कमांक—23
4/1 1/41/1	पर दर्ज है ।
	11 401 0 1

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- $19. \ \ \text{Compliance of water/ air consents issued by MPPCB}.$
- 20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव / अनापित्त प्रमाण पत्र।
- 22. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।

23. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.

# 6. Case No 10733/2023 Shri Manglesh Jaiswal, Lessee, R/o Tilak Chowk Paratwara, Tehsil-Achalpur, District-Amravati (MH)-444805, Prior Environment Clearance for Thapoda Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (10830 cum per year) (Khasra No. 75), Village-Thapora, Tehsil-Bhainsdehi, District-Betul (MP) [DEIAA]

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन ईआईए का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Manglesh Jaiswal, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज		
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri MANGLESH JAISWAL, Lessee, R/o- Tilak Chowk Paratwara, Tehsil-Achalpur, District-Amravati (M.H.)		
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	75 (निजी–नॉन फॉरेस्ट लेंड)	2.00 hectare.	
स्थल लीज स्वीकृति	Village Thapoda, Tehsil Bhaisdehi, District Betul (M.P.). कार्यालय, संचालक एवं भौमिकी एवं खनिकर्म, म.प्र. के पत्र पृ. क्रमांक 4978—81 दिनांक 01/04/2016 के द्वारा स्वीकृत ।		
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर डिया ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । डिया बैतूल के पत्र क्रमांक 47 दिनांक 29/07/2016 के द्वारा पत्थर—10,830 घनमीटर/वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।		
प्रकरण की स्थिति उत्पादन क्षमता	डिया से सिया । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—10,830 घनः गया है और अनुमोदित खनन् योजन् घनमीटर ⁄ वर्ष है।		
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें		500 मीटर की परिधि में 01	

	है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र
अनापितत	कमांक 1359 दिनांक 09/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र
अनापत्ति	कमांक 1359 दिनांक 09/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव
	बसाहट / शैक्षणिक एवं पक्का रास्ता / नाला स्थित है, शेष 500 मीटर की
	परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत थापोड़ा जिला बैतूल के ठहराव प्रस्ताव क्रमांक—32 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	26 / 01 / 2014 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपित्ति नहीं हैं ।
Tree Felling -	खदान क्षेत्र में 02 पेड स्थित है परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दोनो
Additional tree to be	पेड काटे जावेगें।
planted -	
उत्तर पश्चिम दिशा	आबादी लगभग 240 मी पर है। प्राकृतिक नाला लगभग 41 मी. परियोजना
	प्रस्तावक ने बताया कि प्राकृतिक नाला के संबंध में 09 मी. का सेटबेक
	प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एक हॉलेज रोड जो कि
	लगभग 42 मी. पर है वह कच्चा रोड/आम रास्ता नहीं है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की
की स्थिति	अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—27 के सरल क्रमांक—62
	पर दर्ज है ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	फेन्सिंग एक तरफ पुरी तरह से अपूर्ण है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में कार्य नहीं हुआ है।
गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक की वर्तमान स्थिति	गारलेण्ड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक नहीं बनी है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण	स्कुल में पठन पाठन सामग्री का वितरण,
भौतिक लक्ष्य, बजट	पेयजल व्यवस्था, रोड मरम्मत, आदि के
	कार्य किये गये जिसके संबंध में छायाचित्र
	प्रस्तुत किये।
पौधा रोपण के संबंध में	पोधे 90 लगा दिये एवं 600 पेड बटवा

दिये गये है।

ADS- समिति द्वारा पुनः निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये गये:—

- 1. खदान क्षेत्र के एक ओर फेंसिंग कार्य पूर्ण नहीं किया गया है अतः फेंसिंग कार्य का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम.पी में प्रस्तुत करें ।
- 2. उपर्युक्त स्थलों पर गारलैण्ड ड्रेन, सेटलिंग टेंक के निमार्ण करने का प्रस्ताव बजट सहित ई.एम. पी में प्रस्तुत करे ।
- 3. स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये पुर्नरक्षित सरफेस मेप।
- 4. खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुये है अतः परियोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) प्रस्तुत करे ।
- 7. <u>Case No 10734/2023 Shri Sunil Kumar Arya (HUF), Lessee, R/o Ward No. 08, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP)-460330, Prior Environment Clearance for Chudiya Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (20000 cum per year) (Khasra No. 116, 130, 131), Village-Chudiya, Tehsil-Chicholi, District-Betul (MP).</u>

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Sunil Kumar Arya, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुएऔर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri SUNIL KUMAR ARYA (HUF), Lessee, R/o-ward no. 08, Chicholi, Tehsil-Chicholi, District-Betul (M.P.)	
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	116, 130 & 131 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड 2.00 hectare. परियोजना प्रस्तावक को भू—स्वामियों की सहमति प्राप्त)	
स्थल	Village -Chudiya , Tehsil- Chicholi, District- Betul (M.P.)	
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1285 दिनांक 26/07/23 के द्वारा स्वीकृत ।	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—20,000	

	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	, and the second
अन्य खदानें	कमांक 1727 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 01
	अन्य खदान संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.981 हे. होता
	है, अतः प्रकरण बी–2. श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	कमांक 1727 दिनांक 17/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 1727 दिनांक 17 / 10 / 2023 अनुसार 200 मीटर की दूरी कच्चा
	रास्ता एवं नहर स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा/ ग्राम	ι
पंचायत की अनापत्ति	16/05/2023 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
	कोई आपित्ति नहीं है ।
गूगल इमेज अनुसार	
वर्तमान स्थिति	दक्षिण पूर्व दिशा में एक नहर लगभग 164 मी. दूरी पर है। परियोजना
	प्रस्तावक द्वारा अवगत् कराया कि अनुमोदित खनन योजना के अनुसार
	लगभग 200 मी. का क्षेत्र नॉन माईनिंग क्षेत्र रहेगा। ततपश्चात अनुमोदित
	खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है । खदान क्षेत्र खुदा हुआ है,
	जिसको सरफेस मेप में दर्शाया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि
	खदान से लगा हुआ कच्चा रोड/आम रास्ता नहीं है, एक हॉलेज रोड है।
	पूर्व दिशा— परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया कि लगभग 165 मी.
	पर एक फार्म हाउस है, आबादी नहीं है।
	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1437
की स्थिति	दिनांक 24 / 08 / 23 अनुसार उक्त नवीन उत्खनिपट्टा को संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा।
	संविक्षण रिपाट में साम्मालत किया जावना। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु
	सिया को अनुशंसित किया जाये ।
	INAL AN MIZHINI INAL MIA I

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:-

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर—20,000 घनमीटर / वर्ष ।
- 1. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियों को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.78 लाख एवं रिकृरिंग राशि रू. 02.46 लाख प्रति वर्ष ।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
ग्राम चुडिया स्थित ग्राम पंचायत में अधोसंरचना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत उल्लेखित राशी भूप्रवेश के 3माह के अंदरप्रदान की जावेगी.	60000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनमें वृक्षारोपण	आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, मुनगा हाइब्रिड, महुआ अचार आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	600
2	परिवहन मार्ग में	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ,	260

	कदम्बइत्यादि ।एवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री—गार्ड के साथ	
ग्रामपंचायतभवन के पासउपलब्ध क्षेत्र में	पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिस्सू, कदम्ब, बरगद,पीपल, कचनार, नीम, चिरोल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	50
ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	1490

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना। परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

8. <u>Case No 10735/2023 Smt. Kiran Sharma, Owner, R/o Gram-Ganj Rampura, Mudikheda, District-Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Ganjrampur Soil Quarry in an area of 1.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No. 2873, 2875/2, 2886/1, 2886/2), Village-Ganj Rampur, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)</u>

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Smt. Kiran Sharma, Owner, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशिष त्रिपाठी, Director of AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Smt. Kiran Sharma, Owner, R/o Gram-Ganj Rampura, Mudikheda, District-Morena (MP)-476001, Prior Environment Clearance for Ganjrampur Soil Clay Quarry in an area of 1.00 ha. (2500 cum per year) (Khasra No 2873, 2875/2, 2886/1, 2886/2), Village-Ganj Rampur, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)	
परियोजना का खसरा नं./लीज क्षेत्रफल	खसरा नं. – एरिया– 1.00 ha., निजी भूमि, 2873, 2875/2, सहमति अनुबंध पत्र प्राप्त 2886/1, 2886/2,	
परियोजना स्थल	ग्राम— गंजरामपुर, तहसील— मुरैना, जिला— मुरैना (म.प्र.).	

СТО	लागू नही।	
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 527 दिनांक 08 / 05 / 2023.	
परियोजना की श्रेणी	बी-2.	
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	No Blasting Proposed (Semi-mechanized in In Soil Case).	
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि	लागू नही।	
लागू हो)		
उत्पादन क्षमता	<b>स्वाईल – 2,500</b> घन मी / वर्ष।	
परियोजना के 500 मीटर की परिधि	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल	
में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों	प्रमाण-पत्र क्रमांक 701 दिनांक 28/06/2023 अनुसार 500	
का विवरण।	मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नही है, इस	
	प्रकार कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के	
	अंतर्गत आता है।	
परियोजना के संबंध में डीएफओ की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल	
एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 701 दिनांक 28/06/2023 अनुसार 10	
	किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको	
	सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित	
	नहीं है।	
परियोजना के संबंध राजस्व	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल	
जानकारी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 701 दिनांक 28/06/2023 अनुसार 500	
	मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, नाला	
	इत्यादि स्थित नहीं है।	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत /	ग्राम पंचायत— गंजरामपुर जिला — मुरैना का ठहराव प्रस्ताव	
	कृ०. 18 दिनांक 02/10/2022 द्वारा अनापित्ति पत्र जारी	
	किया गया है।	
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान	Tree Felling - No	
स्थिति		
	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अवगत कराया गया कि खदान क्षेत्र	
अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक	तीन भागों में विभक्त है।	
आवश्यक हो)		
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मुरैना के एकल	
	प्रमाण-पत्र कमांक 701 दिनांक 28/06/2023 द्वारा अवगत	
	कराया है, कि उक्त खदान का नाम नवीन जिला सर्वेक्षण	
	रिपोर्ट मे जोड़ी जावेगी।	

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्वाईल 2,500 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. पर्योवरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 06.25 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.15 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
सी.ई.आर मद से 40,000 की राशी पालक शिक्षक संघ समिति ग्राम गंजरामपुर के शासकीय प्राथमिक शाला के खाते में शाला विकास कार्य हेतु जमा की जावेगी।	40,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे वृक्षारोपण	आम, अमरूद, जामुन, कटहल, मुनगा, सीताफल, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियां	300
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	750
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ 1 पेड़ों की न्यूतम ऊंचाई) ( मीटर	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150

9. Case No 10752/2023 Shri Sandeep Rai, Owner, Niwasi-Bichiya, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)-481885, Prior Environment Clearance for Bhardwara Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (3001 cum per year) (Khasra No. 62/5, 62/6, 65), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [419957] [DEIAA]

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Sandeep Rai, Owner एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स जेनिथ इंवायरमेंट कंसलटेंसी नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Sandeep Rai, Owner, Niwasi-Bichiya, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)-481885 Prior Environment Clearance for Bhardwara Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (3,001 cum per year) (Khasra No. 62/5, 62/6, 65), Village-Bhardwara, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) [419957] [DEIAA],
परियोजना का खसरा नं./लीज	खसरा नं.— 62 / 5ए एरिया— 2.00 ha., निजी भूमि
क्षेत्रफल	62 / 6ए 65ए. (मेहरा जाति—अनुबंध जमा कराश गया)
परियोजना स्थल	ग्राम– भरद्वारा, तहसील – शाहपरुा, जिला– डिण्डोरी (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 455 दिनांक 08/02/2017.
परियोजना की श्रेणी	बी—2.
जल / वायु सम्मति नवीनीकरण	Consent No:AW-115573 वैद्यता दिनांक 13/01/2025.
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	• Muffle Blasting (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण (यदि लागू हो)	डिया—डिण्डोरी के पत्र कमांक 825 दिनांक 24/07/2017 के माध्यम से पूर्व पर्यावर्णीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।
उत्पादन क्षमता	Gitti – 3,001 cum per year.
परियोजना के 500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी ़ के एकल
परिधि में संचालित / स्वीकृत	प्रमाण-पत्र कमांक 735 दिनांक 06/03/2023 अनुसार 500
अन्य खदानों का विवरण।	मीटर की परिधि में अन्य 01 खदान स्वीकृत है, जिनको मिलाकर
	कुल रकबा 2.70 हे. होता है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।
परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी ़ के एकल प्रमाण—पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला डिण्डोरी के एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 879 दिनांक 22 / 09 / 2023 अनुसार बरसाती नाला–50 मी., पक्का रास्ता–120 मी की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत /	ग्राम पंचायत— बडखेड़ा जिला — डिण्डोरी का ठहराव प्रस्ताव क0. 08 दिनांक 29 / 12 / 2018 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज	उत्तर दिशा— . पक्की रोड लगभग 60 मी.
अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	पश्चिम दिशा— प्राकृतिक नाला लगभग 39 मी.

जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला
	सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—142 के सरल क्रमांक—40 पर दर्ज है।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिंग की वर्तमान स्थिति	फेन्सिंग लगभग 75 प्रतिशत है
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। सामुदायिक भवन बनाया गया है। फोटोग्राफ प्रस्तुत नहीं किये है।
पौधरोपण कार्य	लगभग 500 पौधे कशर के पास लगाये है

#### परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :—

- 1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान में स्थित पिट को मुरूम से भर दिया गया है, अतः जियोटेग फोटो प्रस्तृत किया जायें।
- 2. गुगल ईमेज के अनुसार कुछ अन्य खदाने दिख रही है। अतः नवीन एकल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।
- 3. पक्की रोड लगभग 60 मी. एवं प्राकृतिक नाला लगभग 39 मी. पर स्थित है। अतः स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये पुर्नरक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत करें।
- 4. ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार फेन्सिंग एवं वृक्षारोपण के संबंध में परियोजना प्रस्तावक का वचन पत्र कि शेष बचा हुआ कार्य कब तक पूर्ण करेगें।
- 5. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रकरण के संबंध में सिमेति को श्री अघनु सिंह मेसराम, ग्राम सभा अध्यक्ष, पैसा एक्ट सिमति की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत में उठायें गये निम्न बिन्दुओं पर पृथक से जानकारी प्रस्तुत की जाये :—
  - खदान क्षेत्र के निकट स्थित सिचाई हेतु बनाई गई पक्की नहर की वस्तु स्थिति एवं इसके संरक्षण हेतु किये गये उपाय।
  - ग्राम भरद्वारा पैसा एक्ट के अंतर्गत चिन्हित होना बताया गया है। अतः पैसा एक्ट के अंतर्गत ग्राम सभा समिति से प्राप्त अनापत्ति / प्रस्ताव।
  - खदान संबंधि कोई भी न्यायालयीन वाद अथवा कोई निर्देश हो तो उसके संबंध में पूर्ण जानकारी।

- खदान के निकट प्राकृतिक नाले की वस्तु स्थिति एवं इसके संरक्षण हेतु किये गये उपाय।
- खदान क्षेत्र अथवा आसपास यदि कृशर या एम सेंड प्लान्ट की स्थापना की गई हो तो उसकी जानकारी प्रस्तुत करें।

# 10. <u>Case No 10753/2023 Shri Tarendra Baheliya, Lessee, R/o Village-Malimohgaon, Tehsil & District-Mandla (MP)-481665, Prior Environment Clearance for Khohari Stone Quarry in an area of 1.80 ha. (16500 cum per year) (Khasra No. 21/1, 21/2, 21/3), Village-Khohari, Tehsil-Nainpur, District-Mandla (MP) [DEIAA]</u>

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Tarendra Baheliya, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुएऔर उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक,	Shri TARENDRA BAHELIYA, Lessee, R/o- Village- Malimohgaon, Tehsil
परियोजना / कम्पनी	& District- Mandla (M.P.)
का नाम व पता	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	21/1, 21/2, 21/3 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड 1.80 hectare.
(सरकारी / निजी)	भू—स्वामी की सहमति परियोजना प्रस्तावक
	को प्राप्त है)
स्थल	Village Khohari, Tehsil Nainpur, District Mandla (M.P.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के पत्र क्रमांक 561
	दिनांक 10 / 08 / 2016 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
डिया ई.सी. का विवरण	डिया मण्डला के पत्र क्रमांक 83 .दिनांक 11/05/2017 के द्वारा
(यदि लागू हो)	पत्थर—1800 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—16,500 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—16,500
	घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	, , ,
अन्य खदानें	क्रमांक 1293 दिनांक 03/08/23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
	कोई खदान संचालित / स्वीकृत है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला मण्डला के एकल प्रमाण-पत्र
अनापत्ति	क्रमांक 1293 दिनांक 03/08/23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में

	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	उत्तर पश्चिम दिशा— पक्का रोड—लगभग 18 मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.—51 के सरल क्रमांक—92 पर दर्ज है ।

समिति द्वारा पूर्व में जारी ई.सी. में अधिरोपित शर्तो की समीक्षा के दौरान निम्न शर्तो का पालन प्रतिवेदन देखा गया —

डिया की ई.सी. में अधिरोपित शर्तों की समीक्षा	पालन प्रतिवेदन की वर्तमान स्थिति
लीज के चारों ओर फेन्सिग की वर्तमान स्थिति	फेन्सिंग कार्य अपूर्ण है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वृक्षारोपण की वर्तमान स्थिति एवं बेरियर जोन में 7.50 मीटर पर वृक्षारोपण	बेरियर जोन में पौधे नहीं लगे है।
ई.सी. में अधिरोपित शर्तों के अनुसार सामाजिक कार्य का विवरण भौतिक लक्ष्य, बजट	सामाजिक कार्य अपूर्ण है।
पोधरोपण वितरण	कार्य अपूर्ण है।

#### परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :—

- 1. गुगल ईमेज के अनुसार उत्तर पश्चिम दिशा में पक्का रोड—लगभग 18 मी.. पर स्थित है। अतः स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये पुर्नरक्षित सरफेस प्लान प्रस्तुत करें।
- 2. खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुये हैं अतः परियोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) प्रस्तुत करे ।
- 3. परियोजना प्रस्तावक द्वार बताया कि खनन कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा अतः इस संबंध में संशोधित माईनिंग प्लान सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित कराकर प्रस्तुत करें।

11. Case No 10755/2023 Sarla Jain, Owner, R/o Village-Baghraji, Tehsil-Kundam, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Bilsara Stone – 20,525 cum per year & Murram Quarry – 6000 in an area of 3.35 ha. (Khasra No. 321, 322, 394), Village-Bilsara, Tehsil-Kundam, District-Jabalpur (MP)

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक Sarla Jain, Online एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री आशीष त्रिपाठी मेसर्स ए.एस.जी. इंवायरमेंटल सर्विसेस प्रा. लि., दिल्ली उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Smt. SARLA JAIN, owner, Village- Baghraji, Tehsil - Kundam, District- Jabalpur (M.P.)
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	321, 322, 394 (निजी—नॉन फॉरेस्ट लेंड 3.35 hectare. परियोजना प्रस्तावक को भू—स्वामी को प्राप्त है)
स्थल	ग्राम BILSARA तसहील Kundam जिला Jabalpur (म.प्र.)
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र कमांक 481 दिनांक 06 / 07 / 2023 के द्वारा स्वीकृत ।
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर एवं मुरम—29,275 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—23,275 घनमीटर / वर्ष एवं मुरम—6,000 घनमीटर / वर्ष है।
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण–पत्र
अन्य खदानें	कमांक 540 दिनांक 17/07/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान संचालित/स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी का है।
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के एकल प्रमाण-पत्र कमांक 540 दिनांक 17 / 07 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र नहीं है । प्रस्तावित खदान 250 मीटर की परिधि में होने के कारण नारंगी वन क्षेत्र
	कमांक ओ. 704 से 50 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र में वृक्षारोपण
	करने तथा खदान स्वीकृति की दशा में वन, राजस्व तथा खनिज विभाग के
	दल द्वारा संयुक्त सीमांकन कर स्थायी सीमा पिलर तथा तार जाली से फेंसिंग की शर्त पर सर्वसम्मति से अनापत्ति प्रदान की गई है ।
तहसीलदार की	·

अनापि्ति	क्रमांक 540 दिनांक 17 / 07 / 2023 अनुसार 100 मीटर की दूरी पर पक्का रास्ता स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापत्ति	ग्राम पंचायत झिरमिरा जिला जबलपुर के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	कोई आपित्ति नहीं है ।
वृक्षा का वतमान स्थित	खदान क्षेत्र में 05 पेड है।
गूगल इमेज अनुसार वर्तमान स्थिति	दक्षिण पश्चिम दिशा— पक्का रोड 55 मी. इस संबंध में सेट बेक प्रस्तावित है।
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला जबलपुर के पत्र क्रमांक 541 दिनांक 17/07/2023 अनुसार उक्त खदान में संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् डीएसआर में सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जबलपुर का पत्र कमांक 1217 दिनांक 13/12/2023 प्रस्तुत किया जिसमें उल्लेख है कि निजी आदिवासी भूमि स्वामी की सहमति को कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत कर अभिस्वकृति का प्रतिवेदन प्रेषित करने के संबंध में है, उक्त निर्देशों के पालन में कलेक्टर महोदय के समक्ष आदिवासी भूमि स्वामी तथा पट्टेदार श्रीमती सरला जैन द्वार स्वयं उपस्थित होकर दर्ज करायें गये शपथ पूर्वक कथन दिनांक 12/12/2023 की अभिस्वीकृति की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतू पत्र के साथ प्रेषित की है।

परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि प्रस्तावित खदान 250 मीटर की सीमा में होने के कारण वन क्षेत्र क्रमांक ओ. 704 से 50 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित क्षेत्र में वृक्षारोपण करने की शर्त अनुसार उनके द्वारा 200 पौधे वन सीमा की ओर लगा। दिये गये है।

#### परीक्षण के उपरांत समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निम्न बिन्दुओं पर जानकारी एवं आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया :-

- 1. गुगल ईमेज के अनुसार समिति के सुझाव अनुसार उत्तर दिशा में रूट स्टाक दिखाई दे रहा है एवं दक्षिण पश्चिम दिशा में पक्का रोड—लगभग 55 मी. पर स्थित है अतः इस क्षेत्र को गैर खनन क्षेत्र छोडते हुये पुर्नरक्षित सरफेस प्लान एवं पुर्नरक्षित प्रोडक्शन प्लान प्रस्तुत करें।
- 2. चैनलिंग फेन्सिंग के बजट के साथ पुर्नरक्षित ईएमपी योजना।

- 3. समिति के सुझाव अनुसार पुर्नरक्षित सीईआर योजना प्रस्तुत करें।
- 12. Case No 10756/2023 M/s Ismail and Sons, R/o Near Mission Chowk, District-Katni (MP)-483501, Prior Environment Clearance for Tikariya Bauxite, Limestone, and Laterite Mine in an area of 16.187 ha. (Production-102028, Waste-6888 TPA) (Khasra No. 2/1 K, 2/2, 2/3 Kh, 2/5, 18/5 P, 55P), Village-Tikariya, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP) (TOR)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक श्री संजीव अधिकृत प्रतिनिधि एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री मुकेश कावरे, मेसर्स किएटिव इंवायो सर्विसेस, भोपाल (म.प्र.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	M/s ISMAIL AND SONS, SALES OFFICE :-Near Mission Chock , KATNI (M.P.) PIN Code :- 483501
का नाम व पता खसरा नं./ क्षेत्रफल	2/1 K, 2/2, 2/3 Kh, 2/5, 18/5 P, 55P (सरकारी   16.187 hectare.
(सरकारी / निजी) स्थल	— नॉन फॉरेस्ट लेंड)  Village – Tikariya, Tehsil Murwara, Distt. Katni (M.P.).
लीज स्वीकृति ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर प्रकरण की स्थिति	लेज अनुबंध दिनांक 09 / 04 / 2022ण प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है। नया प्रोजेकट ।
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE-102028 Tons per Annum (TPA) & Waste- 6888 घनमीटर / वर्ष हेत् आवेदन किया गया है
	ger Annum (TPA) & Waste- 6888 धननाटर / पर्प हतु आपदेन किया नया है। और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार BAUXITE, LIMESTONE & LATERITE- 102028 Tons per Annum (TPA) & Waste- 6888 है।
500 मीटर की परिधि में अन्य खदानें	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 2207 दिनांक 25 / 09 / 23 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य
वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	खदान संचालित / स्वीकृत नहीं है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 2207 दिनांक 25 / 09 / 23 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।
तहसीलदार की अनापत्ति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला कटनी के एकल प्रमाण–पत्र कमांक 2207 दिनांक 25/09/23 अनुसार 400 मीटर की दूरी पर मानव

	बसाहट स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।
	नगर पालिक निगम, कटनी के पत्र क्रमांक 2437 दिनांकअनुसार
पंचायत की अनापत्ति	प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से निगम को कोई आपत्ति नहीं है ।
	प्रस्तावित खनिज प्रमुख खनिज की ओने के कारण अनुमोदित जिला
की स्थिति	सर्वेक्षण रिपोर्ट लागू नहीं है ।

उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में समिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व निम्न विशिष्ट शर्तो के साथ टॉर जारी करने की समिति अनुशंसा करती है:—

- 1. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 2. खदान क्षेत्र में कुछ पेड़ लगे हुये है अतः परियोजना प्रस्तावक खनन् क्षेत्र में स्थित पेडो की इंवेन्ट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ) प्रस्तुत करे ।
- 3. प्रश्नाधीन खदान के के समीप गुगल ईमेज के अनुसार आबादी दिखाई दे रहीं है अतः खदान के संचालन से रहवासी इलाके पर क्या प्रभाव पड़ेगा की स्टडी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- 4. खदान क्षेत्र की कोनोलॉजी ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 5. ई.आई.ए. अध्ययन के दौरान क्षेत्र में 04 से 05 स्थानों (जिसमें से एक स्थान आवंटित खनन् क्षेत्र के बैरियर जोन में हो) पर 01 मीटर X 01 मीटर X 01 मीटर का ट्राईल पिट खोद कर उसके स्वाईल प्रोफाइल का अध्ययन कर वृक्षारोपण का स्थान, प्रजाति एवं रोपण योजना का विवरण ई. आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 6. यदि भू—जल का प्रतिछेदन प्रस्तावित हो तो लीज एरिया का हाइड्रो जियोलॉजीकल अध्ययन कर ई.आई.ए. रिपोर्ट में उल्लेख करें ।
- 7. रेनवॉटर हार्वेस्टिंग तथा रिवर रिजुविनेशन हेतु किसी विशेषज्ञ द्वारा एक्यूफर, परकोलेशन टेंक, रिर्चाज शॉफ्ट एवं सब सरफेस डायक का अध्ययन कर प्रतिवेदन ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- ओव्हर बर्डन एवं टॉपस्वाइल मैनेजमेंट प्लॉन, ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाये ।
- 9. भूमि का वर्तमान लैंड यूज क्या है, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रतिवेदन तथा ऑल्टरनेट ग्रेजिंग लैण्ड मैनेजमेंट योजना ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।

13. Case No 10757/2023 Shri Murari Sharma, Owner, R/o House No. 77, Sawan Nagar, Lalghati, District-Bhopal (MP)-462030, Prior Environment Clearance for Kapton Murrum Deposit Quarry in an area of 7.00 ha. (45600 cum per year) (Khasra No. 242/239), Village-Kapton, Tehsil-Shyampur, District-Sehore (MP) (TOR)

प्रकरण आज सेक की 706वीं बैठक दिनांक 28/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

14. Case No 10769/2023 Shri Kapil Agrawal, Lessee, R/o Kurawar, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP)-465667, Prior Environment Clearance for Kankariya Meena Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (6000 cum per year) (Khasra No. 681, 682/1/1), Village-Kankariya, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP)

प्रस्तावित खदान का आज दिनांक 28 / 12 / 2023 को परियोजना प्रस्तावक Shri Kapil Agrawal, Online Lessee एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार Shri Ashish Tripathi, Director, AGS Environmental Services Pvt. Ltd. Delhi उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी / संस्थान का नाम व पता	Shri Kapil Agrawal, Lessee, R/o Kurawar, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP)-465667, Prior Environment Clearance for Kankariya Meena Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (6,000 cum per year) (Khasra No. 681,682/1/1), Village-Kankariya, Tehsil-Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP) [447498].
परियोजना का खसरा नं / लीज	खसरा नं.— एरिया— 1.00 ha., निजी भूमि
क्षेत्रफल	681,682/1/1,
परियोजना स्थल	ग्राम– कांकरिया़, तहसील – नरसिंहगढ़, जिला– राजगढ़ (म.प्र.).
सैंधातिक सहमति	पत्र क0. 382 दिनांक 24/05/2023.
परियोजना की श्रेणी	बी-2.
जल / वायु सम्मति नवीनीकरण	लागू नही।
खनन् कार्य ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	Single row Muffled Blasting (As per Parivesh Portal up-loaded information).
डिया द्वारा जारी ई.सी. का विवरण	लागू नही।
(यदि लागू हो)	
उत्पादन क्षमता	स्टोन – 6,000 cum per year.
परियोजना के 500 मीटर की	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ़ के एकल

परिधि में संचालित / स्वीकृत अन्य खदानों का विवरण। परियोजना के संबंध में डीएफओ की एनओसी	प्रमाण-पत्र क्रमांक 762 दिनांक 12/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदानें स्वीकृत नही है, जिनको मिलाकर कुल रकबा 1.00 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला राजगढ के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 762 दिनांक 12/09/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
परियोजना के संबंध राजस्व जानकारी	प्रमाण–पत्र क्रमांक 762 दिनांक 12/09/2023 अनुसार नहर–300 मी.,पक्का रास्ता – 200 मी. तथा सूखा नाला – 50 मी. की दूरी पर स्थित है।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत /	ग्राम पंचायत— कांकरिया, जिला — राजगढ का ठहराव प्रस्ताव क0. 03 दिनांक 20 / 02 / 2023 द्वारा अनापत्ति पत्र जारी किया गया है।
प्रस्तावित स्थल पर वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree existed - 06 Tree Felling - No
प्रस्तावित खदान की गूगल इमेज	e. e
अनुसार स्थिति (यदि सेटबैक आवश्यक हो)	पश्चिम दिशा— पक्का रोड लगभग ४६१ मी.
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला— राजगढ के पत्र कमांक 762 दिनांक 12/09/2023 द्वारा अवगत कराया कि उक्त खदान का नाम जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोडी जावेगी। सिमित ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघाँत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन (गिट्टी)— 6000 मी<sup>3</sup> प्रति वर्ष।
- 2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।
  - म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत कण्डिका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
- 2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.00 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.24 लाख प्रति वर्ष।
- 3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रू०. में)
ग्राम <b>कांकरिया मीना</b> के शासकीय विद्यालय विकास हेतु पालक शिक्षा संघ में उल्लेखित राशि जमा करी जावेगी	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अविध तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	उत्खनिपट्टे के प्रस्तावित बैरियर जोन सीमा में (500 <b>m</b> )	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— पीपल, मोलश्री , करंज, केस्टर, चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा , सिस्सू , नीम आदि।	300
2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग के दोनों ओर 200 मीटर तक	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— करंज, सप्तपर्णी , चिरोल, जंगल जलेबी, पुत्रंजीवा , नीम, सिस्सू , कटंग बांस आदि।	200
3	ग्राम कांकरिया मीना में ग्राम वासियो को फलदार पौधे वितरण हेतु	स्थानीय पौधों की प्रजातियां जैसे:— संतरा, पपीता, आम, मूंगा, कटहल, आवला आदि।	700

15. Case No 10770/2023 Shri Vikas Batra, Lessee, R/o Imli Mohalla, Tehsil-Ghodadongri, District-Betul (MP)-460443, Prior Environment Clearance for Dhadgaon Stone (Gitti) Quarry in an area of 1.78 ha. (Stone-9000, Murrum-4592 cum per year) (Khasra No. 350/2, 352/3/2), Village-Dhargaon, Tehsil-Ghoda Dongri, District-Betul (MP)

प्रस्तावित खदान बी—2 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Vikas Batra, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज							
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी	Shri VIKAS BATRA, Lessee, R/o- Imli Mohalla, Ghoda dongri, Tehsil-Ghodadongri, District- Betul (M.P.)							
का नाम व पता								
खसरा नं. / क्षेत्रफल	350/2 & 350/3/2 (निजी —नॉन फॉरेस्ट लेंड 1.78 hectare.							
(सरकारी / निजी)	ारियोजना प्रस्तावक को भू—स्वामी की नहमति प्राप्त)							
स्थल	VillagDhadgaon , Tehsil- Ghodadongri, District- Betul (M.P.)							
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के पत्र क्रमांक 1302							
	दिनांक 28 / 07 / 2023 के द्वारा स्वीकृत ।							
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।							
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेकट।							
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—9,000 घनमीटर / वर्ष एवं मुरम—4,592							
	घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—9,000 घनमीटर / वर्ष एवं मुरम—4,592 घनमीटर / वर्ष है।							
500 मीटर की परिधि में	गर्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र							
अन्य खदानें	कमांक 1602 दिनांक 04/10/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 02							
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 03.366 हे. होता							
	है, अतः प्रकरण बी–2 श्रेणी का है।							
वन मण्डलाधिकारी की	\							
अनापत्ति	क्रमांक 1602 दिनांक 04/10/2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में							
	नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250							
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।							
तहसीलदार की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,							
अनापत्ति	क्रमांक 1602 दिनांक 04 / 10 / 2023 अनुसार 500 मीटर में राज्य मार्ग स्थित है, शेष अन्य 500 मीटर की परिधि में नहीं है ।							

ग्राम सभा/ ग्राम	ग्राम पंचायत बॉसपुर जिला बैतूल के टहराव प्रस्ताव क्रमांक–12 दिनांक
पंचायत की अनापत्ति	17/04/23 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य से पंचायत को कोई
1919(1 9/1 01 11 11(1)	आपत्ति नहीं है ।
वृक्षों की वर्तमान स्थिति	Tree Felling -
	Additional tree to be planted -
गूगल इमेज अनुसार	
वर्तमान स्थिति	सेटबेक प्रस्तावित किया है।
	दक्षिण दिशा— पीपी ने बताया लगभग 120 मी कि कृशर के साईट ऑफिस
	स्थित है।
	उत्तर पूर्व दिशा– पक्का रोड लगभग 370 मी. एवं उत्तर दिशा में लगभग
	388 मी.
	पश्चिम दिशा—
जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल के एकल प्रमाण–पत्र
की स्थिति	कमांक 1602 दिनांक 04/10/2023 अनुसार उक्त खदान को नवीन
	डीएसआर में सम्मिलित किया जावेगा।
	समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण
	समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक
	29 / 07 / 22 (प्रकरण में 9261 / 2022 — जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक
	04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी
	पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु
	सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः पर्यावरण स्वीकृति में शर्तो के पालन के विषय पर जिला खनन् कार्यालय के माध्यम से इनकी शर्तो के सत्यापन की आवश्यकता प्रतीत होती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक—ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता पत्थर–9,000 घनमीटर / वर्ष एवं मुरम–4,592 घनमीटर / वर्ष ।
- 2. क्षतिपूर्ति के संबंध में:-
  - म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (5) के तहत संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा भूमि स्वामियों की क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु किये गये

प्रावधानों/उपबंधों का पालन भूमि स्वामियो को समक्ष में सुनकर भूमि के सतह अधिकार के संबंध में क्षतिपूर्ति का निर्धारण सुनिश्चित किया जाये।

- म.प्र. गौण खनिज नियम, 1996 के नियम 9 (क) एवं नियम,06(क) के प्रावधान अंतर्गत किण्डका 04 में किये गये प्रावधानों के अनुरूप सहमति धारक को उत्खनन पट्टा स्वीकृत होने पर, देय रॉयल्टी के 15 प्रतिशत के समतुल्य रकम का सहमति धारक को भुगतान सुनिश्चित किया जाये। उपरोक्त शर्तो का पालन भू-प्रवेश अनुमति के पूर्व सुनिश्चित किया जावें।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 08.49 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.06 लाख प्रति वर्ष ।
- 2. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01/02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि			
ग्राम पंचायत धाड गाँव में पालक शिक्षा संघ के अंतर्गत उल्लेखित राशी भूप्रवेश से 3 माह के भीतर प्रदान कर दि जावेगी	40000/-		

3. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2150 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियरजोनगैर खनन क्षेत्र में वृक्षारोपणमें	आंवला, सीताफल, गुआवा, आम, कटहल, मुनगा हाइब्रिड, महुआ अचार आदि वं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	550
2	परिवहनमार्गमें	करंज, पीपल, बरगद, पुतरंजीवा, महुआ, कदम्बइत्यादिएवंअन्य स्थानीय प्रजातियाँट्री–गार्ड के साथ	110
	ग्रामपंचायतभवन के पासउपलब्ध क्षेत्र में	पुत्रंजीवा, मोलश्री, सिरसू, कदम्ब, बरगद, पीपल, कचनार, नीम, चिरोल वं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ।	100
	ग्रामीणोंमेंपौधोकावितरण	संतरा, आमला, नींबू, सीताफल, आम, अनार, मुनगा , कटहल आदि एवं अन्य	1390

	स्थानीय	प्रजातियाँ
--	---------	------------

उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जायें एवं 03 वर्ष तक उन पौधों का रख—रखाव / मृत पौधों का बदलाव खनन् अवधि तक किया जाये । गरलेण्ड ड्रेन तथा सेटलिंग टैंक के बंड पर स्थानीय बीज बोबाई कर उनका सरंक्षण किया जाना । परियोजना प्रस्तावक ग्रामीणों में पौधों का वितरण के समय गॉव का नाम, लाभांवित व्यक्ति का नाम एवं प्रजाति का विवरण देते हुए पर्यावरणीय स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में शामिल करेंगे ।

# 16. <u>Case No 10771/2023 Shri Rajeev Shukla, Lessee, R/o 107, Lala Lajpat Rai Colony, Govindpura, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Shahpur Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (40001 cum per year) (Khasra No. 239/222), Village-Shahpur, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [432772] [DEIAA] (TOR)</u>

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/2023 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Rajeev Shukla, Online** एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज							
परियोजना प्रस्तावक, परियोजना / कम्पनी का नाम व पता	Shri RAJEEV SHUKLA, Lessee, R/O 107, LALALAJPATRAI COLONY, GOVINDPURA BHOPAL (M.P.)							
खसरा नं./ क्षेत्रफल (सरकारी/निजी)	239/222 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.00 hectare.							
स्थल	Village Shahpur, Tehsil Huzur, District Bhopal(M.P.).							
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 282							
	दिनांक 30 / 01 / 2017 के द्वारा स्वीकृत ।							
ब्लास्टिंग / रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।							
डिया ई.सी. का विवरण	डिया भोपाल के पत्र कमांक 850 दिनांक 26/07/2017 के द्वारा							
(यदि लागू हो)	पत्थर—18,000 घनमीटर / वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।							
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।							
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—40,001 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया							
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर—40,001							
	घनमीटर / वर्ष है।							
500 मीटर की परिधि में	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण–पत्र							
अन्य खदानें	क्रमांक २९८६ दिनांक ०५ / ०९ / २०२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में ०७							

वन मण्डलाधिकारी की अनापत्ति	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.424 हे. होता है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण—पत्र कमांक 2986 दिनांक 05 / 09 / 2023 अनुसार 10 किलोमीटर की परिधि में नेशनल पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है।
तहसीलदार की अनापितत	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के एकल प्रमाण-पत्र क्रमांक 2986 दिनांक 05/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/ बांध/स्टॉप डैम/नहर/ग्रामीण कच्चा/पक्का रास्ता/नाला नहीं है ।
ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की अनापित्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की स्थिति	एनओसी / ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कथन दिया है ।

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के पिरप्रेक्ष्य में सिमिति इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमिति अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- $10.\ \mathsf{EC}\ \mathsf{transfer}\ \mathsf{details}\ \mathsf{(if}\ \mathsf{any)},\ \mathsf{old}\ \mathsf{EC}\ \mathsf{no}.....\mathsf{date}.....$
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):

- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - e. Detail of plants distribution with list: name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - f. Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.
- 20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- 22. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 23. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।
- Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.
  - 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
  - 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 17. Case No 10772/2023 Shri Bharat Shukla, Lessee, R/o 107, Lala Lajpat Rai Colony, Govindpura, District-Bhopal (MP)-462023, Prior Environment Clearance for Shahpur Stone Quarry in an area of 3.00 ha. (40000 cum per year) (Khasra No. 239/222), Village-Shahpur, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) [432550] [DEIAA] (TOR)

प्रस्तावित खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत डिया द्वारा जारी पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के पुनर्मूल्यांकन टॉर का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/23 को परियोजना प्रस्तावक **Shri Bharat Shukla, Online** 

एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री राम राघव, मेसर्स ग्रीन सर्कल आईएनसी, बडौदा, गुजराज उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज							
परियोजना प्रस्तावक,	Shri BHARAT SHUKLA, Lessee, 107, Lala Lajpatrai Colony Govindpura							
परियोजना / कम्पनी	District- Bhopal (M.P.)							
का नाम व पता								
खसरा नं. / क्षेत्रफल	239/222 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 3.00 hectare.							
(सरकारी / निजी)								
स्थल	Village Shahpur, Tehsil Huzur, District Bhopal(M.P.)							
लीज स्वीकृति	कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला भोपाल के पत्र क्रमांक 288							
	दिनांक 30 / 01 / 2017 के द्वारा स्वीकृत ।							
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।							
डिया ई.सी. का विवरण	डिया भोपाल के पत्र कमांक 858 दिनांक 26/07/2017 के द्वारा							
(यदि लागू हो)	पत्थर—18,000 घनमीटर /वर्ष हेतु पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त है ।							
प्रकरण की स्थिति	डिया से सिया ।							
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्थर—40,000 घनमीटर / वर्ष हेतु आवेदन किया							
	गया है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार पत्थर–40,000							
	घनमीटर / वर्ष है।							
500 मीटर की परिधि में	,							
अन्य खदानें	क्रमांक 2984 दिनांक 05/09/2023 अनुसार 500 मीटर की परिधि में 07							
	अन्य खदानें संचालित / स्वीकृत है, इस प्रकार कुल रकबा 17.429 हे. होता							
	है, अतः प्रकरण बी—1 श्रेणी का है।							
वन मण्डलाधिकारी की	,							
अनापत्ति	क्रमांक २९८४ दिनांक ०५ / ०९ / २०२३ अनुसार १० किलोमीटर की परिधि में							
	नेशनल् पार्क / अभ्यारण्य / ईको सेंसेटिव जोन जैव विविधता क्षेत्र एवं 250							
	मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।							
तहसीलदार की	,							
अनापत्ति	क्रमांक २९८४ दिनांक ०५/०९/२०२३ अनुसार ५०० मीटर की परिधि में							
	मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय							
	महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय							
	राजमार्ग / संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अड्डा,							
	प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/तालाब/ बांध/स्टॉप							
	डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है ।							
ग्राम सभा/ ग्राम	·							
पंचायत की अनापत्ति	एनओसी / ठहराव प्रस्ताव प्रस्तुत करने का कथन दिया है ।							

जिला सर्वेक्षण वि	रेपोर्ट	परियोजना	प्रस्तावक	ने	बताया	कि	इस	खदान	का	विवरण	जिले	ा की
की स्थिति		अनुमोदित	नवीन र्वि	जेला	सर्वेक्ष	ण	रिपोर्ट	के	पेज	नं33	के	सरल
		क्रमांक—103 पर दर्ज है ।										

प्रस्तावित खदान की डिया के द्वारा पर्यावरणीय अनापित्त प्राप्त है उपरोक्त विवरण के परिप्रेक्ष्य में सिमित इस प्रकरण में ई.आई.ए. तैयार करने हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्टेण्डर्ड टॉर, एनेक्जर—डी में उल्लेखित मानक शर्तो व विशिष्ट शर्तो के साथ निम्न टॉर जारी करने की सिमित अनुशंसा करती है:—

- 1. Copy of Form-I
- 2. Land status/P2:
- 3. Area & Location with Khasra no:
- 4. Current Ekal Praman Patra
- 5. Status of Eco-Sensitive Zone (mentioned in Old & new Ekal Praman Patr/SEIAA Proposal/DEIAA EC)
- 6. Production capacity and year wise production details, in tabular form till today:
- 7. OB Dump and waste management with facts and figures:
- 8. Top soil management with soil profile:
- 9. Detail of old Environment Clearance with validity period:
- 10. EC transfer details (if any), old EC no.....date.....
- 11. Lease agreement details with compliance of LRC provisions
- 12. Water requirement (KLD):
- 13. Green Area: in hac. & Number of plants to be planted (Proposed)
- 14. No of trees & tree felling total tree inventory with photos:
- 15. Work Done under CER with coordinates, photos & verifiable proof:
- 16. Compliance of EC conditions (EC granted by DEIAA):
  - a. Tree plantation (Target/compliance/ Photographs)
  - b. GPS Photo graphs of at least 25% plantation for the proposed plantation.
  - c. Fencing work (Polygon with GPS photos showing complete fencing in total periphery)
  - d. GPS Photo graphs of Garland drains length & number & size of settling tanks
  - e. Detail of plants distribution with list : name of villager's, mobile number, number of plants name of village.
  - f. Verifiable proof of CER
- 17. Drone photograph of 500 m radius of proposed area.
- 18. Carbon footprint.
- 19. Compliance of water/ air consents issued by MPPCB.

- 20. प्रश्नाधीन खदान के 500 मी. की परिधि में स्थित संवेदनशील घटकों(जैसे प्राकृतिक नाला, नदी, नहर, आबादी कच्ची एवं पक्की सडक, पुरातत्व महत्व के स्थल इत्यादि ) की खदान से दूरी दर्शातें हुये एवं स्थानवार मापदण्ड छोडते हुये सरफेस मेप को ई.आई.ए. रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें ।
- 21. नवीन ग्रामसभा की ठहराव प्रस्ताव/अनापित्त प्रमाण पत्र।
- 22. कलस्टर मैनेजमेन्ट प्लान।
- 23. यदि प्रकरण पैसा ग्राम में स्थित है तो पैसा ग्राम सभा का प्रस्ताव।

Note: 1. Form-I should tally with presentation (PPT) figures.

- 2. Furnished data should be supported with Geo-tagged photographs
- 3. Surface plan should include over burden storage and details of crusher location (established/to be established) with all norms.
- 18. <u>Case No. 6029/2019 Smt. Namrata D. Upadhyay, C/o Mahabir Oil Industries, 26, SMall Factory Area, Bagadganj, Post & Dist. Nagpur, Mah 440008 Prior Environment Clearance for Manganese Mine in an area of 2.410 ha. (3,543 tonne per annum) (Khasra No. 322/2), Village Miragpur, Tehsil Waraseoni, Dist. Balaghat (MP).</u>

प्रकरण में समिति की पूर्व की 360वीं बैठक दिनांक 11/04/2019 को Manganese-3,543 tonne per annum हेतु पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ईआईए तैयार करने हेतु टॉर की अनुशंसा की गई थी, जिसकी वैधता दिनांक 10/04/2022 तक थी ।

परियोजना प्रस्तावक ने परिवेश पोर्टल पर फार्म—4 के साथ लीज आर्डर, ईएमपी, पीएफआर एवं संशोधित माइन प्लांन प्रस्तुत कर पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए ईआईए तैयार करने हेतु टॉर में एक्सटेंशन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकरण समिति की दिनांक 28/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आदित्य पंडित एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार **M/s. Vitasta Enviro Services Pvt. Ltd. Jaipur, Raj.** उपस्थित हुए ।

Chronology of the project					
S.No.	Details	Date			
1.	1st Lease sanctioned	C.L. Rawal vide letter no F3-3/1998/12/2, from 14.6.2000 -13.6.2020 for 20 years			

2.	C.L. Rawal Passed Away on	23.12.2003	
3.	Lease Transfer in favour of his Daughter (Smt. Namrata D. Upadhayay)	vide letter no 3/1998/12/2, Bhopal dated, 12.07.2006	
4.	Lease Validity	14.6.2020 to 13.06.2050 vide letter no kramank.2193/kha.li/2020, Balaghat dated: 20.03.2020	
5.	TOR issued (360th SEAC)	Vide letter no.260/PS-MS/MPPCB/SEAC/TOR/(360)2019, Bhopal Dated 15.5.2019	
6.	TOR Lapse	10.04.2022	
7.	The validity of TOR period was not considered during pandemic	from 1st April 2020 to the 31st March 2021  F.NO IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), Dated 8th June 2022, therefore TOR validity is extended for one year i.e 09.04.2023	
8	Public hearing conduction date	03.09.2021	
9	Baseline data (previous)	Dec 2019 to February 2020 (older than three years.	
10	Baseline data collection	March to May 2023  AS per OM F.NO IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), Dated 8th June 2022	

During Presentation PP submitted that the TOR was issued Vide letter no.260/PS-MS/MPPCB/SEAC/TOR/(360)2019, Bhopal Dated 15.5.2019 and valid for a period of three years for submission of EIA accordingly, the TORs will lapse after 10/04/2022. but the validity of TOR period was not considered during pandemic (from 1st April 2020 to the 31st March 2021) but vide MOEF&CC OM F.NO IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), Dated 8th June 2022, therefore the TOR validity is extended for one year i.e 09.04.2023. Now, they are requesting for extension in the validity of TOR for one year.

After deliberations, the committee recommends that the TOR validity may be extended for one year in the light of MOEF&CC OM F.NO IA3-22/10/2022-IA.III (E177258), Dated 8th June 2022 based on revised from-4 andother documents submitted by PP with following additional TOR point as —

- Taxonomy study of natural grasses of its food value and abundancity in around radius of 25 KMs of the project area.
- 19. Case No 7853/2020 Shri Yogendra Sharma S/o Shri Surajmal Sharma, R/o D.H. 14, 15, Parl Residency, Behind Sita Menor Hotel, Dist. Gwalior, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.836 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 3/1, 3/3/2, 3/4, 3/5), Village Gangapur, Tehsil Dabra, Dist. Gwalior (MP).

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 3/1, 3/3/2, 3/4, 3/5), Village - Gangapur, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.836 Ha.

SN	Projects Details			Remarks				
1.	Online Proposal No	<b>SIA/MP/MIN/174792/2019.</b> Ammndment)	SIA/MP/MIN/303574/2023 (E	EC				
2.	Proposal /Activity Name	Shri Yogendra Sharma S/o Shri Surajmal Sharma, R/o D.H. 14, 15, Parl Residency, Behind Sita Menor Hotel, Dist. Gwalior, MP,						
3.	Location of Project	Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.836 ha. (GITTI – 2000 CUM/YEAR, M-SAND - 48000 CUM/YEAR) (Khasra No. 3/1, 3/3/2, 3/4, 3/5), Village - Gangapur, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) [174792] [ECA-303574] FoR -EC Amendment.						
4.	EC Status (Fresh or Exp.)	Previous EC issued vide letter No. 4529 /MPSEIAA/20 dated 27/10/2020.						
5.	Water & Air Consent	Valid up to 30/11/2021.						
6.	Reasons for Amendment	Existing Configuration	Proposed Configu	ration				
7.		GITTI - 50000 CUM/YEAR	GITTI – 2000 CUM/YEAR M-SAND - 48000 CUM/Y					
8.	Lease Area (Govt./ Pvt.)	Private Land.						
9.	Area in ha.	1.836 Ha., Lease Period – <b>10</b> Year						
10.	Production Qty. in M <sup>3</sup> /Y	<ul> <li>GITTI – 2000 CUM/YEAR.</li> <li>M-SAND - 48000 CUM/YEAR.</li> </ul>						
11.				·				
	Documentary Details							

12.	Saidhantik Sahamati			
13.	Lease Agreement/ LoI	Revised Letter No 4344-46 dt. 17 /04/2023.		
14.	P-II form (Khasra	Private Land.		
	Panchshala)			
15.	M.O. Certificate (within	MO Letter No 1024 date 19 /06/23, <b>03 more Mine To</b>	otal Area –	
	500 mt. details)/ Ekal	4.948, Ha.,		
	Praman Patra			
16.	Tehsildar Certificate	Letter No. 1024 date 19 /06/23.		
17.	DFO NOC	Letter No 1024 date 19 /06/23.		
18.	Gram Sabha / Gram Par	Panchayat Tharav Prastav - 06 Dated 07/11/15.		
19.	Production Quantity as	DN. 496 date 09 /05/2023,		
	per Approved Mining			
	Plan			
20.	Env. Consultant	Shri Amar Singh Yadav, M/s A Series Envirotek India Pvt. Ltd.		
		Lucknow (U.P.)		
21.	EC details	EC issued vide letter No. 4529/SEIAA/2020 dt. 27/10/2020.		
22.	Consent Status	Valid up to 30/11/2023.( As per Parivesh Portal Information).		
23.	DSR	DSR Distt. – Gwalior Sr. No. 99 Page No. 40		
24.	PFR	Copy submitted.		
25.	Replenishment plan	NA m3/year		
	(Sand)			

The case was presented by the PP and their consultant wherein it was observed by the committee

जिसमें आज दिनांक 28/12/23 को परियोजना प्रस्तावक Shri Yogendra Sharma, Online\_एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री Shri Amar Singh Yadav, M/s A Series Envirotek India Pvt. Ltd. Lucknow (U.P.) उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया । प्रस्तुतीकरण के दौरान पीपी ने बताया कि यह ई.सी अमेन्टमेंट का प्रकरण है, जिसमें उत्खनन किये गये पत्थर से गिट्टी एवं एम सेंड का उत्पादन किया जावेगा। एम सेंड प्लांट खदान एरिया से लगे अन्य खसरे पर प्रस्तावित है, जो की स्वयं की भूमि है जिसमें यह गिट्टी और एम सेण्ड बनायेगें। पूर्व ई.सी में 50,000 घन मी. प्रतिवर्ष की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय प्रमुख खनिज विभाग, ग्वालियर कार्यालय से दिनांक 17/04/2023 माईनिंग प्लान संशोधित हुआ है। जो समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। संशोधित माईनिंग प्लान में एम सेंड प्लांट नये खसरे पर प्रस्तावि है तथा माईनिंग गतिविधि से सीधे जुडा नही है अपितु माईनिंग से प्राप्त पत्थर से एमसेण्ड का उत्पादन किया जावेगा। अतः यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि क्या स्वीकृत माईनिंग—क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित गतिविधि एमसेण्ड प्लान्ट को ईसी की प्रक्रिया में शामिल करते हुये इसका उल्लेख ई.सी में किया जाये अथवा नहीं, इस संबंध में सिया का मत अपेक्षित है।

• क्षेत्रीय प्रमुख खनिज विभाग, ग्वालियर के पत्र के द्वितीय पैरा में उत्खनित पट्टा में यांत्रिक किया से रेत निमार्ण का उल्लेख किया है ,परन्तु एमसेण्ड प्लान्ट की लोकेशन स्वीकृत प्लान में नहीं दर्शायी गई है उसके समीपस्थ दर्शाया गयी है, चूिक एमसेण्ड का निर्माण स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर प्रस्तावित किया गया है तथा समिति का विचार है कि उत्पादन के पूर्व म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सीटीई / सीटीओ पर्याप्त प्राप्त करना होगा अतः उक्त विषय पर सिया का अभिमत अपेक्षित है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए गए प्रस्तुतीकरण, पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक-ए अनुसार निम्नानुसार संशोधित पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:—

- 1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता GITTI 2000 CUM/YEAR. M-SAND - 48000 CUM/YEAR. |
- 2. परियोजना प्रस्तावक के अनुसार लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट प्रस्तावित नही है, अतः लीज क्षेत्र में क्रेशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट स्थापित करने की अनुमति नही दी जा सकेगी।
- 3. खनन क्षेत्र से बाहर प्रस्तावित माईन आधारित क्रेशर प्लान्ट / एम.सेंड प्लांट हेतु म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से नियमानुसार स्थापना एवं संचालन सम्मति प्राप्त करना होगी।
- 4. म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित केशर प्लान्ट / एम.सेड प्लांट में स्लरी प्रबंधन तथा वायु प्रदूषणरोधी उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित की जावेगी। 5. पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति पत्र क्रमाक 4529 दिनांक 27/02/2020 की शेष शर्ते यथावत
- रहेगीं तथा इन शर्तो के साथ रख कर पढी जावेगीं।
- 20. Case No 9358/2022 Shri Ayush Jain S/o Shri Ashok Kumar Jain, Hatpura, Tehsil -Agar, Dist. Agar Malwa, MP - 465441 Prior Environment Clearance for Stone & Msand Quarry in an area of 3.0 ha. (Stone - 10000 Cum per annum, M-sand - 10000 Cum per annum) (Khasra No. 92), Village - Badgon, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa (MP).

प्रकरण आज सेक की 706वीं बैठक दिनांक 28/12/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये ।

21. Case No 8743/2021 M/s Green Resources Solid Waste Management Pvt. Ltd, Shop No. 4, Sai Park, Misrod, Hoshangabad Road, Dist. Bhopal, MP - 462026. Prior **Environment Clearance for Proposed Integrated Solid Waste Management (ISWM)** 

project processing of 850 TPD Integrated Solid Waste comprises of composing plant and secure land filling facility (3,80,000 cum) at Adampur Chawani, Dist. Bhopal (M.P.). Land Area - 10.1171 ha. Cat. - 7(i) Common Municipal Solid Waste Management Facility (CMSWMF).Query EIA

This is case of Prior Environment Clearance for Proposed Integrated Solid Waste Management (ISWM) project processing of 850 TPD Integrated Solid Waste comprises of composing plant and secure land filling facility (3,80,000 cum) at Adampur Chawani, Dist. Bhopal (MP).

### In the SEAC 527<sup>th</sup> meeting dated 12.11.2021, wherein ToR was recommended.

PP has submitted the EIA report on line on Parivesh Portal which was forwarded through SEIAA and the same was scheduled in the agenda.

The EIA was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and PP Shri Mayank Dubey from M/s Green Resources Solid Waste Management Pvt. Ltd. Bhopal and Shri Saurabh Singh, AE, Nagar Nigam, Bhopal in the SEAC 671th meeting dated 24/08/2023.

After presentation committee asked PP to submit following information:-

- 1. Address all public hearing points and complaints made by Shri Dr. Subhash C. Pandey, Janpad Pnchayat / Gram Panchayat and residents of Bhopal area etc.
- 2. Leachate characteristics/ composition details.
- 3. Lineaments study of the proposed project site.
- 4. Justification of the waste proportionate including Legacy wastes to the site.
- 5. Material balance sheet.
- 6. Proposal for Miyawaki technique plantation in the govt. land of 7.9 ha. Land in the north side of the project site.
- 7. Revised plantation scheme and species.
- 8. Compliance of MPPCB/ CPCB visit compliance.
- 9. Analysis report of Ground water samples.
- 10. Tangible benefit of the adjoining area of this project.

The project proponent submitted query reply/clarification on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in their 671st meeting, held on 24.08.2023.

After query reply presentation committee asked PP to submit following information for further consideration of the project:-

- 1. Nagar Nigam Report regarding total waste generation in the city is estimated 850 TPD.
- 2. For Microbial analysis, sample collection shall be conducted by the project proponent from the any Central Government Institutes like ICAR- CIAE/ Soil Science Institute etc.
- 3. Clarification regarding CN ratio along with utility analysis of the manure generated through MSW.
- 4. Revised CER with physical target and time schedule as suggested by the committee.

The project proponent submitted query reply/clarification on PARIVESH Portal, which was asked by the SEAC in their 697<sup>th</sup> meeting, held on 23.11.2023

The query reply was presented by Env. Consultant Shri Umesh Mishra from M/s. Creative Enviro Services, Bhopal and PP Shri Vikash Gupta from M/s Green Resources Solid Waste Management Pvt. Ltd. Bhopal

The case was considered in its 706th SEAC meeting dated 28.12.2023 and the same was placed before the committee for perusal and necessary action. The response submitted by the PP was found adequate and satisfactory with the EIA/EMP which was presented by the PP and their consultant hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for proposed for Integrated Solid Waste Management (ISWM) Project for processing of 850 TPD Integrated Solid Waste Comprises of Composing Plant and Secure Land Filling facility (3,80,000 Cum) (area 25 Acre) at Khasra no. 195/1/14 Village - Adampur Chawani , Dist. Bhopal (MP). Env. consultant M/s. Creative Enviro Services , Bhopal. under Category 7(i), subject to the following special conditions:

#### (A) PRE-CONSTRUCTION PHASE

- 1. During any construction/plant erection activity, curtaining of site should be carried out to protect nearby areas.
- 2. For dust suppression, regular sprinkling of water should be undertaken.
- 3. The entire area should be covered with 03 meters MS sheets and due care should be taken for noise and vibration control during construction work.
- 4. PP will obtain other necessary clearances/NOC from respective authorities.

5. Provisions shall be made for the housing of construction/plant erection labor within the site with all necessary infrastructure and facilities such as mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structure to be removed after completion of the period.

#### (B) CONSTRUCTION PHASE

- 7. PPE's such as helmet, ear muffs etc should be provide to the workers.
- 8. Fire extinguishers should be provided on site during construction period.
- 9. Black carpet road should be provided to reduce dust suppression.
- 10. All vehicles carrying raw material should be covered with tarpaulin and unloading/loading activities should be stopped during windy period.
- 11. During construction phase, a settling tank should be provided and settled water should be reused for construction purpose.
- 12. Properly tuned construction machinery and good condition vehicles (low noise generating and having PUC certificate) should be used.
- 13. Waste construction material should be recycles as far as possible and remaining should be disposed off at a designated place in consultation with the local authority.
- 14. The landfill facility shall be developed as per the proposal submitted by PP with 1.5 mm thick HDPE liners, Geo-textile media, Drainage media, Gas evacuation system and leachate collection system. Sanitary landfill and all other facilities shall be installed/developed as per the CPCB guidelines.
  - 7. Peripheral plantation all around the project boundary shall be carried out using tall saplings of minimum 2 meters height of species which are fast growing with thick canopy cover preferably of perennial green nature.
  - 8. As proposed in the landscape plan & EMP, 3.35 hact—area will be developed as green belt with 8500 plant. Additional plantation of 9600 shall be done over adjacent land of 7.9 hact of Nagar Nigam through Miyawaki plantation. PP will also make necessary arrangements for the causality replacement and maintenance of the plants.
- 9. CFL/LED should be preferred over of tube lights. PP should explore the possibility of providing solar street light.
- 10. Provision for physically challenged persons be made so that they easily excess pathway/derive way for their vehicles.
- 11. Waste oil generated from the DG sets should be disposed off in accordance with the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 after obtaining authorization.

#### (C) POST CONSTRUCTION/OPERATIONAL PHASE

- 12. Fresh water requirement for the project shall not exceed 20 kl.
- 13. Land use breakup details as proposed by PP for this facility are as follows:

Land use Break-Up for proposed Facility			
Particulars	Area (Sq. Mtr.)		
Proposed Facility	MSW Processing Plant		
Address	Khasra No. 195/1/14, Adampur Chawani, Bhopal		
Plant and Machineries	8427 sqm (Presorting + Preparatory + Finishing)		
Office and administration	200 sqm		
Waste storage area	13575 sqm (Tipping + Windrow)		
Landfill Area	40470 sqm		
Road	8442 sqm		
Green belt area	75163 sqm		
Sub Total	146277 sqm		
Open Land	35427 sqm		
Total Land	181704 sqm		

- 14. As proposed, the sewage shall be treated through soak pit and septic tanks system.
- 15. The PP will establish the adequate leachate treatment facilities to achieve the M.P. Pollution Control Board (MPPCB) zero discharge norms.
- 16. As proposed, no effluent/leachate from the facility shall be discharged outside the premises and Zero discharge shall be maintained. PP should also install Internet Protocol PTZ camera with night vision facility along with minimum 05X zoom and data connectivity must be provided to the MPPCB's server for remote operations.
- 17. Treated leachate shall be sprayed on landfill for dust control, keep the windrows dry and excess leachates shall be utilized in spray drier. Regular leachate quality monitoring shall be carried out for relevant parameters and the monitored data

- along with the statistical analysis and interpretation should be submitted to the MPPCB.
- 18. Adequate numbers of ground water quality monitoring stations by providing piezometers around the project area shall be set up. The ground water quality monitoring shall be monitored as per the MPPCB norms. Sampling and trend analysis monitoring must be made on monthly basis and report submitted to the Ministry's Regional Office at Bhopal and MPPCB.
- 19. Spraying of "Ecosorb" should be performed on regular intervals to avoid any odour nuisance.
- 20. Magnetic flow meters shall be provided at the inlet/outlet of water supply point and records for the same shall be maintained and submitted to MPPCB regularly.
- 21. The PP should comply with the provisions made in Hazardous Waste (management, handling & Trans-boundary Movement) Rules 2016.
- 22. Dedicated parking facility for unloading of materials/wastes shall be provided in the facility premises. PP shall develop and implement good traffic management system for their incoming and outgoing vehicles to avoid congestion on the public road.
- 23. No hazardous and biomedical waste should be disposed off in this facility.
- 24. As proposed, 3.35 hact area will be developed as green belt with 8500 plant . Additional plantation of 9600 shall be done over adjacent land of 7.9 hact of nagar nigam thriugh Miyawaki plantation etc. with the following species

Year	Area (sq mt)	Number of Plants
1 <sup>st</sup>	18000	4500
2 <sup>nd</sup>	15500	3875
3 <sup>rd</sup>	33500	8375 @ 8500

	Proposed Plantation Detail			
Phase	Name of Tree/ shrub/Herbs	No. of Plants	Location	
1 st Year	Neem, Karanj, Kanak champa, Mango, Anjan, , KhamerPutran Jeeva, Bargad, Moleshree, Amaltash, Arjun, Achar, Ficus, Satparni, Sita Ashoka Tree etc with hedge of mehandi, ratranietc		within and around composting and land fill site	
	Total	8500		

- 25. All the commitments made in the Public Hearing shall be implemented by PP.
- 26. Proper fire fighting arrangements in consultation with the fire department should be provided against fire incident.
- 27. Fund should be exclusively earmarked for the implementation of EMP through a separate bank account.

#### (D) ENTIRE LIFE OF THE PROJECT

7. The proposed EMP cost is Rs. **161.00** Lakhs and Rs. 20.00 Lakhs /year are proposed as recurring expenses.

	Capital & Recurring Investment for Environmental Protection				
Sn	Particulars	Capital (Rs Lac		Recur	ring cost Rs in Lacs
1	Air Pollution Control Systems	- 0.84 (monitoring) + (Maintenance)			
2	Effluent treatment plant and soak pit etc and water quality monitoring	15		1.0 + 0.60 (monitoring) + 2.40 Lacs ( O&M Cost)	
3	Odour Management	02		0.20	
4	Noise Control (Acoustique enclosures etc.) and monitoring	02	0.30		
5	Green Belt dévelopment	13.02		3.91	
6	Occupationnel Heath Management	6.0 0.50			
7	Soil Environment	- 0.20			
8	Water Table Monitoring	- 0.25			
9	Miscellaneous	2.0	2.0 0.50		
10	Gas Collection/Management and Odor control measures (including spraying of ecosorb etc.)	120		9	
	Total	160.02	@161	19.94	@20
	Total Cost Pertaining To Environme	ental Asp	ects		
	Environmental Protection		161		20

8. **Under CSR activity Budget of Rs. 90. 00 Lakhs** are proposed for following social development activities and based on need base survey and Public Hearing Issues:

Budge	t proposed social development activities and based on need base su	rvey			
	Activities		<b>Budget In Lacs</b> ( <b>Rs</b> )		
		1 <sup>st</sup> year	2 <sup>nd</sup> Year	3 <sup>rd</sup> Year	
1.	Fund for Infrastructure development at Primary Health Center, at villages AdampurChawani,	-	5	15	
2.	Fund for Infrastructure development at school at Adampur Chawani	-	-	15	
3,	Fund for Infrastructure development at Madhav Rao Sapre Library Bhopal (MP)	6	6	-	
4.	Fund for Infrastructure development at Netaji Subhash Chandra Bose Hostel at Saliya Bhopal (MP)	-	13	-	
5.	Fund for wild life management and habitat development at Van vihar Bhopal	5	5	5	
6	Fund for monitoring and habitat development Tiger to DFO Bhopal	-	10	5	
		11	39	40	
Grant	Total	90			

- 9. As proposed, the green belt development / plantation activities should be completed within the first three years of the project and the proposed species should also be planted in consultation with the forest department.
- 10. Regular monitoring of Air, Noise, Waste Water, Solid Waste/Hazardous Waste, Ground Water and Soil etc. shall be carried out as per the norms prescribed by the M. P. Pollution Control Board.
- 11. The environment policy of the company should be framed as per MoEF&CC guidelines and same should be complied and monitored through monitoring cell. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 12. The environmental policy with Environmental Management Cell should be prepared with suitably qualified staff for implementation of the stipulated environmental safeguards and for monitoring functions shall be setup under the control of the Chief Executive of the company.

- 13. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 14. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air / water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB. All recommendations and pollution mitigative measures proposed in the EMP shall be binding for the project authorities.
- 15. In case of power failure, stand- by D.G. Set/s having power generation capacity equivalent to the requirement of power to run the facility shall be installed, so that the facility shall always be operated round the clock even in case of power failure.
- 16. For avoiding vehicle congestion /traffic jam within facility premises or outside road proper turning and parking space be provided. Also all internal roads shall be made pucca/bituminous top to avoid fugitive emissions.
- 17. The overall noise level in and around the facility area and D.G. Set shall be kept well within the standards by providing noise control measures including engineering controls like acoustic insulation hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation. The ambient noise level shall confirm to the standards prescribed under The Environment (Protection) Act, 1986 & Rules.
- 18. Pucca flooring / impervious layer shall be provided in the work areas, chemical/waste oil storage areas and chemical handling areas to minimize soil contamination.
- 19. Good housekeeping shall be maintained within the facility premises. All pipes, valves and drains shall be leak proof. Leakages from the pipes, pumps, shall be minimal and if occurs, shall be arrested promptly. Floor washing shall be admitted in to the effluent collection system for subsequent treatment and disposal. The storm water drains shall be kept separate and shall remain dry throughout the year except monsoon.
- 20. The project authorities should comply with the provisions made in the Hazardous Waste (management, handling & Trans-boundary Movement) Rules 2016, Plastic Waste Management Rules 2016, e-waste (Management) Rules, 2016, Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 and Solid Waste Management Rules, 2016 etc.
- 21. In case of any, change in scope of work, technology, modernization and enhancement of capacity/ built-up area/ project area shall again require prior environmental clearance as per EIA notification, 2006.
- 22. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity/

built-up area/ project area, addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.

# 22. Case No 9030/2022 M/s MOIL Limited, Formerly Manganese Ore (India) Ltd, "MOIL Bhawan", 1A, Katol Road, Dist. Nagpur, Mah. - 440013, Prior Environment Clearance for Manganese Quarry in an area of 0.789 ha. (500 Tonne per annum) (Khasra No. 157), Village - Bharweli, Tehsil - Balaghat, Dist. Balaghat (MP)

प्रस्तावित मैग्नीज खदान बी—1 श्रेणी के अंतर्गत पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के ई.आई.ए.का है, जिसमें आज दिनांक 28/12/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री विकास रंजन पारिदा, ज्वाईन्ट जनरल मैनेजर, माईन्स, एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमुल मजूमदार, मेसर्स वरदान इंवायरोनेट, गुरूग्राम, हरियाणा उपस्थित हुए और उनके द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण किया गया ।

परियोजना विवरण	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज	
परियोजना प्रस्तावक,	Shri Anant V Masade, Authorized Person, M/S MOIL LIMITED, Village-	
परियोजना का नाम व पता	Bharweli, Tehsil & District-Balaghat, Madhya Pradesh.	
खसरा नं./ क्षेत्रफल	157 (सरकारी —नॉन फॉरेस्ट लेंड) 0.789. hectare.	
(सरकारी / निजी)		
स्थल	Village- Bharweli, Tehsil & District- Balaghat (M.P.)	
लीज स्वीकृति	पूरक अनुबंध दिनांक 27/06/2022	
ब्लास्टिंग/रॉक ब्रेकर	अनुमोदित खनन् योजना अनुसार ब्लास्टिंग प्रस्तावित है ।	
टॉर	सेक की 556वीं बैठक दिनांक .02 / 03 / 2022 को अनुशंसित, सिया के	
	पत्र क्रमांक 3434 दिनांक 17/03/22 एवं पत्र क्रमांक 178 दिनांक	
	21 / 4 / 23 के द्वारा मैग्नीज—500 टीपीए के लिए टॉर जारी किया	
	गया है, जिसके अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए रिपोर्ट	
	समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।	
प्रकरण की स्थिति	नया प्रोजेक्ट ।	
उत्पादन क्षमता	परियोजना प्रस्तावक द्वारा मैग्नीज—500 टीपीए हेतु आवेदन किया गया	
	है और अनुमोदित खनन् योजना अनुसार मैग्नीज–500 टीपीए है।	
500 मीटर की परिधि में	प्रस्तावित खनिज मुख्य खनिज है, अतः 500 मीटर की जानकारी लागू	
अन्य खदानें	नहीं है ।	
वन मण्डलाधिकारी की	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
अनापत्ति	) के पत्र क्रमांक 5486 दिनांक 17/09/2020 अनुसार 10 किलोमीटर	
	की परिधि में नेशनल पार्क/अभ्यारण्य/ईको सेंसेटिव जोन जैव	
	विविधता क्षेत्र एवं 250 मीटर में वन क्षेत्र स्थित नहीं है ।	

तहसीलदार की अनापत्ति	तहसीलदार , बालाघाट के पत्र अनुसार 500 मीटर की परिधि में मानव बसाहट, शैक्षणिक संस्थान, चिकित्सालय, पुरातत्व धरोहर, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, रेल्वे लाईन/सार्वजनिक भवन/शमशान घाट/राष्ट्रीय राजमार्ग/ संवेदनशील क्षेत्रों जैसे : रेडियो स्टेशन, दूरदर्शन, हवाई अडडा, प्रतिरक्षा संस्थान एवं जलीय निकाय/नदी/ तालाब/
ग्राम सभा/ ग्राम पंचायत	बांध / स्टॉप डैम / नहर / ग्रामीण कच्चा / पक्का रास्ता / नाला नहीं है । ग्राम पंचायत भरवेली जिला बाालाघाट के ठहराव प्रस्ताव दिनांक
की अनापितत	02/10/2019 अनुसार प्रस्तावित स्थल पर खनन् कार्य का प्रस्ताव पारित ।
जन सुनवाई	PP submitted that during public haering, tree cutting, due to operation of this mine, harmful gas will be produced; facing water crisis, employment, water level is down due to underground mining etc points were raised. These points are incorporated in the project's EMP and CER activites.

During presentation PP submitted that this is a project of Mining of Manganese Ore through underground mining, proposed 200 meter below ground level. For Underground mining Cut & Fill Mining Method shall be applied, located at Village – Bharweli, Tehsil & District - Balaghat, Madhya Pradesh. Other salient features are:

- 1. Production capacity of 500 TPA over an area of 0.789 ha.
- 2. Lease Detail: total Mining Lease (ML) area is 0.789 hectare, Khasra No. 157;
- 3. Lease is valid till 30.06.2032.
- 4. Lease area categorization: Entire 0.789 ha area is govt. land (Road).

#### 5. Chronology of proposal:

PARTICULAR	DATE
Mining Plan under rule- 17(1) of MCR 2016 was approved by the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines Jabalpur vide letter number MP/Balaghat Manganese/RMP-12/19-20.	27.08.2019
Modified Mining Plan was approved by the Regional Controller of Mines, Indian Bureau of Mines Jabalpur vide letter number MP/Balaghat/Manganese/MPLN/G-07/2021-22/733 jabalpur	29.04.2022
Online application submitted for grant of ToR and accepted	29.04.2020 & 22.02.2022
ToR granted by SEIAA Madhya Pradesh vide letter no. 3434/SEIAA/22	17.03.2022
Baseline Data Collection Period.	October 2022 to

	December 2022
Draft EIA submitted to Madhya Pradesh Pollution Control Board.	01.05.2023
Public Hearing Advertisement	Jabalpur Express on 12.07.2023
Public Hearing conducted.	Nai Duniya on 12.07.2023 19.08.2023
Online Final EIA submitted.	19.09.2023

#### 8. SALIENT FEATURES OF THE PROJECT

DESCRIPTION	DETAILS
Name of the Project	Bharweli Manganese Mine
Production capacity	500 TPA
Mine lease area	0.789 ha.
Geological Reserves	124950 T
Mineable Reserves	4219 T
Grade of ore	10% to 48% Mn
Depth of Working	30 m  Working depth Minimum 190 mRL (143 bgl) (7 <sup>th</sup> Level)  Working depth Maximum 160 mRL (173 bgl) (8 <sup>th</sup> Leve)
Thickness of Crown pillar (m)	5
Thickness of Rib Pillar (m)	6
End Use of Mineral	ROM will be sorted to obtain Ferro-grade (>38% Mn) fines (36-38% Mn), LGHS (30-35% Mn) & Silica grade (25-30% Mn). They will be sold to Ferro industries, Bhilai Steel Plant & Steel Industries etc.
Mining Method & Technology	Underground Cut & Fill Mining Method

Drilling & Blasting	Drilling with compressed air operated jack hammer drill machines having 800 mm x 33 mm or 1600 mm x 33 mm  T.C. bit drill steels.  Blasting with 25 mm small dia explosives. Electric detonator will be used in underground Blasting.
Power requirement	The electricity connection will be taken from Madhya Pradesh Electricity Board, DG set are also proposed to be kept in case of failure of electricity.
Water requirement	Domestic Water Requirement: 1.125 KLD  Dust Suppression: 32 KLD  Plantation: 0.875 KLD  Total Water Requirement: 34 KLD  Source: Groundwater
	NOC Granted by CGWA on 04.07.2022 which is valid till 03.07.2024.
Man power	Project will generate employment for about 25 persons directly. In addition, more than 50-60 people will be benefited indirectly.
Fuel consumption	Diesel Consumption would be around 0.25 Lt/m³ of vol. handled. Specific Diesel consumption may be reduced by proper maintaining gradient of haul road and reducing waiting time of dumper. Specific consumption will be reduced from 0.25 Lt/m³ to 0.17 Lt/M³ in 5 years time.
Infrastructure	Requisite infrastructure will be developed for mining operation & allied activities such as Rest shelters, First-aid center, drinking water supply, Site-offices, and toilets within the mining lease as per requirement.
R & R Involved	None
No. of affected families	None
Estimated Cost of the project (Rs.)	Cost of Project: Rs. 1.63 Crore

Fund Provision for	Total EMP Budget – 17 Lac in 5 years
EMP (Rs.)	OH&S: Rs. 7.0 Lakhs

9. Geological Reserves

Mineral Reserve – 4219 Tonnes Mineral Resource – 120730 Tonnes

- 10. Mining Methodology: Underground Cut and Fill Method with hydraulic sand stowing.
- 11. Proposal for Production of Manganese ore: 500 TPA

### CER proposed by the PP were discussed. Committee suggested following points for inclusion in the CER proposal -

- Project proponent should distribute 1000 fruit bearing plants to local villages/gram panchayat in the first year of EC grant (towards eco restoration in the area).
- 1000 LED bulbs should be distributed by project proponent to local villages/gram panchayat in the first year of EC grant towards lowering electrical energy consumption for sustainability.
- Project proponent will conduct "Phytosociology study of main species in and around the Manganese bearing project area at Balaghat in consultation with State Forest Research Institute, Madhya Pradesh" and prepare report on the same to be submitted to the office of the Ministry at Bhopal.
- Project proponent will conduct "Scientific research and preparation of report in consultation with DFO/ Registered Scientific Body regarding knowledge of local community, species of concern and their availability and traditional uses and cultural values in and around Project area falls in Balaghat District of Madhya Pradesh". The report should be submitted to the office of the Ministry at Bhopal.
- Project proponent will conduct "Preparation of Study report on present agro forestry
  practices at Balaghat area inclusive of species diversity and design and recommendation
  for new innovation in consultation with SFRI and Local DFO, Madhya Pradesh. The
  report should be submitted to the office of the Ministry at Bhopal.
- Project proponent will distribute 10 nos. of I-Pads every year for the first 5 years (total 50 nos. of I-Pads) to the girl students coming under excellent category of results.

Above points were accepted by the PP and included in the CER.

#### Proposed EMP with budgetary provision.

S. No.	Particulars	1 <sup>st</sup>	2 <sup>nd</sup>	3 <sup>rd</sup>	4 <sup>th</sup>	5 <sup>th</sup>	Total (Lakhs)
1	Online Air Monitoring System	0	1	1	1	1	4
2	Dust suppression	0	0.5	0.5	0.5	0.5	2
3	Construction of Garland drain	1	0.25	0.25	0.25	0.25	2
4	Construction of Retaining Wall	2	0	0	0	0	2
5	Greenbelt Development	2	0.25	0.25	0.25	0.25	3
6	Dewatering Cost	1	0.25	0.25	0.25	0.25	2
7	Fire Fighting and Safety measures	1	0.25	0.25	0.25	0.25	2
Total		7	2.5	2.5	2.5	2.5	17

#### Ground Vibration Study from NIT-Raipur

During discussion PP submitted that as this is an underground mine hence, they have conducted Ground Vibration Study from NIT-Raipur for Bharweli 0.789 ha mine lease. It was noted that the only structure above the mine is tar road hence the study was conducted predominantly for the impacts of vibrations on this road.

#### The gist/ Conclusion of the study is as given below:

- ➤ Balaghat lease I mine (existing mine lease area of 182 ha.) is a century old mine. Historically no damage has been reported to the surface structures in or around the lease area due to blast-induced ground vibration.
- ➤ The mine uses very small-size blasts with significantly less charge/delay. In all three blasts monitored, seismographs did not trigger (trigger level 0.254 mm/s).
- ➤ The same blast design parameters practiced as Balaghat lease I mine shall also be used in Balaghat lease II mine (Lease II is 0.789 ha mine lease).
- ➤ The only structure above the proposed working is a tar road, which can withstand a very high ppv due to its built design. The cover of level 7 and 8 are 126 m and 156 m respectively.

- ➤ The above observations, facts, and ground vibration monitoring records infer that the proposed blast practice will not cause any damage to the tar road and other structures located around the lease boundary of the Balaghat lease II mine (0.789 ha).
- PP has obtained conditional NOC from Divisional Manager, M.P. Road Development Corporation Ltd. Chhindwara vide letter no. 1022 dated 19/09/2008 the same for presented before the committee.

After presentation committee observed that the EIA/EMP and other submissions made by the PP earlier were found to be satisfactory and acceptable, hence committee decided to recommend the case for grant of prior EC for Prior Environment Clearance for Manganese Quarry in an area of 0.789 ha. (500 Tonne per annum) (Khasra No. 157), Village - Bharweli, Tehsil - Balaghat, Dist. Balaghat (MP)

(MP) subject to the following special conditions:

#### I. Statutory compliance:

- 1. Project Proponent will follow the approved mining plan for production and development in the mine lease area.
- 2. Mineral rejects of grade over threshold value generated out of ROM handling will be stacked separately for future use.
- 3. Waste rock should be dumped at earmarked dumping sites with proper maintenance of dump height and slope as per guidelines. Dump slope should not be exceeding 37 degrees.
- 4. All conditions of the NOC from Divisional Manager, M.P. Road Development Corporation Ltd. Chhindwara vide letter no. 1022 dated 19/09/2008 shall be complied.

S.No	Condition
-	This Environmental Clearance (EC) is subject to orders/judgment of Hon'ble Supreme Court of
5.	India, Hon'ble High Court, Hon'ble NGT and Court of Law, Common Cause Condition as may
	be applicable.
	The project proponent complies with all the statutory requirements and Judgment of Hon'ble
6.	Supreme Court dated 2 <sup>nd</sup> August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of
	Common Cause versus Union of India & Ors before commencing the mining operations (if
	applicable to the project).

7.	The State Government concerned shall ensure that mining operation shall not be commenced till
/.	the entire compensation levied if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through
	their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of Judgments of hon'ble
	Supreme Court dated 2 <sup>nd</sup> August, 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in matter of
	Common Cause versus Union of India & Ors.(If application to the project).
8.	The Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal NBWL
0.	Clearance from MoEF&CC subsequent to the recommendation of the Standing Committee of
	National Board Wildlife, if applicable to the projet. (If applicable to the project).
9.	This Environmental Clearance shall become operational only after receiving formal Forest
9.	Clearance (FC) under the provision of Forest Conservation Act, 1980,if applicable to the project
	(if applicable to the project).
10.	Project Proponent (PR) shall obtain Consent to Operate after grant of EC and effectively
10.	implement all the conditions stipulated therein. The mining activity shall not commence prior to
	obtaining Consent to Establish /Consent to Operate from the concerned State Pollution Control
	Board/Committee.
11.	The PP shall adhere to the provision of the Mines Act, 1952, Mines and Mineral (Department &
11.	Regulation, Act, 2015 and rules & regulations made there under PP shall adhere to various
	circulars issued by Directorate General Mines Safety (DGMS) and Indian Bureau of Mines from
	time to time.
12.	The Project Proponent shall obtain consents from all the concerned land owners, before start of
12.	mining operations, as per the provisions of MMDR Act, 1957 and rules made there under in
	respect of lands which are not owned by it if applicable to the Project.
13.	The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office
10.	Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA(M) dated 29 <sup>th</sup> October 2014, titled "Impact of mining
	activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages
	are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease
	area".  The project proponent shall obtain necessary prior permission of the competent authorities for
14.	drawl of requisite quantity of surface water and from CGWA for withdrawal of ground water for
	the project.
	The Project Proponent shall inform the MoEF&CC for any change in ownership of the mining
15.	lease. In case there is any change in ownership of mining lease is transferred than mining
	operation shall only be carried out after transfer of EC as per provision of the Para-11 of EIA
	Notification, 2006 as amended from time to time.
	Nouncauon, 2000 as amended from time to time.

S.No	Specific Condition		
1	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जनसुवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी वादों का अनुपालन सुनिश्चित		
	करेगा एवं प्रत्येक वर्ष छमाही अनुपालन प्रतिवेदन	जमा करेगा ।	
2	परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार तालिका	में दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत् सिंचाई 5 वर्ष	
	तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि त	क रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण तथा रख-रखाव लीज	
	अवधि तक किया जायेगा	,	
	वर्ष	पौधों की संख्या	
	पहला	600	
	दूसरा		
	¾,,,,	60अंतराल वृक्षारोपण रखरखाव +	
		· ·	

	T		
	तीसरा	60 अंतराल वृक्षारोपण रखरखाव +	
	चौथी	60अंतराल वृक्षारोपण रखरखाव +	
	पांचवां	60अंतराल वृक्षारोपण रखरखाव +	
	कुल	840	
3	परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत किया जायेगा	निर्धारित बजट अनुसार गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित	
4	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज परिवहन हेत् ३	ाधिकतम 20 टन भार के डम्पर/ट्रक ही उपयोग में लिये जायें।	
5	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन क्षेत्र के पहुंच म डम्पर / ट्रक खनिज सहित का परिवहन किया	ार्ग को पक्की सड़क टार रोड बनाया जाये, जिससे 20 टन भार जा सके ।	
6	किया जाये।	त की जगह नवकरणीय उर्जा का अधिकतम उपयोग सुनिश्चत	
7	आमजन और पशुओं के साथ किसी भी प्रकार	करने से पूर्व पटटा क्षेत्र के चारों ओर फेसिंग की जाएगी । की संभावित अप्रिय घटना से बचने के लिए पट्टा क्षेत्र के चार उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।	
8	परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कायों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त / सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये ।		
9	परियोजना प्रस्तावक कच्ची सडक के स्थान पर परिवहन हेतु ग्प्रम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार	पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के र्व की योजना तैयार करेगा।	
10	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन पटटा क्षेत्र की	परिधि में 7.5 (मीटर) के परिधि क्षेत्र का नो माइनिंग जोन के त करने के उददेश्य से तीन पंक्तियों में पौधरोपण किया जायेगा	
11	खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमि भूजल बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।	त रहेगा। भूजल स्तर के नीचे कार्य करने की दशा मे केन्द्रीय	
12		के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतो की स्थापना की	
13	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पटटा क्षेत्र का उचित जायेगा।	भू—दृश्य विकास एवं इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया	
14	भौमिकी तथा खनिकर्म से अनुमोदित नवीन जि पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।	गीय स्वीकृति अनुसार खनि पट्टें की जानकारी संचालनालय तला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल करवायेगा, ऐसा ना करने पर	
15	परियोजना प्रस्तावक पट्टा क्षेत्र के चारों ओर ग सुनिश्चित करेगा और उसकी नियमित सफाई औ	गरलैण्डड्रेन के निर्माण के साथ साथ सेटलिंग टैंक का निर्माण र रखरखाव किया जाएगा।	
16	परियोजना प्रस्तावक द्वारा किन्ही भी परिस्थितयों बाहर नहीं किया जायेगा।	में अपशिष्ट दृव्य (waste water) का बहाव खदान क्षेत्र के	
17	गतिविधि का संचालन किया जायेगा।	प्रबंधन के दृष्टिगतZero Dischargeपद्धति आधारित खनन	
18	आबादी क्षेत्र से परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।	विशेष रूप से तिरपाल से ढके हुए वाहनों से किया जायेगा एवं	
19	परियोजना प्रस्तावक द्वारा जल, वायु एवं ध्वनि ! क्षेत्रीय अधिकारी ,प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत	प्रदू ाण का आकलन प्रत्येक छः माह में किया जाकर प्रतिवेदन करेगा।	

20	परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान परिसर एवं परिवहन /पंहुच मार्ग पर प्रतिदिन दो बार पानी का छिड़काव
	किया जायेगा।
21	परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रत्येक वर्ष में खदान में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों का शासकीय चिकित्सालय से
	समन्वय कर चिकित्सा परीक्षण करवाया जायेगा।
22	माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर खनन के दौरान निकलने वाले ओवरबर्डर और अपशिष्ट को वृक्षारोपण हेतु खनन
	क्षेत्र में वापस भरा जाएगा।
23	परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अपशिष्ट सामग्री को माईनिंग लीज क्षेत्र में तथा खिन पट्टा क्षेत्र
	के बाहर कोई भी ओवरबर्डन एकत्र नहीं किया जावेगा।
24	परियोजना प्रस्तावक द्वारा धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व
	पीने के लिये विशेष रूप से गर्मी के मौसम में उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
25	परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
26	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण,धुलदमन, पहुंच सड़क के निर्माण और
	मौजूदा पक्की सड़क के रखराखव के उचित किर्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना
	में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
27	परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण,सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्प्रफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के
	साथ एमपी–एसईआईएए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड
	करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण ( एसईआईएए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण,वन एवं जलवायु
	परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन
	रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पुर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी
28	यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईएए को पर्यावरण
	स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना
	प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईएए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति
	नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
29	खिन पटटा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए
	जाने वाले सभी कार्यो को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्रम पंचाायत को सौंपा
	जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज कराना भी सुनिश्चित करेगा।
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

#### Air quality monitoring and preservation:

1	The Project Proponent shall monitor critical parameters, relevant for mining opertions, of air
	pollution viz, PM10, PM2.5, NO2, CO and SO2 etc. covering the aspects of transportation and use
	of heavy meachinery in the impact zone. The ambient air quality shall also be monitored at
	prominent places like office building. Canteen etc. as per the site condition to ascertain the
	exposure charactersitics at specific places.
2	Effective safeguard measures for prevention of dust generation and subsequent suppression (like
	regular water sprinkling road construction etc) shall be carried out in areas prone to air pollution
	wherein high levels of pM10 and PM2.5 are evident such as haul road. Loading and unloading
	point and transfer points. The Fugitive dust emissions from all sources shall be regularly
	controlled by installation of required equipments machineries and preventive maintenance. In
	shall be ensured that air pollution level conform to the standards prescribed by the
	MoEFCC/Central Pollution Control Board

#### III. Water quality monitoring and preservation:

1	In case immediate mining scheme envisages intersection of ground water table, then Environmental
	Clearance shall become operational only after receiving formal clearance from CGWA. In case
	mining operation involves intersection of ground water table at a later stage, then PP shall ensure that
	prior approval from CGWA is is place before such mining operations. The permissions for

	intersection of ground water table shall essesntially be based on detailed hydro-geological study of the area.
2	Project Proponent shall regularly monitor and maintain records w.r.t. ground water level and quality in an around the mine lease by establishing a network of existing wells as wll as new piezo-meter installations during the mining operating in consultation with Central Ground Water Authority/State Ground Water Department.
3	The project proponent shall undertake regular monitoring of water quality upstream and downstraeam of water bodies passing within and nearby adjacent to the mine lease and maintain its records. It shall be ensured that no obstruction and/or alteration be made to water bodies during mining operations without justification and prior approval of MoEFCC. The monitoring of water courses/bodies existing in lease area (August) post monsoon (November) and winter (January) and the record of monitored data may be sent regularly to Ministry of Environmental. Forest and Climate Change and its Regional Office,.
4	Project Proponent shall plan develop and implement rainwater harvesting measures on long term basis to augment ground water resources in the area in consulation with Central Ground Water/State Groundwater Department. A report on amount of water recharged needs to be submitted to Regional office MoEFCC annually.
5	Industrial waste water (workshop and wast water from the mine) should be properly collected and treated so as to conform to the notified standards prescribed from time to tiem. The standards shall be prescribed through Consent to Operate (CTO) issued by concerned State Pollution Control Board (SPCB). The workshop effluent shall be treated after its initial passage through Oil and grease trap.

#### IV. Noise and Vibration monitoring and preservation

1	The peak particle velocity at 500 m distance or within the nearest habitation, whichever is
	closer shall be monitored periodically as per applicable DGMS guidelines.
2	The Project Proponent shall take measures for control of noise levels below 85 dBA in the
	work environment. The workers engaged in operations of HEMM etc. should be provided
	with ear plugs/muffs. All personnel including laborers working in dusty areas shall be
	provided with protective repiratory devices along with adequate training, awareness and
	iformation on safety and health aspects. The PP shall be held responsible in case in has been
	found that workers/personals/laborers are working without personal protective equipment.

#### V. Mining plan

The Project Proponent shall adhere to the working parameters of mining plan which was submitted at the time of EC appraisal wherein year-wise plan was mentioned for total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. NO Change in basic mining proposal like mining technology, total excavation i.e. quantum of mineral, waste, over burden, inter burden and top soil etc. NO change in basic mining proposal like mining technology, total excavation, mineral & waste production, lease area and scope of working (viz, method of mining, overburden & dump management, O.B. & dump mining, mineral transportation mode, ultimate depth of mining etc) shall not be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, which entail adverse environemental impacts, even if it is a part of approved mining plan modified

	after grant of EC or granted by State Govt. in the form to Short Term permit (STP), Query
	license or any other name.
2	The project Proponent shall get the Final Mine Closure Plan along with Financial Assurance
	approved from Indian Bureau of Mines/Department of Mining & Geology as required under
	the provision of the MMDR Act, 1957 and Rules/Guidelines made there under.
3	The land-use of the mine lease area at various stages of mining scheme as well as at the end-
	of-life shall be governed as per the approved Mining Plan. The excavatgion vis-à-vis
	backfilling in the mine lease area and corresponding afforestation to be raised in the
	reclaimed area shall be governed as per approved mining plan.

#### VI. Land Reclamation

2	The Overburden (O.B.) generated during the mining operations shall be stacked at earmarked OB dump site(s) only and it should not be kept active for a long period of time. The physical parameters of the OB dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by D.G.M.S. w.r.t safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of top soil/OB dumps, The topsoil shall be used for land reclamation and plantation.  The reject/waste generated during the mining operations shall be staked at earmarked waste
	dump site (s) only. The physical parameters of the waste dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan as per the guidelines/circulars issued by DGMS w.r.t safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of waste dumps.
3	The reclamation of waste dump sites shall be done in scientific manner as per the Approved Mining Plan cum progressive Mine Closure Plan.
4	The slope of dumps shall be vegetated in scientific manner with suitable native species to maintain the slope stabitlity, prevent erosion and surface runoff. The selection of local species regulates local climate parameters and help in adaptation of plan species to the microclimate. The gullies formed on slopes should be adequately taken care of as it impacts the overall stability of dump. The dump mass should be consolidated with the help of dozer/compactors thereby ensuring proper filling/levelling of dump mass. In critical areas, use of geo-textiles/geo-membranes/clay liners/Bentonite etc. shall be undertaken for stabilization of the dump.
5	The Project Proponent shall carry out slope stability study in case the dump height is more than 30 meters. The slop stability report shall be submitted to concerned regional office of MoEF&CC.
6	Garland drain, Catch drains of appropriate size shall be constructed around the mine working, mineral yards and Top soil/OB/Waste dumps to prevent run off of water and flow of sediments directly into the water bodies (Nallah/River/Pond etc). The collected water should be utilized for watering the mine areas roads, green belt development, plantation etc. The drain/sedimentation sumps etc. shall be de-silted regularly, particularly after monsoon season and maintained properly
7	The top soil, if any, shall temporarily be stored at earmarked site(s) within the mine lease only and should not be kept unutilized for long. The physical parameters of the top soil dumps like height, width and angle of slope shall be governed as per the approved Mining Plan and as pre

the guidelines framed by DGMS w.r.t. safety in mining operations shall be strictly adhered to maintain the stability of dumps. The topsoil shall be used for land reclamation and plantation purpose.

#### VII. Transportation

No Transportation of the minerals shall be allowed without tarpaulin cover.
 PP shall take necessary measures to avoid generation of fugitive dust emissions.

#### VIII. Green Belt

Green Belt development shall be carried out within the 0.25 ha. lease area and total nos. of 650 Plantation shall be done within 05 years planting following specie:

Green Belt development shall be carried out in the lease area. Plantation shall be done within 05 years planting following specie:

S.No.	Species Name	Botanical Name	
	Tree		
1	Shisham & Kala Shisham	Delbergiasisso	
2	Ardu or Maheneem	Ailanthus excels	
3	Khejri	Prosopis cineraria	
4	Indian Elm	Holopteleaintegrifolia	
5	Gum Arabic tree	Acacia Senegal	
6	Karanj	Pongamiapinnata	
7	Imli	Tamarindusindica	
8	Babool	Acacia nilotica	
9	Jungle Jalebi	Pithecellobium dulce	
10	Ronj	Acacia leucophloea	
11	Neem	Azadirectaindica	
12	Ber	Zizyphusmauritiana	
13	Siris tree	Albizalebbeck	
14	Pipal	Ficusreligiosa	
15	BijaKussum	-	
	Shrubs/Herbs		
16	Munja grass	Saccharum munja	
17	Peelikaner	Thevetia peruviana	
18	VilayatiBabool	Prosopis juliflora	
19	Arandi	Ricinus cummunis	
20	Kaner	Nerium Indicum	
21	Sarphonka	Tephrosiahamiltonii	
22	Buffel Grass	Cenchruscilliaris	
23	Kans grass	Saccharum spontaneum	
24	Makara or crowfoot grass	Dactylocteniumaegyptium	
25	Bui	Aervatomentosa	
26	Purple three awn or Bunch grass	Aristida purpurea	

The Project Proponent shall make necessary alternative arrangements for livestock feed by developing grazing land with a view to compensate those areas which are coming within the mine lease. The development of such grazing land shall be done in consultation with the State Government. In this regard, Project Proponent should essentially implement the directions of the Hon'ble Supreme Court with regard to acquisition of grazing land. The sparse trees on such grazing ground, which provide mid-day shelter from the scorching sun should be scrupulously guarded/protected against felling the plantation of such trees should be promoted (if applicable).

#### IX. Public hearing and human health issues

1	The Project Proponent shall appoint an Occupational Health Specialist for Regular as well as
	Periodical medical examination of the workers engaged in the mining activities, as per the
	DGMS guidelines. The records shall be maintained properly.
2	The Proponent shall also create awareness and educate the nearby community and workers
	for sanitation, Personal Hygiene. Hand washing, no to defecate in open. Women Health and
	Hygiene (Providing Sanitary Napkins), hazard of tabacco and alcohol use. The Proponent
	shall carryout base line HRA for all the category of workers and thereafter every five years.
3	The Project Proponent shall ensure that Personnel working in dusty areas should wear
	protective respiratory devices and they should also be provided with adequate training and
	information on safety and health aspects.
4	The activities proposed in Action plan prepared for addressing the issues raised during the
	Public Hearing shall be completed as per the budgetary provisions mentioned in the Action
	Plan and within the stipulated time frame. The Status Report on implementation of Action
	Plan shall be submitted to the concerned Regional Office of the Ministry along with District
	Administration.

#### X. EMP Corporate Environment Responsibility (CER)

1	For En	For Environment Management Plan PP has proposed Rs. 17.0 Lakhs for this project to be						
	implemented within first 5 years of start of mining operation.							
2	PP has	s proposed Rs 100 Lakhs under Corporate I	Enviro	nmen	t Resp	onsibi	lity (C	ER) for
	compo	nent as follows:						
	S.	CER Budget Provision Items	24-	25-	26-	27-	28-	Total
	No.		25	26	27	28	29	
	1	Provide medical facilities (Medical Camps 2 nos	3	3	3	3	3	15
		per year) at mine hospital/medical centre for 6						
		villagers of nearby 6 villages.						
	2	Preparation of Phytosociology study of main	10	0	0	0	0	10
		species in and around upto 5 Km. the Manganese						
		bearing project area at Balaghat in consultation						
		with State Forest Research Institute, Madhya						
		Pradesh.						

			1	1	1	1	100
	consultation with CEO , Zila panchayat.  TOTAL	60	10	10	10	10	100
9	Sanitary pad manufacturing unit through SHG in	-	2	2	2	2	08
8	Distribution of Fruit bearing plant species to Tirodi Gram Panchyat (1000 Plants)	2	-	-	-	-	02
7	Distribution of LED Bulbs to all nearby villages around Mine (1000 numbers)	2	2	2	2	2	10
	I-Pads per Year (Total 50 I-Pads in 5 years)						10
	excellent category after Skill development Training given by MOIL Limited every year, 10						
6	Provision of I-Pad to Girl Students coming under	3	3	3	3	3	15
5	Installation of water purifier in 4 locations at nearby 4 villages	20	0	0	0	0	20
	DFO, Madhya Pradesh.	20					20
	innovation in consultation with SFRI and Local						
	diversity and design and recommendation for new						
	Balaghat district area inclusive of species						
'	forestry practices at 05 villeges in all tehsils of						
4	Preparation of Study report on present agro	10	0	0	0	0	10
	Project area falls in Balaghat District of Madhya Pradesh.						
	traditional uses and cultural values in and around						
	species of concern and their availability and						
	Body regarding knowledge of local community,						
	consultation with DFO/ Registered Scientific						
3	Scientific research and preparation of report in	10	0	0	0	0	10

- The activities and budget earmarked for Corporate Environmental Responsibility (CER) as per Ministry's O.M. No. 22-65/2017-IA.II(M) dated 01/05/2018 or as proposed by SEAC should be kept in a separate bank account. The activities proposed for CER shall be implemented in a time bound manner and annual and annual report of implementation of the same along with documentary proof viz. photography's. Purchase documents, latitude & longitude of infrastructure developed & raod constructed needs to be submitted to Regional Office MoEF&CC annually.
- Project Proponent shall keep the funds earmarked for environmental protection measures in a separate count and refratin from diverting the same for other purpose. The Year wise expenditure of such funds should be reported to the MoEFCC and its concerned Regional Office.

#### VIII. Miscellaneous

1	The Project Proponent shall prepare digital map/drone vedio/imagery (land use & land cover)
	of the entire lease area once in five years for the purpose of monitoring land use pattern and
	submit a report to concernedIBM/Regional Office of the MoEFCC/SEIAA/SEAC whichever
	is applicable.
2	The Project Authorities should inform to the Regional Office regarding date of financial
	closures and final approval of the project by the concerned authorities and the date of start of

	land development work.
3	The project Proponent shall submit six monthly compliance reports on the status of the
	implementation of the stipulated environmental safeguards to the MoEFCC& its concerned
	Regional Office, State Pollution Control Board.
4	A separate 'Environmental Management Cell' with suitable qualified manpower should be set-
	up under the control of a Senior Executive shall directly report to Head of the Organization.
	Adequate number of qualified Environmental Scientist and Minning Engineers shall be
	appointed and submit a report to RO, MPPCB.
5	The concerned Regional Office of the MoEFCC shall randomly monitor compliance of the
	stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the MoEFCC
	officer (s) by furnishing the requisite data/information/monitoring report.

#### (ब) मानक शर्ते

1	पर्यावरण प्रबंधन योजना में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित और SEAC द्वारा अनुमोदित सभी गतिविधियों / शमन
	उपायों (mitigative measures) को सुनिश्चित किया जाये ।
2	SEAC द्वारा अनुमोदित पर्यावरण निगरानी योजना में सूचीबद्ध सभी मापदंडों की निगरानी अनुमोदित स्थानों और
	आवृत्तियों पर की जाये ।
3	ब्लास्ट वाइब्रेशन का अध्ययन किया जाएगा और छह महीने के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु
	परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और एम.पी. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा । अध्ययन में
4	आस-पास के घरों और कृषि क्षेंत्रों पर ब्लास्टिंग से जुड़े प्रभाव की रोकथाम के उपाय भी उपलब्ध कराये जाये ।
4	अनुक्रमिक ड्रिलिंग (Sequential drilling) के साथ कंट्रोल ब्लास्टिंग तकनीकों को अपनाया जाए एवं ब्लास्टिंग केवल
	दिन में ही की जाये ।
5	Mining bench की ढलान और फाईनल गड्ढे की सीमा भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होगी ।
6	खदान बंद करने की फाइनल योजना, कॉर्पस फंड के विवरण के साथ, अनुमोदन के लिए खदान बंद होने से 5 साल के
	भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,भोपाल और म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	को प्रस्तुत की जाये।
7	उत्खनन, खनिज की मात्रा और अपशिष्ट सहित कैलेंडर योजना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाये ।
8	खनन कार्य, स्वीकृत खनन योजना के अनुसार किया जाये । खनन योजना में किसी भी तरह उल्लंघन के मामले में,
	SEIAA द्वारा दी गई पर्यावरण स्वीकृति रद्द हो जाएगी ।
9	लगातार दो खनिज युक्त निक्षेपों के बीच पर्याप्त बफर जोन बनाए रखा जाये ।
10	खनन क्षेत्र से निकालें गये खनिजों का परिवहन केवल दिन के समय में ही किया जाये ।
11	स्थानीय सड़के, जिसके माध्यम से खनिजों का परिवहन किया जाता है, का रखरखाव कंपनी द्वारा नियमित रूप से अपने खर्च पर किया जायेगा ।
12	मृदा अपरदन (Soil erosion) की रोकथाम एवं नियंत्रण तथा गाद के प्रबंधन के उपाय किये जायेंगे । भू—टेक्सटाइल
	मैंटिंग या अन्य उपयुक्त सामग्री से डंप के कटाव को रोका जाएगा, और डंप की ढलानों पर स्थानीय प्रजाति के पेड़ो और
	झाड़ियों का घना वृक्षारोपण किया जाये । डंप को सुरक्षित रखने हेतु रिटेनिंग वॉल्स बनाया जाये ।
13	जलाशयों में गाद को जाने से रोकने के लिए डंप के तल पर ट्रेंचेस/गारलैंड ड्रैन्स का निर्माण किया जाये साथ ही
	नियमित अंतराल पर Coco filters लगाए जाये, उत्खनन पट्टा क्षेत्र से बहने वाले मौसमी / बारहमासी नाले (यदि कोई)
	में गाद के जमाव को रोकने हेतु पर पर्याप्त संख्या में चेक डैम एवं गुली प्लग्स का निर्माण कराया जाये । नियमित
	अंतराल पर गाद निकालने का कार्य किया जाये ।
14	परियोजना प्रस्तावक खदान के गड्ढे, कचरे के ढेर और गारलैंड ड्रेन के आसपास आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करें ।
15	ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी / ठोस कचरे को ढेर उचित ढलान और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ बनाया जाये और
	खनन किए गए क्षेत्र के पुनर्भरण (जहां लागू हो) और भूमि सुधार के लिए उपयोग करें । ऊपरी सतह की उपजाऊ मिट्टी
	को बाद में उपयोग के लिए अलग से ढेर किया जाए एवं ओवर बर्डन के साथ ढेर नहीं किया जाये ।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।		
के अपनाह को रोकने के लिए उपयुक्त स्थानीय प्रजाति के पेड़ां के साथ वैज्ञानिक रूप से वृक्षारोपण किया जाये ।   पुगर्विसित क्षेत्रों की निगरानी और प्रबंधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वनस्पति पूर्ण विकिस्त न हो जाए ।   अनुपालन की स्थिति छह मारिक आयार पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यवरण नन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार मोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी ।   योधों की प्रजातियों के चयन सहित CPCB के दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और रथानीय डी.एफ.ओ./ कृषि विमाग के परामर्थ से हिरित पट्टी का विकास किया जाएगा । वृक्षों के अलावा जड़ी—बृटियों और झाड़ियों भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में किया जाएगा हों से अलावा जड़ी—बृटियों और झाड़ियों भी वृक्षारोपण कार्यक्रम में कथानी द्वारा स्थानीय तोगों को भी शामित करेगा । खनन क्षेत्र के प्रमुत्त किया जाएगा और उत्पत्त की स्थान मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा ।   वाहनों से हों ने वाले उत्सत्त्रों की पितंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित कप से निगरानी की जाएगी । खनिजों तथा अच्य उपयुक्त से द्वारण जा पितंत्रण परिवरण को दोश का प्रतिकृत करने वाले नियंत्रण का परिवरन करने वाले वाहनों के मार केंद्रीय मोटर वाहन नियंत्र ने कि के परिवरन में ओवरलोविंडा नहीं की जाये । खनिजों को परिवरन कर के काण / सुक्ष्म कणा बाहर न विकल सके । खनिजों के परिवरन में ओवरलोविंडा नहीं की जाये । खनिजों को परिवरन कर के मार महाया (यदि कोई हो) से नहीं करेगा ।  20 RSPM, SPM, SO2, NOX की निगरानी के लिए कोर जोन के साध-साध बच्च जोन को स्थान सबेदी आंकड़ें, टोपोंग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिरिशतिक रूप से संवर्धन का मार परिवरी वायु गुणवत्ता चित्रण पर स्थान की किया जो स्थान करेगा । स्थानों का स्थान मोस्त सबेदी आंकड़ें, टोपोंग्राकिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिरिशतिक रूप से सेवेदन साथ के आधार पर तय किया जाये ।  21 परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOX) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रोय कार्यावरण, पर्यावरण वार और प्रतास कर की स्थावरण का और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल क्षेत्र करने के जाये हो साथ की की साथ नियंत्र के लिए निपाय की सेव साथ के सित्र के साथ के सेवल सेव स्थावरण के स्वावरण के स्वावरण के सेवल के साथ के सेवल के सा	16	
पुनर्वापित क्षेत्रों की निगरानी और प्रवेधन तब तक जारी रहेगा जब तक कि वनस्पति पूर्ण विकिप्तत न हो जाए । अनुपालन की रिश्वित छह मारिक आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार मोपाल एवं मार, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी । वीषों की प्रजातियों के चयन सहित CPCB के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी.एफ.को./ कृषि विभाग के परमार्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा । वृद्धों के अलावा जड़ी-वृद्धियों और आड़ियों भी वृद्धारोपण कार्यक्रम का विरुच्ध क्षेत्रीय मार्ग कार्यक्रम को उलावा जड़ी-वृद्धियों और आड़ियों भी वृद्धारोपण कार्यक्रम का विरुच्ध क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल एवं मार, प्रदूषण नियंत्रण बोर के इर साल प्रस्तुत किया जाएगा । वानों से होने वाले उल्स्वजन को नियंत्रण में रखा जाएगा अरिड इसकी नियमित रूप में नियंत्रण कार्यक्रम को परिवर्द के विरोद्ध कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल एवं मार, प्रदूषण नियंत्रण बोर उत्तर होता सरद्वा किया जाएगा वाले वाले उल्स्वजन के तियंत्रण और इसके नियंत्रण रूप कर वाले वह नियंत्रण कार्यक्रम संवर्ध को जाएगी । खनिजों तथा अन्य उपयुक्त से बाका जाएगा ताकि परिवर्द के वैरोप घृत के रूप पुष्ट स्थायमार्थ्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा परिवर्द में अवारलोविंड मंत्री की जाये । खनिजों का परिवर कर मार प्रत्य के विरोद्ध हो) से नहीं करेगा निराप्त नियंत्रण के अप परिवर्द में अवारलोविंड मंत्री के जाये । खनिजों का परिवर कर मार प्रत्य के मार्ग के विराप्त कर जोन मंत्रा सर्वेधी आंकड़ों, टोपोग्राकिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिक्षितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निराप्त की आवृत्ति राज्य प्रदूषण मंत्र विरोद्ध के परिवर्द क्रियालों का परिवर के परिवर्द क्रियालों के अप परिवर्द मंत्र कर परिवर्द के परिवर कर सरकार के परिवर के परिवर के स्थाव का परिवर के परिवर के परिवर कर सरकार के परिवर कर के परिवर के परिवर के स्थाव का परिवर के अप सरकार भी नियंति का मार्य के विराप के सियंत के अ		और डंप की ढलान 35 डिग्री से अधिक नहीं होनी चाहिए । ओबी डंप को बैकफिल्ड किया जाएगा और कटाव और सतह
शेनुपालन की स्थिति छह मास्तिक आधार पर क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी । यो वो की प्रजादियों के चयन सहित CPCB के दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी.एफ.ओ./कृषि विमान के परामर्श से हरित ध्रष्टी का विकास किया जाएगा । वृद्धों के अलावा जड़ी-बृद्धियों और झाड़ियों भी वृद्धारोपण कार्यक्रम के के प्रमान के परामर्श से हरित ध्रुष्टी का विकास किया जाएगा । वृद्धों के अलावा जड़ी-बृद्धियों और झाड़ियों भी वृद्धारोपण कार्यक्रम के के प्रमान के प्रयावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मार्यावरण सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण वेंक के हर साल प्रस्तुत किया जाएगा । विकास के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मार्यावरण कार्यक्रम के विवरण के प्रमान के जाएगा । विकास के परिवरण के परिवरण के विकास के परिवरण के परिवरण के परिवरण के विकास के परिवरण के परिवरण के परिवरण के परिवरण के परिवरण के परिवरण के विकास किया के परिवरण के किया मार्य के परिवरण के किया जाये । परिवरण के		
भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी ।  पीचों की प्रजातियों के चयन सिहत CPCB के दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी.एफ.ओ. / कृषि विमान के परामयें से हरित पही का विकास किया जाएगा । वृक्षों के अलावा जडी-बृद्धियों और झाडियों भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा होगी । वृक्षारोपण कार्यक्रम के विकास किया जाएगा । वृक्षों के अलावा जडी-बृद्धियों और झाडियों भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का विकास किया जाएगा । व्यान क्षेत्र के पुनर्वास सहित पर्यवार कुशारोपण कार्यक्रम का विकरण क्षेत्रीय कार्यात्रण, पर्यादरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रात्रण, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा ।  वाहनों से होने वाले उत्स्रजंत के नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित रूप से नियमती की जाएगी । खनिजों तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके लिया अन्य उपयुव्ध से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण / सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें । खनिजों के परिवहन में ओवरलाहिंग नहीं की जाये । खनिजों का परिवहन कर जीव का चाहर न निकल सकें । खनिजों के परिवहन में अवेतरलाहिंग नहीं की जाये । खनिजों का परिवहन कर जीव अवार परिवहन में महीं करेगा । निवाह में से किया निवह में स्थान निवह में सही करेगा । खनिजों के परिवहन में अवेतरलाहिंग नहीं करेगा ने साल मां	17	
पीयों की प्रजातियों के बयन सहित CPCB के दिशा—निर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी.एफ.ओ. / कृषि विभाग के परागर्श से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा । वृक्षों के अलावा जड़ी-बृटियों और झाड़ियों भी वृक्षारोपण कार्यक्रम का हिस्सा होगी । वृक्षारोपण कार्यक्रम के परागर्श होगी । वृक्षारोपण कार्यक्रम के परागर्श होगी । वृक्षारोपण कार्यक्रम के परागर के परागर के भी शामिक करेगे हो। उनन क्षेत्र के पुनर्वास सिहत वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा ।  19 वालों से होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा ।  19 वालों से होने वाले उत्सर्जन के नियंत्रण वें स्थाव जाएगा और इसकी नियमित रूप से नियरानी को जाएगी । खनिजों तथा अन्य उपयुव्धत से ढांक जाएगा । तिम्येत्रण के चीराण घृत के कण / सुक्ष्म कण बाहर न निकल सके । खनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये । खनिजों का परिवहन वच्य जीव अन्यरण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा ।  20 RSPM, SPM, SOZ, NOX की निगरानी के तिए कोर जोन के साध—साध बफर जोन में बार परिवर्धी वायु गुणवता —िगरानी (एमियएट एयर क्वातिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन क्ष्मा कोर जोन बार परिवर्धी वायु गुणवता —िगरानी (एमियएट एयर क्वातिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन के स्थाव मंत्र होशों के स्थाव परिवर्ध ने अध्यार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी को आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परागर्श से की जानी चाहिए । मानर्वड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए कोर होशों के पर्यावरण और परागर्श से की जानी चाहिए । मानर्वड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए इंटे को नियमित्रत रूप से प्रयोवरण के की व्यवसाइट एप प्रदर्शित किया जाये । परिवर्शी वायु गुणवत्ता (परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल और कंदीय प्रदूषण नियंत्रण बोर के के छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये । परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल पर्य मंत्र के की प्रयोवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित्र कप से प्रसुत किए जाने वाले हुल के व्ववह परिवर्त मंत्रण मंत्रण के सार के स्वार्य के की व्यवित्त कर के प्रतुष्ठ के जार के सार के स्वर्य के जार के सार कर के जार कर सार के जार्यवर		
विमाग के परामर्थ से हरित पट्टी का विकास किया जाएगा । वृक्षों के अलावा जडी-बृटियों और झाइयों में वृक्षारोयण कार्यक्रम का हिस्सा होगी । वृक्षारोयण कार्यक्रम के कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को भी शामिल करेंगा । खनन क्षेत्र के पुनर्वांस सिहत वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्वांवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा । वाहनों के पार कंदीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियां होगी चाहिए । खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाक जाएगा ताकि परिवहन के तैरान हुल के कण / सुक्ष्म कण बाहर न विकास को विरापत या अन्य उपयुक्त से ढाक जाएगा ताकि परिवहन के तैरान हुल के कण / सुक्ष्म कण बाहर न विकास को । खनिजों के परिवहन के वेवर ते होते हों। से नहीं करेगा ।  20 RSPM, SPM, SO2, NOx की निरापती के तिए कोर जोन के साध-साध बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवता —निगरानी (एन्विएंट एयर क्वांतिटी सॉनिटिरींग) स्टेशन क्यांपित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौस्त संबंधी आंकहों, टोपोग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिश्चितिक रूप से सवेदनशील लाख्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की बादी सिपार कप से अपलोंड किया जाये एवं कपनी की वेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाये ।  21 परिवेशी वायु गुणवता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से की जानी चाहिए । मानर्वड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोंड किया जाये एवं कपनी की वेवसाइट पर प्रदर्शित किया जाये ।  22 खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसुखना संख्या जीएसआप/ 826 (ई) दिनांक 16.11.09 में नियंतित मानदंडों की पुष्टि की जाये ।  23 समी खोतों से आने वाले हूल के उत्सर्जन को नियंतित किया जाएगा । हों ले रेड लोर्डिंग और अनलोंहिंग और इंत्रफण परिवरण वेती के परामर्थ के को किया जाएगा ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंतित करने के उपार कर से नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रसुत किए जाने वाले मानर्व और उत्तर्व अधित मानवंग के अपले स्वर्त कार्या । मान्यन्य की की के नियंत्रण कार्य के अपले पर सही जात्रण मान्यन की कार्य से अपले कार मान्यन कार का	1.0	
कार्यक्रम का हिरस्ता होगी । वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भाराल एवं म.श. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा ।  19 वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित कर से निगरानी की जाएगी । खनिजों तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास कंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियां होंगी चाहिए । खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्तत से ढाका जाएगा तांकि परिवहन के वीरान धूल के कण / युक्षम कण बाहर न निकल सके । खनिजों के परिवहन में ओवरलोंहिंग नहीं की जाये । खनिजों का परिवहन वन्य जीव अम्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा ।  20 RSPM, SPM, SOZ, NOX की निगरानी के तिए कोर जोन के साध-साध वफर जोन में चार परियेशी वायु गुणवता —िनगरानी (एम्बएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का थ्यान मैं सम परियेशी वायु गुणवता —िनगरानी (एम्बएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का अधार पर तथे किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्त राज्य प्रदृष्ण नियंत्रण बोर्ड के परमार्थ से की जानी चाहिए मानर्द्ध प्रदृष्ण के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप सं अपलोंड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये । परियेशी वायु गुणवता (RPM, SPM, SOZ, NOX) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यवर्तन वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल और कंद्रीय प्रदृष्ण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक वार प्रस्तुत किया जाये ।  22 खनन परित्र की सीमा पर परियेशी वायु गुणवता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदृष्ण नियंत्रण बोर्ड को स्थापित रूप पर्वर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदृष्ण नियंत्रण बोर्ड को स्वाप्त के स्वाप्त पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदृष्ण नियंत्रण बोर्ड को कार्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदृष्ण नियंत्रण बोर्ड को कार्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदृष्ण नियंत्रण बोर्ड को कार्यावरण पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्त मंत्रालय, भारत सरका	18	पीधी की प्रजातियों के चयन सहित CPCB के दिशा—िनर्देशों को ध्यान में रखते हुए और स्थानीय डी.एफ.ओ. / कृषि
पुनर्वास सहित वर्षवार वृक्षारोपण कार्यक्रम का विवरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा । वाहनों से होने वार्क उत्सर्वाक को नियंत्रण में रखा जाएगा । कोर इसकी नियमित रूप से होने वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत नियंपित वैच अनुमतियां होनी चाहिए । खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुवत से बका जाएगा गाति घरिवहन के वीरान घृत के कण / पृश्चम कण बाहर निकल सके । वाडनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये । खनिजों का परिवहन वन्य जीव अभ्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा । विवर्ण के परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुवत से बका जाएगा गातिक परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुवत से विवर्ण को वाले हों हो। से नहीं करेगा । विवर्ण को साथ-साध्य बफर जोन में चार परिवर्णी वायु गुणवत्ता — निगरानी (एबिएट एयर क्वालिटी मॉनिटिरिग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोग्नाफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आचार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्था से की जानी चाहिए । मानरंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपती की क्वाना चारिए । मानरंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपती की विवसाइट पर प्रदर्शित किया जाये । यान परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार अधिसूचना संस्थ्या जीएसआर / 826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों को छुट महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये । से सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण की जाये । सीमित रूप परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण के जोग यो । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यवरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण के निर्यंत्रण को को नियमित रूप से नियमित रूप से प्रावहित करने के उपाय को जोग । मानमारारों के इंटर प्रमार प्रमुद के आपती जाएगा । क्रियानव के नियमित रूप से प्रावह करने के लि		ावमार्ग के परामशे से हरित पट्टा का विकास किया जीएगा । वृक्षा के अलीवा जेड़ा—बूटिया और झाड़िया मा वृक्षारापण - कर्जकर का विकास केरी । क्लानेसम्म कर्जकर में कंपरी करा रहा की अलीवा जेड़ा—बूटिया और झाड़िया मा वृक्षारापण
सरकार, भोपाल एवं म.प्रं. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को हर साल प्रस्तुत किया जाएगा ।   वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियंत्रित रूप से निगरानी की जाएगी । खनिजों तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित बैय अनुमतियां होनी चाहिए । खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के वीराम धूल के कण /सुक्त कण बाहर न निकल सकें । खनिजों के परिवहन में ओवरलीडिंग नहीं की जाये । खनिजों को का परिवहन नय जीवर अन्याण्य (यित कोई) से नहीं करेगा ।   RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ—साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणक्ता —निगरानी (एमिप्टेए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों को स्थान मीसम संबंधी आंकड़ों, टोमेंगाफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशीत लक्ष्यों के बार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आयृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियंतित रूप में अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये । परिवेशी वायु गुणक्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियंतित कप से कीया जाये । खनना परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणक्ता को धर्मावरण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।   खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणक्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार, भोपाल को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, मोपाल एवं म.प. प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड को नियंत्रित कर से प्रसुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियंत्रित कप से नियंत्रण वन को स्वावन बोर्ड को नियंत्रण कर से प्रवृत्त किया जाएगा । क्रियावर कर से नियंत्रण का को को का स्वावर के नियंत्रण कर से प्रवृत्त के नियंत्रण करने के लिए वर्षा जल स्वावरण के नियंत्रण करने नियंत्रण करने के लिए वर्षा जल सचचन किया जाएगा । क्रियावर को रिखावित करने के छहा महीने के भीतर और का निय		
वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रण में रखा जाएगा और इसकी नियमित रूप से निगरानी की जाएगी । खनिजों तथा अन्य के परियहन कर लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन निकां, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित केंध अनुमतियां होनी चाहिए । खनिजों के परिवहन करने वाले वाहनों को एक दिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें । खनिजों के परिवहन अं ओवरलोंडिंग नहीं की जाये । खनिजों को परिवहन वन्य जीव अम्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा ।   RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ—साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवता —निगरानी (पिबएट एयर क्वालिटी मीनिटियंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोगाफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिरिश्तिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं करंपों की वेबसाइट पर प्रविशित किया जाये ।   परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की छह महीने में एक बार प्ररत्त किया जाये ।   उत्तर के साम पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और इसका उचित रखरखाव किया जाये । सभी कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रसूत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्तर्तन किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और इंसफर पाइंट्रस पर पानी के छिड़कों को व्यवस्त क्या की जाएगी अंतर हम पर प्रत्र्व किया जाये । HEMM आदि के संवालन में लगे कामागारों को छिड़कों के आपता कर सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रत्रालय, भारत सरकार, भारत सरकार को पाइंट्रस पर पानी के कारो करने के लिए वर्षों जल संवयन किया जाएगी वाले मामागर की जाये । सहाल के नियमित रूप और प्रत्याव कर के प्रत्रालय, भारत सरकार, मोपाल, म. प्रत्रालय, महिल के ते हिए सोर्याव		
तथा अन्य के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के पास केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 और इसके संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियां होनी चाहिए । खनिजों को परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के दौरान धूल के कण /सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें । खनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये । खनिजों का परिवहन वन्य जीव अन्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा ।  20 RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ-साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता —िगरानी (एविपट्ट एयर क्वालिटी मंतिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोभोग्राफिकल विशेषाताओं और पर्यावरण और पारिश्वितिक रूप से संवन्धाल लक्ष्यों के आधार पर तय किया जान्या चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोंड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रविशित किया जाये । परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये । उपलेश वायु गुणवत्ता (RPM, स्वावस्त्रण स्वावस्त्रण स्वावस्त्रण स्वावस्त्रण स्वावस्त्रण स्वावस्त्रण स्वावस्त्रण स्वावस्त्रण स्वावस्त्रण संवर्षण को प्रवित्रण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मारत सरकार अधिसुचना संख्या जीएसआप / 828 (ई) दिनांक 16,1109 में निर्धारित क्या जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित्र रावस्त्रण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण की की नियमित रूप प्रसूषण स्वावस्त्रण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण के की को माने के सार के स्वावस्त्रण का की स्वावस्त्रण का की परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण की रिवामित कप से माने के स्वावस्त्रण के की रावस्त्रण मंत्रण की नियमित कर के लिए विपर के नियमित कर के परवेश के लिए विपर के नियमित कर और अनलोडिंग की स्वावस्त्रण की नियमित कर और सतही के स्वावस्त्रण को निय	10	
संशोधनों के तहत निर्धारित वैध अनुमतियां होनी चाहिए । खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों को एक तिरपाल या अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा ताकि परिवहन के वीरान धूल के कण /सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें । खनिजों के परिवहन में ओवरलोहिंग नहीं की जाये । खनिजों का परिवहन वन्य जीव अभ्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा ।  20 RSPM, SPM, SO2, NOx की निगगनी के लिए कोर जोन के साथ—साध बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवता —िनगरानी (एरिबएंट एवर ब्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोंग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिक्षितक रूप से संवेदनशील तक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगगनी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामधं से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये । परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यात्वय, परिवर्शन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।  22 खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआप, ४८६६ (ई) दिनांक 16.11.09 में नियंत्रित सानदंडों की पुष्टि की जाये । सभी सोतों से आने वाले घूल के उत्सार्जन को नियंत्रित किया जाएगा । होंल रोड लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पाइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगा । होंल रोड लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पाइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यात्वय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रात्वय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप प्रसूत किए जाने वाही को कियो जावे से सुक्त के अनुसार एवं सुक्त के सुक्त सुक्त के सुक्त क	19	
अन्य उपयुक्त से ढाका जाएगा तार्कि परिवहन के वौरान धूल के कण / सुक्ष्म कण बाहर न निकल सकें । खनिजों के परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये । खनिजों को परिवहन वन्य जीव अस्थारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा ।  RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ-साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता —िनगरानी (पिबएंट एयर क्वालिटी मॉनिटिरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपोंग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदङ प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रविशित किया जाये । यिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से कीय कार्यात्वर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।  या जाये ।  या चनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पृष्टि की जाये ।  सभी खोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यात्वर, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियंत्रण कर से प्रस्थात के मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियंत्रित रूप से निरायण विशे को नियंत्रण कर में नियंत्रण के से लिए वर्ष कार्यालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक से से संवालन में लगे कामगारों को ईयर प्वा/ मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य कार्यालय, परवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्यालय के लिए वर्ष कराई को एक संवर्ध कार्यालय के सिर्यालय के से परवर्ध के प्रस्ता की नियंत्रण कर से बीर्य कार्यालय में अपलेश कर से प्रत्यालय के से परवर्ध के प्रत्यालय के से परवर्ध के में नियंत्रण		
परिवहन में ओवरलोडिंग नहीं की जाये । खनिजों का परिवहन वन्य जीव अम्यारण्य (यदि कोई हो) से नहीं करेगा ।  RSPM, SPM, SOZ, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ-साथ बफर जोन में बार परिवेशी वायु गुणवत्ता —िनगरानी (एम्बएंट एयर क्वालिटी मॉनिटिरंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपॉग्राफिकत विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तक्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये । परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SOZ, NOX) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।  खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर /826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पृष्टि की जाये । सभी कोते से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । होंल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । सिर्मीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रतुत की नियंत्रत करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संवालन में लोग कामगारों को ईयर रुपां / मरफ उपलब्ध करए। जाये और कामगारों के रुपां करेन के लिए वर्षों जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छहा महीने के भीतर और अत्वर्त करने के उपाय किये जाने । सारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण वेत के से प्रतेल करने के लिए वर्षों से उपां के से प्रतेल करने मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, पर्वेद को नियंत्रण कोर के से प्रतेल कोर को भात जाएगा ।  वनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करक		
20   RSPM, SPM, SO2, NOx की निगरानी के लिए कोर जोन के साथ—साथ बफर जोन में चार परिवेशी वायु गुणवत्ता —िनगरानी (एबिएंट एयर ववालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौराम संबंधी आंकड़ों, टोपंग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये ।   परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।   व्यन्त परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये ।   सभी खोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियंभित रूप से प्रमुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियंमित रूप से निगरानी की जाये ।  24   काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शीर के स्तर को नियंत्रित करमे के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्ला/मप्त उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ कारिकार्ड बाए जाये ।  25   सुजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्त की स्थादित केत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और अगले वर्ष से प्रत्युत की जाएगी ।  26   व्यन्त कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निमाण करके भूजल और सतही जल स्त्रीत कार्यालय, पर्यावरण पर्यावरण को और अगले वर्ष से प्रत्युत की नियंत्रण वर्ड और जावारा । स्वार की नाप्यान किया जागा ।  27   व्यन्त की कार्याला से उत्पन्त अधिकर, परिवरण वन और जावायु प्रावत्त को भेजा जाएगा ।  28   व्यान की क		
-िनगरानी (एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग) स्टेशन स्थापित करेगा । स्टेशनों का स्थान मौसम संबंधी आंकड़ों, टोपंग्राणिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील तक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये । परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये । खन्त परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/ 826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये । सभी खोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये । काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियमित रूप से निगरानी को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जार में स्वावन पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगल वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके मूजल और सतही जल स्थार के नियमित रूप से क्षेत्र मानस्य, वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रतुत की जाएगी । खनन कार्य के दौरान मौजूदा सुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके जीए गाए प्रदेष ने मानस्त्र (व्यवर) और स्वती (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए प्रदेष नियमित रूप से के स्वतीय कार्यालय, पर्यावरण वन और सातस, सोपाल, मोपाल प्रवर्त की जाएगी । व्यवन को के जोज पानस्व (यदि कोई हो) के लिए ते नियमित रूप से से हिए समिद होने विका	20	· · ·
टोपोंग्राफिकल विशेषताओं और पर्यावरण और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील लक्ष्यों के आधार पर तय किया जाना चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये । परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।  22 खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये । सभी स्त्रोतों से आने वार्व धूल के उत्सर्जन की नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उदित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  25 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की रिथिति क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्यंक कर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निम्मंण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल बार्ड को फेज जाएगा सहित करने पेता लाना सुनिश्चत किया जाना सुनिश्चत किया जान सुनिश्चत किया जान सुनिश्चत किया जान सुनश्चत के उत्तर सिक्त में विक्त मार्य प्रदेश में प्रतिह के नियमित रूप से के उत्तर मार्य पर प्रतिह के		
निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये ।  परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।  यनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये ।  सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को इंग्रर एला/मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये । मुजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी । कियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय कुपार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय अवते ने सहित के की कार्यालय की कार्यशाला से उत्पन्त अपशिष्ट हो प्राधिकरित के अनुरूष्ट हो। के निए तेल और सी नियमित रूप सी की प्राप्त विपर से प्रवाह हो। के लिए तेल और सी सी हिपार की कार्यशाल के प्रयाद की कार्यशाल		
परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।  23 सभी स्त्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग / मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये । भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  25 प्रति केंद्रीय अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अग्रेल—मई), मानसून (अगरत), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए छेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय नुत्तित करने पर सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय मूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. 1993 के तहा नियमित कार्य सो प्रति केंद्र हो) के लिए तेल और प्रीम ट्रैप सान के उत्पन्त आपरीलय, पर्यावरण मेंद्रीय प्रावर्त के पर पर से परले सरकार, भोपाल, केंद्रीय मुत्त की नियमित रूप से परले सान मेंद		चाहिए और निगरानी की आवृत्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के परामर्श से की जानी चाहिए । मानदंड प्रदूषकों के लिए
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।  खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये ।  सभी स्त्रोतों से आने वाले धृत के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोख, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित्त रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धृल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  मूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय मूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोर्ड हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय-समय पर संशोधित के अनुरूक उपचार किया जाना सुनिश्चत किया जाये । खदान की कार्यशाल से उत्सन्त अपशिष्ट को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोर्ड हो) के निर्याल और उत्तर से सिम्प की कार्याला की की प्राप्त		निगरानी किए गए डेटा को नियमित रूप से अपलोड किया जाये एवं कंपनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाये ।
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत किया जाये ।  23 खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये ।  23 सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/ मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  25 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की रिखरित क्षेत्रीय कार्यालय, पर्वावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और नर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्वावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड केंद्रीय भूजल बोर्ड की जीणा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपिशट जल (यदि कोर्ड हो) को प्राकृतिक धारा में प्रवित्त करने से पहले (यदि कोर्ड हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोर्ड हो)  की नियमित रूप से नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोर्ड हो) के नियंत्रण तेल और ग्री	21	परिवेशी वायु गुणवत्ता (RPM, SPM, SO2, NOx) पर डेटा नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और
22 खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार अधिसूचना संख्या जीएसआर / 826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये ।  23 सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को इंयर प्लग / मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  25 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रेल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्याध्वरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और संत्रीय निरारण, वेर्ड के भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूष उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के निर्यित स्वर्या निर्यंत्रण बोर्ड और राज्यो हिलान विवर्त की जाएगी ।		जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने में एक बार प्रस्तुत
अधिसूचना संख्या जीएसआर/826 (ई) दिनांक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये ।  सभी क्षोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हांल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के रतर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग/मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  25 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रेल—मई), मानसून (अगस्त,) पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निधित कार्य को कर्य जामा सुनिश्चित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़ गये पानी, (यदि कोई हो) कर से पर से प्रतित कर से नियंत्रण, भोपल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		किया जाये ।
23 सभी स्रोतों से आने वाले धूल के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा । हॉल रोड, लोडिंग और अनलोडिंग और ट्रांसफर पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग / मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  25 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगल्व, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय कार्यालय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़ गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।	22	खनन परिसर की सीमा पर परिवेशी वायु गुणवत्ता को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार
पॉइंट्स पर पानी के छिड़काव की व्यवस्था की जाएगी और इसका उचित रखरखाव किया जाये । क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग / मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  25 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रेल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल बोर्ड, को मेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		अधिसूचना संख्या जीएसआर / 826 (ई) दिनाक 16.11.09 में निर्धारित मानदंडों की पुष्टि की जाये ।
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग / मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  25 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़ गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।	23	
प्रस्तुत किए जाने वाले मानदंडों और रिकॉर्ड के अनुसार धूल उत्सर्जन की नियमित रूप से निगरानी की जाये ।  24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग ∕ मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  25 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री−मानसून (अप्रैल−मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट−मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय−समय पर संशोधित के अनुरू उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		
24 काम के माहौल में 75 DB से नीचे के शोर के स्तर को नियंत्रित करने के उपाय किये जाये । HEMM आदि के संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग / मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  25 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए उंटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		
संचालन में लगे कामगारों को ईयर प्लग / मफ्स उपलब्ध कराए जाये और कामगारों के स्वास्थ्य का रिकार्ड बनाए जाये ।  125 भूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  126 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  127 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।	24	
25 मूजल स्त्रोत को रिचार्ज करने के लिए वर्षा जल संचयन किया जाएगा । क्रियान्वयन की स्थिति क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपिशष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपिशष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।	<u> </u>	· ·
पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को छह महीने के भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप् उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।	25	
भीतर और अगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तुत की जाएगी ।  26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।	23	
26 खनन कार्य के दौरान मौजूदा कुओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भूजल और सतही जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपिशष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपिशष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		्राचार आर अंगर अलावायु बारवरान गंत्रालय, गारत रास्कार, गांपाल ९५ न.अ. अपूर्यं गांपत्रंग बांड की छह नहींने के भीतर और अंगले वर्ष से प्रत्येक वर्ष प्रस्तत की जाएगी ।
जल स्त्रोतों के स्तर और गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात् प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।	26	खनन कार्य के दौरान मौजदा कओं के नेटवर्क स्थापित करके और नए पीजोमीटर का निर्माण करके भजल और सतही
प्री—मानसून (अप्रैल—मई), मानसून (अगस्त), पोस्ट—मानसून (नवंबर) और सर्दी (जनवरी) और इस प्रकार एकत्रित किए गए डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		जल स्त्रोतों के स्तर और गूणवत्ता की नियमित निगरानी की जाएगी । निगरानी वर्ष में चार बार की जाएगी अर्थात
डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।  खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		डेटा को नियमित रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र.
27 खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर, 1993 के तहत् निर्धारित मानकों एवं उसमें हुए समय—समय पर संशोधित के अनुरूप उपचार किया जाना सुनिश्चित किया जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपशिष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण और क्षेत्रीय निदेशक, केंद्रीय भूजल बोर्ड को भेजा जाएगा ।
जाये । खदान की कार्यशाला से उत्पन्न अपिशष्टों को प्राकृतिक धारा में प्रवाहित करने से पहले (यदि कोई हो) के लिए तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।	27	खदान से निकलने वाले अपशिष्ट जल (यदि कोई हो) को जीएसआर 422 (ई) दिनांक 19 मई, 1993 और 31 दिसंबर,
तेल और ग्रीस ट्रैप स्थापित किया जाये । टेलिंग बांध से छोड़े गये पानी, (यदि कोई हो) की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		
की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी ।		
		की नियमित रूप से निगरानी की जाए एवं क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, केंद्रीय
28   पारयाजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के जल—भूवैज्ञानिक अध्ययन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी । यदि भूजल की गुणवत्ता और		
	28	परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्षेत्र के जल–भूवैज्ञानिक अध्ययन की वार्षिक समीक्षा की जाएगी । यदि भूजल की गुणवत्ता और

	मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो खनन बंद कर दिया जाएगा और भूजल पर किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने
	के उपायों को लागू करने के बाद ही फिर से शुरू किया जाएगा ।
29	खनन कार्यों से संबंधित स्वास्थ्य खतरों की पहचान, मलेरिया उन्मूलन, एचआईवी, और खनिज धूल के संपर्क में स्वास्थ्य
	प्रभाव आदि सहित श्रमिकों के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य की जांच की जाये । श्रमिकों पर श्वसन योग्य खनिज धूल के
	संपर्क में आने के लिए आवधिक निगरानी की जाएगी और श्रमिकों के स्वास्थ्य का रिकॉर्ड बनाया जाये। खनन से उनके
	स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में श्रमिकों के लिए जागरूकता कार्यक्रम और व्यक्तिगत उपकरणों आदि के उपयोग
	जैसे एहतियाती उपायों को समय–समय पर चलाया जाएगा । विभिन्न स्वास्थ्य उपायों के प्रभाव की समीक्षा की जाएगी
	और जहां कहीं आवश्यक हो, अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी । मांगे जाने पर इसे निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाना
	चाहिए । इसके लिए आवश्यक धनराशि भी निर्धारित की जानी चाहिए ।
30	परियोजना प्रस्तावक खदान श्रमिकों के लिए आश्रय एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगा ।
31	धूल भरे क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक श्वसन उपकरण प्रदान किए जाएंगे और उन्हें सुरक्षा और स्वास्थ्य
	पहलुओं पर पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी भी प्रदान की जाये ।
32	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CER) के प्रति प्रतिबद्धता का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए ।
33	खनन गतिविधियों के प्रभाव से आसपास की बस्तियों को बचाने के लिए विशेष उपाय अपनाए जाये ।
34	परियोजना प्रस्तावक वित्तीय समापन (फाइनंसियल क्लोजर) होने की तारीख और संबंधित अधिकारियों द्वारा परियोजना की
] ] ]	अंतिम मंजूरी और भूमि विकास कार्य शुरू होने की तारीख के बारे में क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायू
	परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचित करेगा ।
35	निर्धारित आवश्यक धनराशि को केवल पर्यावरण संरक्षण कार्यों हेतु आरक्षित किया जायेगा इस राशि का उपयोग अन्य
33	कार्यों के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा । इस धनराशि को अलग खाते में सुरक्षित रखा जायेगा और इस राशि के व्यय
	की वर्षवार सूचना क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण
	विशेष विभाग क्षेत्रांव कार्यालय, विवादरण वर्ग और अलवायु वारवतंन नेत्रालय, नारत सरकार, नावाल एवं न.प्र. प्रयूपण विर्वे को दिया जाना आवश्यक होगा ।
26	
36	क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा
	निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेंगे । पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट, पर्यावरण प्रबंधन योजना, जन सुनवाई
	और अन्य आवश्यक एवं संबंधित दस्तावेज क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार,
	भोपाल एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिया जाना आवश्यक होगा ।
37	परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण स्वीकृति की एक प्रति स्थानीय निकायों, पंचायत और नगरीय निकायों के प्रमुखों, जैसा
	लागू हो, साथ ही सरकार के संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराएगा जिसे पर्यावरण स्वीकृति प्राप्ति दिनांक से आगामी
	30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा। ॄति प्राप्ति दिनांक से
	आगामी 30 दिनों तक सूचना पटल पर चस्पा कर प्रदर्शित करना होगा ।
38	परियोजना स्वीकृति पत्र जारी होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावक परियोजना द्वारा कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों
	में विज्ञापन देगा, जिनमें से एक संबंधित इलाको की स्थानीय भाषा में होगा में यह सूचित प्रसारित करेगा कि परियोजना
	को पर्यावरण मंजूरी प्रदान की गई है जिसकी एक प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य
	स्तरीय पर्यावरण प्रभाव प्रति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रदान की गई है साथ ही यह राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव
	आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) की वेबसाइट <u>www.mpseiaa.nic.in</u> पर भी उपलब्ध है एवं इसकी एक प्रति क्षेत्रीय
	कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल को भेजी जाएगी ।
39	परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सीपीसीबी और अन्य सरकारी
	एजेंसियों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों / दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा ।
40	जन सुनवाई के दौरान दिए गए परामर्श – सुझाव/सुधार एवं सिफारिशों के संबंध में कार्य योजना तैयार कर छह महीने
	के भीतर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायुँ परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
	और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी ।
41	परियोजना प्रस्तावक को प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के 1 जून और 1 दिसंबर को निर्धारित पूर्व पर्यावरण स्वीकृति नियमों और
	शर्तों की अर्धवार्षिक अनुपालन प्रतिवेदन नियामक प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन
	मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल एवं MPSEIAA) को हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी ।
42	राज्य पर्यावरण प्रभाव आंकलन प्राधिकरण, म.प्र. के पास बाद में अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को जोड़ने का अधिकार है, और
72	यदि आवश्यक हो तो, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत पर्यावरण मंजूरी को रद्द करने सहित
	कार्रवाई करने का अधिकार भी है, ताकि सुझाए गए सुरक्षा उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन को समयबद्ध और संतोषजनक
	तरीके से सुनिश्चित किया जा सके
43	इन शर्तों को जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण)
43	२१ राता यम जल (प्रपूषण पम रापम्बान जार ।गपत्रण) जावानवन, १४/४, पार्चु (प्रपूषण पम रापम्बान जार ।नयत्रण)

	अधिनियम १९८१, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६, सार्वजनिक दायित्व (बीमा) अधिनियम, १९९१ और ईआईए
	अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के तहत लागू किया जाएगा ।
44	मंत्रालय या कोई अन्य सक्षम प्राधिकारी पर्योवरण संरक्षण के हित में शर्तों में परिवर्तन/संशोधन कर सकता है या कोई
	और शर्त निर्धारित कर सकता है ।
45	तथ्यात्मक जानकारी को छुपाने या झूटे/गढ़े हुए दस्तावेज प्रस्तुत करने और ऊपर उल्लिख्ति किसी भी शर्त
	का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप इस मंजूरी को वापस लिया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण)
	अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है ।
46	इस पूर्व पर्यावरण मंजूरी के खिलाफ कोई भी अपील राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के तहत
	निर्धारित 30 दिनों की अवधि के भीतर (यदि आवश्यक हो, तो) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के पास होगी ।
47	अन्य सभी वैधानिक मंजूरी जैसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक अगिनशमन विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग, वन संरक्षण
	अधिनियम, 1980 और वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 आदि से डीजल के भंडारण के लिए अनुमोदन प्राप्त किया
	जाएगा, जैसा कि संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा परियोजना प्रस्तावकों को लागू किया जाएगा ।
48	परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपनी वेबसाइट पर निगरानी डेटा के परिणामों सहित निर्धारित पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के
	अनुपालन की स्थिति अपलोड करेगा और इसे समय-समय पर अपडेट करेगा साथ ही इसे क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण वन
	और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल सीपीसीबी के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण
	बोर्ड को भेजा जाएगा । मानदंड प्रदूषक स्तर अर्थात् SPM,RSPM, SO2,NOx (एम्बिएंट स्तर के साथ-साथ स्टैक
	उत्सर्जन) अथवा परियोजना के लिए संकेतिक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मानकों की निगरानी की जाएगी एवं कंपनी के मुख्य द्वार
	के पास सार्वजनिक सूचना हेतु एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित किया जाये ।
49	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक फॉर्म $-V$ में पर्यावरण विवरण, जैसा कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य
	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत् निर्धारित किया गया है (तथा बाद में संशोधित अनुसार),
	को प्रस्तुत करना अनिवार्य है । पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की स्थिति को कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड
	किया जाये साथ ही एमओईएफ के क्षेत्रीय कार्योलय को भी भेजा जाये ।

### अध्यक्ष की अनुमति से चर्चा के अन्य बिन्दु

1. <u>8834/2021</u> — सिया के पत्र क्रमांक 2341 दिनांक 20/12/2023 के माध्यम से परियोजना को जारी क्षमता विस्तार हेतु टॉर एवं संशोधित टॉर को जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन हेतु बोर्ड द्वारा जारी Gap Analysis रिपोर्ट वर्ष 2023 के प्रकाश में पुर्नपरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया है।

इस संबंध में सिमिति द्वारा प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई एवं यह पाया गया कि M/s Devis Surgico, 3, Giriraj Market, Lohiya Bazar, Laskar, Dist. Gwalior, द्वारा अपनी इकाई की क्षमता 100 Kg. प्रति घंटे से 350 Kg. प्रति घंटे तक विस्तार करने के लिये ई.सी हेतु आवेदन किया गया है, तथा ई.आई.ए. रिपोर्ट हेतु परियोजना प्रस्तावक को सिया द्वारा टॉर जारी किया जा चुका है। समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुये सिमिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक निम्न बिन्दुओं पर अपना पक्ष सिमिति के समक्ष रखे।

• जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन हेतु बोर्ड द्वारा जारी Gap Analysis रिपोर्ट वर्ष 2023 के प्रकाश में चाहे गये क्षमता विस्तार का क्या औचित्य है।

- इकाई द्वारा वर्तमान में कितने क्षेत्रफल में सेवायें दी जा रही है। (प्रमाणिक दूरी के साथ)
- विगत 02 वर्षो में इकाई द्वारा निष्पादित किये गये बॉयो मेडिकल वेस्ट का वॉल्यूम की प्रमाणिक जानकारी ।

उपरोक्त जानकारी 07 दिवस के भीतर सदस्य सचिव, सेक को प्रस्तुत करें।

- 2. 8755/2021 एवं 8636/2021 (सिया के पत्र क्रमांक 2352 दिनांक 20/12/2023 के माध्यम से प्राप्त पत्र) M/s. JRR Waste Management Pvt. Ltd, Common Waste Treatment Facility (CBWTF) at Plot No. GAA-22 & GAA 23, MIDC, Malanpur, Ghirongi, Dist. Bhind (MP). एवं प्रकरण क्रमांक 8636/2021 M/s VNS Solution, Common Waste Treatment Facility (CBWTF) Plot No. 16 GAA, Village Malanpur Ghirongi Notified Industrial Area, Tehsil Bhind, Dist. Bhind को ई.सी जारी की गई हैं। सिया द्वारा दोनों प्रकरणों में बोर्ड द्वारा जारी Gap Analysis रिपोर्ट वर्ष 2023 के प्रकाश में पुनः विचार कर अभिमत हेतु निर्देशित किया गया है। समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुये समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि दोनो परियोजना प्रस्तावक निम्न बिन्दुओं पर अपना पक्ष सिमित के समक्ष रखे।
  - जीव चिकित्सा अपशिष्ट के निष्पादन हेतु बोर्ड द्वारा जारी Gap Analysis रिपोर्ट वर्ष 2023 के प्रकाश में अपनी परियोजना की उपयोगिता पर अपना–अपना पक्ष समिति के समक्ष रखे।
  - इकाई द्वारा वर्तमान में कितने क्षेत्रफल में सेवायें दी जा रही है। (प्रमाणिक दूरी के साथ)
  - विगत 02 वर्षो में इकाई द्वारा निष्पादित किये गये बॉयो मेडिकल वेस्ट का वॉल्यूम की प्रमाणिक जानकारी ।

चूकी प्रकरण एनजीटी में विचाराधिन है अतः उपरोक्त जानकारी 07 दिवस के भीतर सदस्य सचिव, सेक को प्रस्तुत करें।

> (चंद्र मोहन ठाकुर) सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे) अध्यक्ष

<u>Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:</u>

Annexure- 'A'

#### Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

- 1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
- 4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
- 6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
- 8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
- 9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
- 10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
- 11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
- 15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
- 16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.

- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
- 24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
- 25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora, fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
- 29. A display board (in hindi ) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - a. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
  - d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
  - f. Plantation and CER activities.
- 30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.

- 34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

#### Annexure- 'B'

#### Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries\*

- 1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
- 2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
- 4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
- 5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
- 8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be 1/4<sup>th</sup> or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
- 9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
- 10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
- 11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
- 13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
- 14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
- 15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.

- 16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.
- 18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
- 19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
- 27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - g. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - j. Minable Potential of sand mine.
  - k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
  - 1. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
  - i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
  - ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
  - iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
  - iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
  - v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.

- vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
- vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
- viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.
- 31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 37. As per Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, Page no. 24 Para (r) minimum 7.5 meters (inward) "from the river......bank" shall be restricted should be followed in verbatum as the para says.
- 38. विगत वर्षो में जारी पूर्व पर्यावरण स्वीकृति में एवं वर्तमान में जारी पर्यावरण स्वीकृति में उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन मध्यप्रदेथ स्टेट माईनिंग कॉर्पोरेथन द्वारा सुनिध्चित किया जावेगा।
- 39. पूर्व एवं वर्तमान ई.सी. शर्तो का पालन प्रतिवेदन निर्धारित समयावधि में एम.ओ.ई.एफ. एण्ड सी.सी. तथा एम.पी. सिया, के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

#### Annexure- 'C'

### Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries\*

- 1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
- 2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
- 3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
- 4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
- 5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.

- 6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
- 7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
- 8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
- 9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
- 10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
- 11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
- 12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
- 13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.
- 14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
- 15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
- 16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
- 17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
- 18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
- 19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
- 20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
- 21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
- 22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
- 23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
- 25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
- 26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
  - m. Lease owner's Name, Contact details etc.
  - n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
  - o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
  - p. Minable Potential of sand mine.

- q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
- r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
- 27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- 29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.
- 30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- 32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
- 33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
- 34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
- 35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.
- 36. The monitoring of the compliance of the conditions incorporated in the Environmental Clearance issued prior to the State Mining Corporation shall be carried out through the District mining office at District level and compliances be communicated to SEIAA within 06 months.
- 37. Riparian habitat including vegetative cover on and adjacent to the river bank controls erosion, provide nutrient inputs into the stream and prevent intrusion of pollutatns in the stream through runoff. Bank erosion and change of morphology of the river can destroy the riparian vegetative cover should be protected.
- 38. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to start of mining.
- 39. The State Mining Corporation shall constitute an Environmental Cell including minimum of three persons qualified in the field to ensure the compliance of EC conditions.
- 40. The State Mining Corporation shall ensure the compliance of the different provision made in the Sand Mining Management Guidelines-2016 & Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020, with Special reference to the para 4.3 and para-8 at page no. 45 of the said Guidelines.
- 41. Sand and gravel shall not be allowed to be extracted where erosion may occur, such as at the concave bank.

- 42. The slope of mining area adjacent to agricultural fields should be proper (preferably 45 degree) and adequate gap (minimum 10 feet) be left from adjacement agricultural field to avoid erosion and scouning.
- 43. In sand mining over other areas apart from river bed replenishment study in the said area be carriedout every year by Mining Officer and subject to availability of sand quantity mining should allowed by Mining Officer during EC period as Sand replacement in such areas are subject to certain conditions and not a regular feature.
- 44. The top soil in Khodu-Bharu Sand mine shall be stored separately and shall be used for agriculture field only; it should not be washed away during sand washing process.

#### Annexure- 'D'

#### **General conditions applicable for the granting of TOR**

- 1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
- 2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
- 3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, waterbodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
- 4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
- 5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
- 6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
- 8. All documents should be properly indexed, page numbered.
- 9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
- 10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
- 11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
- 12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
- 13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
- 14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
- 15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.
- 16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
- 17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
- 18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
- 19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
- 20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.

- 21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
- 22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
- 23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
- 24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
- 25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
- 26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
- 27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
- 28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
- 29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna.
- 30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
- 31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
- 32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2<sup>nd</sup> August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
- 33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.
- 34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
- 35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:
  - ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
  - ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
  - ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
  - ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

- 36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
  - ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
  - ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
  - ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
  - ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
  - ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
  - Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
  - Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

### FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA, following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

- 37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
- 38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
- 39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
- 40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

#### खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेत् निर्देश :--

- नोट 1:- स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
- नोट 2:- विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारों से राय ली जाने की सलाह है ।
- नोट 3:— पौधों की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख—रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मिल्चिंग जल—संरचनाओं का निर्माण, निदाई—गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।
- नोट 4:— परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ों के चारों ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणों के चारों ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।
- नोट 5:- भू-क्षरण स्थल पाये जाने पर भू-संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

#### नोट 6:- रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन / नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 — 03.0 फिट	03—05 से. मी.
2.	रोड़ साईड / स्कूल / ऑगनवाडी	03.5 — 05.5 फिट	05—10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई—गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में)		
	तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

#### नोट 7:- बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख-रेख -

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई / जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुँआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियाँ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई—गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

#### नोट - 8 :- रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास बीजप्रजातियाँ।	,
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट 9 :- छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियाँ, खस घास बीजअगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	। 01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर

- मौसमी नदी के न्यूनतम 05 मीटर तथा पेरिनियल रिवर में न्यूनतम 10मी तक घाटो के किनारे स्थित वृक्षो, झाडियों, लताओ को और घास को क्षित नहीं पहूँचाई जायेगी।
- रेत निकासी परिवहन मार्ग निजी भूमि से होकर जाता है तो संबंधित कृषक / कृषको से सहमित पश्चात् ही परिवहन किया जायेगी ।
- खदान संचालन शुरू करने के पहले पिरयोजना प्रस्तावक जिला मत्स्य पालन विभाग अधिकारी का अभिमत प्राप्त करेंगा कि खनन् क्षेत्र में कोई च्तवदम ठतममकपदह ब्मदजमत तो नहीं है और यदि किसी क्षेत्र का संज्ञान होगा तो अनुकूल रोकथाम के उपाय विषय विशेषज्ञ के सुझाव अनुसार अपनाये जायेंगे ।